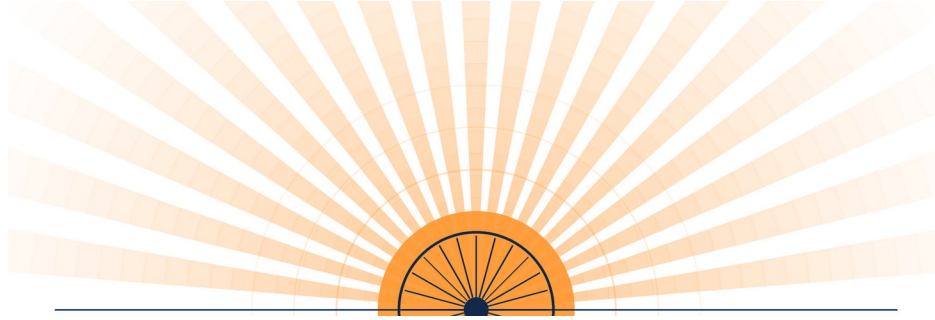




UPSC DARPAN

शीलं परं भूषणम्

Sheelam param bhushanam · Character is the highest ornament

मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration) का आदर्श वाक्य, भर्तृहरि के शतकत्रय (Bhartrihari's Shataktraya) से

यूपीएससी सीएसई (UPSC CSE) परीक्षा संसाधनों के लिए आपका एकमात्र समाधान।

Welcome to the Ohana family
Hum jeet ka maja chakh kar rahenge.

आज का उद्धरण

“नक्शा वह भूभाग नहीं है जिसे वह दर्शाता है; पर यदि वह सही हो, तो उसकी बनावट उस भूभाग जैसी होती है — और इसी में उसकी उपयोगिता है।”

— अल्फ्रेड कोर्ज़िब्सकी, साइंस एंड सैनिटी (1933), पृ. 58

द हिंदू (मुंबई), द इंडियन एक्सप्रेस (मुंबई) और द इकोनॉमिक टाइम्स (दिल्ली) — 14 अक्टूबर 2026

सामान्य अध्ययन (General Studies) · दैनिक समसामयिकी (Daily Current Affairs) · संकल्पना मैट्रिक्स (Concept Matrix) · बिंदुवार विश्लेषण (Point-Wise Analysis)

क्षमता · गुमनामी · सादगी (Ability · Anonymity · Austerity)

निःशुल्क, और हर अभ्यर्थी के लिए — चाहे वे भुगतान कर सकें या न कर सकें।

संपादक की कलम से (A Letter from the Editor)

यह पत्रिका क्यों मौजूद है, और इसे कैसे पढ़ा जाना चाहिए

यह पत्रिका एक वादे के बजाय एक स्वीकृति के साथ शुरू होती है। सिविल सेवा परीक्षा (Civil Services Examination) अंततः यह परीक्षा नहीं है कि आपने कितना एकत्र किया है। पिछले दशक के प्रश्नपत्रों को पढ़ने पर हमारा अपना निष्कर्ष यह है कि यह परीक्षा वास्तव में जो पूछती है — सामान्य अध्ययन (General Studies) के प्रश्नपत्रों, निबंध (essay) और साक्षात्कार (interview) में — उसका साठ प्रतिशत से अधिक हिस्सा कोई ऐसा तथ्य नहीं है जिसे आप खोज सकें। यह एक विवादास्पद मुद्दा (critical issue) है: एक जीवंत सार्वजनिक समस्या जिसके भीतर परस्पर विरोधी हित हों, और जिस पर आपसे सोचने, तौलने और किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की अपेक्षा की जाती है। जिस अभ्यर्थी ने हजार तथ्य याद कर लिए हों और उनमें से किसी के बारे में भी न सोचा हो, वही वह अभ्यर्थी है जो चार सौ अंक लिखता है और समझ नहीं पाता कि क्यों।

यही पूरा कारण है कि यह पत्रिका अपने वर्तमान स्वरूप में मौजूद है। यहां हर कहानी को एक अध्ययन कार्ड (study card) में बदला गया है जो सोचने का काम आपके साथ करता है, आपके लिए नहीं: क्या हुआ, यह पाठ्यक्रम की किस पंक्ति पर बैठता है, परीक्षक बार-बार इस विषय पर क्यों लौटते हैं, वे मुट्ठी भर तथ्य जो वास्तव में प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) के किसी विकल्प का फैसला कर सकते हैं, नामित बिंदुओं में विभाजित एक विश्लेषण ताकि तर्क केवल शीर्षकों से ही पढ़ा जा सके, परीक्षा की अपनी भाषा में एक मुख्य परीक्षा (Mains) प्रश्न, उसके लिए एक आदर्श दृष्टिकोण (model approach) — और फिर वह प्रश्न जो एक ज़िला मजिस्ट्रेट (District Magistrate) या एक संयुक्त सचिव (Joint Secretary) को इसी मुद्दे पर वास्तव में हल करना पड़ेगा। यह अंतिम भाग वह है जिसे अधिकांश संकलन छोड़ देते हैं, और यही वह है जिसकी परीक्षा वास्तव में परख कर रही है।

दूसरा कारण सरल भी है और कठिन भी। बहुत से योग्य अभ्यर्थी ऐसे कारणों से पिछड़ जाते हैं जिनका क्षमता से कोई लेना-देना नहीं होता। उन्हें नहीं पता होता कि कौन-से स्रोत महत्वपूर्ण हैं। वे अच्छी सामग्री तक नहीं पहुंच पाते, या उसका भुगतान नहीं कर सकते। वे हिंदी में पढ़ते हैं और पाते हैं कि किसी विषय का ईमानदार, वर्तमान और सुव्यवस्थित संस्करण केवल अंग्रेज़ी में मौजूद है। हमने यह देखा है, और हम इसे चीज़ों की स्वाभाविक व्यवस्था के रूप में स्वीकार नहीं करते। यूपीएससी दर्पण (UPSC Darpan) में कुछ भी भुगतान के पीछे नहीं है, और कुछ भी कोचिंग कक्षा (coaching class) मानकर नहीं चलता। हम हर सुबह जो कुछ भी पढ़ते हैं — समाचार पत्र, पीआईबी (PIB), पीआरएस (PRS), न्यायालय का अपना रिकॉर्ड, शोध पत्रिकाएं — उसे एक बार, ठीक से पढ़ा जाता है, और पूरी तरह सौंप दिया जाता है। किसी भी अभ्यर्थी को इसलिए पीछे नहीं रह जाना चाहिए कि वह कहां पैदा हुआ, उसका परिवार कितना कमाता है, या वह किस भाषा में सोचता है।

तीसरा कारण वह है जिसे हम बहुत ज़ोर से नहीं कहते। इस परीक्षा से जिस प्रकार के अधिकारी को तैयार करना है, उसका वर्णन बहुत पहले मसूरी (Mussoorie) में किया गया था, और तब से यह वर्णन बेहतर नहीं हुआ है: एक कर्मयोगी (Karma Yogi), एक ऐसा सिविल सेवक जिसकी आत्मा क्षमता (Ability), गुमनामी (Anonymity) और सादगी (Austerity) के सिद्धांतों से ओतप्रोत हो। क्षमता, क्योंकि अक्षमता से लागू की गई अच्छी नीयत भी लोगों को नुकसान पहुंचाती है। गुमनामी, क्योंकि जिस अधिकारी का नाम हर हफ्ते अखबार में हो, वह अधिकारी आमतौर पर वह नहीं होता जिसका ज़िला काम कर रहा होता है। सादगी, क्योंकि अधिकारी के जीवन और नागरिक के जीवन के बीच की दूरी ठीक वही दूरी है जिस पर सहानुभूति (empathy) असफल हो जाती है। हम वहां नहीं हैं। लेकिन यही वह मानक है जिसके योग्य यह पत्रिका बनने का प्रयास कर रही है, और यही वह मानक है जिसके विरुद्ध हम आपसे तैयारी करने को कह रहे हैं — कट-ऑफ (cut-off) के विरुद्ध नहीं।

इसलिए इसे धीरे-धीरे पढ़ें। इसे खत्म करने की कोशिश न करें। तीन कार्ड लें, उन्हें इस हद तक समझें कि आप दोनों पक्षों में तर्क कर सकें, और एक उत्तर लिखें। यह पच्चीस कार्ड पढ़ने और किसी को भी याद न रखने से बेहतर सुबह है। और जब आप उस कमरे में बैठें, तो याद रखें कि वास्तव में आपका चयन किस लिए किया जा रहा है।

— संपादक (The Editor)

UPSC Darpan · 14 अक्टूबर 2026

हम मसूरी-वाला कर्मयोगी (Mussoorie-wala Karma Yogi) बनना चाहते हैं — एक ऐसा सिविल सेवक जिसकी आत्मा क्षमता (Ability), गुमनामी (Anonymity) और सादगी (Austerity) के सिद्धांतों से ओतप्रोत हो। और हम बनकर रहेंगे, मेरे दोस्त। (And we shall become, my man.)

हमारी प्रेरणा (Our Inspiration)

Our inspiration, and the reason this initiative exists



Rakesh Verma Sir

Indian Administrative Service, 1981 batch

Every initiative has a person standing behind it who never asked to be named. Ours is Rakesh Verma sir — an IAS officer of the 1981 batch, who spent a career inside the administration and then, after retiring from it, went back to the classroom to teach the next set of officers. What he gave us was not a strategy. It was a way of looking at the work.

उन्होंने हमें क्या सिखाया (WHAT HE TAUGHT US)

- 1. सेवा परमो धर्म: — service is the highest duty, and it is a duty, not a favour** — He would not let the word 'service' stay decorative. A civil servant does not confer a benefit on a citizen; the citizen is entitled, and the officer is discharging an obligation. Once you accept that, the tone of an office changes — the file moves because someone is waiting on the other side of it, not because a note demanded it.
- 2. The Mussoorie-wala Karma Yogi: Ability, Anonymity, Austerity** — Ability, because good intentions administered incompetently still hurt people. Anonymity, because the officer whose name is in the newspaper every week is usually not the officer whose district is working. Austerity, because the distance between the officer's life and the citizen's life is the distance at which empathy fails. He taught these three as one instruction, not three virtues to be picked from.
- 3. Begin with the last person, not the average person** — His constant test for any scheme, any circular, any decision: what happens to the person at the end of the line — the one with no documentation, no connection, no way to complain, and no idea the scheme exists. A policy that works for the median citizen and fails the last one has not worked. It has only been measured generously.
- 4. Reach the last mile, because the last mile is where the state actually is** — Delivery, he insisted, is not the boring part that follows policy; it is the policy. The budget line means nothing until the money reaches the panchayat, the entitlement means nothing until the beneficiary is on the list, and the list means nothing if the person who was left out has no way back onto it. He made us look at the exclusion errors, not the coverage numbers.
- 5. Understand the system before you criticise it** — He had no patience for the easy cynicism aspirants pick up online. Learn how a file actually moves, who signs, where the discretion sits, what the officer on the spot is trading off. Criticism that comes after that understanding is worth something; criticism that replaces it is noise — and it writes a shallow answer, too.
- 6. Karma yoga at the desk: do the work, stay with the work** — He taught the Gita's instruction as an administrator's working rule, not as a sermon. You control the effort and the honesty; you do not control the transfer order, the posting, the recognition or the result. An officer who needs the outcome to feel the work was worth it will not last a career. Nor will an aspirant who needs the result to justify the year.
- 7. Teach what you know, to whoever cannot pay for it** — The clearest thing he did was the simplest: after a full career, he went back and taught. Not to a selected batch that could afford it — to whoever turned up. That is where this initiative came from. The idea that good preparation material should not be a function of what a family can spend is not our idea; it is his.

We are not his equals and this is not his page. It is the receipt for something we were given for free, by a man who spent forty years serving the country and then spent his retirement teaching other people how to do it properly. सेवा परमो धर्म: — and we shall become.

आज के उद्धरण (Quotes of the Day)

निबंध (essay) की भूमिका में किसी एक उद्धरण को शामिल करें — हर अनुच्छेद में नहीं। प्रत्येक उद्धरण एक प्रलेखित स्रोत (documented source) से लिया गया है, ताकि इसे आत्मविश्वास से उद्धृत किया जा सके।

“मूल नियम संक्षेप में यों कहा जा सकता है: ज़मानत, जेल नहीं — सिवाय उन परिस्थितियों के जो न्याय से भागने, न्याय की प्रक्रिया में बाधा डालने, या अपराध दोहराने अथवा गवाहों को डराने जैसी अन्य परेशानियाँ खड़ी करने का संकेत देती हों, उस याचिकाकर्ता की ओर से जो न्यायालय से ज़मानत पर रिहाई चाहता है।”

— भारत का सर्वोच्च न्यायालय (न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्णा अय्यर, अपनी और न्यायमूर्ति एन.एल. उंटवालिया की ओर से) · राजस्थान राज्य बनाम बलचंद उर्फ बलिया (State of Rajasthan v Balchand @ Baliay) (20 सितंबर 1977)

उपयोग करें (Use in): द हिंदू में आज का डेटा पॉइंट, महाराष्ट्र की आठ जेलों में चले एक विधिक सहायता कार्यक्रम पर: प्रतिभागी सहायता पहुँचने से पहले औसतन 171 दिन जेल में बिता चुके थे, फिर भी उनकी 84% ज़मानत अर्जियाँ सफल रही, जबकि उन्हीं अदालतों में सभी अर्जियों में 26%। इसे विचाराधीन कैदियों, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 39क पर GS2 के उत्तरों में, तथा स्वतंत्रता पर निबंधों में प्रयोग करें: यदि ज़मानत नियम है, तो जिस गरीब अभियुक्त के पास उसे माँगने वाला वकील ही नहीं, उसे नियम से ही वंचित कर दिया गया; इसीलिए खत्री बनाम बिहार राज्य (1981) सहायता देने का दायित्व पहली पेशी से ही रखता है। संतुलन के लिए: न्यायालय ने स्वयं अपवाद गिनाए, जैसे न्याय से भागने का जोखिम और गवाहों को डराना, और कार्यक्रम का 84% एक चुने हुए समूह की तुलना है, इसलिए वह वर्णन करता है, यह सिद्ध नहीं करता कि शुरुआती सहायता क्या हासिल करती है।

“सतत विकास वह विकास है जो भविष्य की पीढ़ियों की अपनी आवश्यकताएँ पूरी करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करे।”

— पर्यावरण एवं विकास पर विश्व आयोग (ब्रंटलैंड आयोग) · ‘हमारा साझा भविष्य’ (Our Common Future) (1987), अध्याय 2

उपयोग करें (Use in): केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) के अध्यक्ष का आज का वक्तव्य कि भारत को 2035 तक 105–150 GW नई कोयला क्षमता की ज़रूरत पड़ सकती है (IE; ET 105 GW, संभवतः 115 GW बताता है), जबकि माँग मई और सितंबर में 271 GW के शिखर पर पहुँची। इसे ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु पर GS3 के उत्तरों में, तथा विकास पर निबंधों में प्रयोग करें: वर्तमान की ज़रूरत वास्तविक है (लू में किसी परिवार को बिजली न जाए), पर अभी बने संयंत्र दशकों चलते हैं और उत्सर्जन को बाँध देते हैं। संतुलन के लिए: परिभाषा यह नहीं बताती कि आज के अंधकार को कल की गर्म धरती के सामने कैसे तौला जाए; शाम की माँग के लिए भंडारण (हरित ऊर्जा गलियारा III में 50 GWh की बैटरियों के लिए धन) वह रास्ता है जिससे भारत दोनों को साध सकता है, और एक खराब मानसून वर्ष के आधार पर बनी योजना अनुपयोगी परिसंपत्तियों का जोखिम उठाती है।

“यदि हम अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ऐसे यांत्रिक साधन का उपयोग करें जिसके संचालन में हम प्रभावी ढंग से हस्तक्षेप नहीं कर सकते... तो हमें पूरी तरह निश्चित हो लेना चाहिए कि मशीन में डाला गया उद्देश्य वही है जो हम सचमुच चाहते हैं।”

— नॉर्बर्ट वीनर · “ऑटोमेशन के कुछ नैतिक और तकनीकी परिणाम” (Some Moral and Technical Consequences of Automation), साइंस, खंड 131 (1960)

उपयोग करें (Use in): ज्योफ्री हिटन और योशुआ बेंगियो सहित 200 से अधिक AI और साइबर सुरक्षा शोधकर्ताओं का आज का आह्वान कि साइबर-सक्षम AI मॉडलों को परीक्षण के दौरान इंटरनेट से अलग (एयर-गैप) रखा जाए, और एंथ्रोपिक की चेतावनी कि छोटे मॉडल कमज़ोर सुरक्षा वाले उपकरणों पर स्वयं की प्रतिलिपि बनाने से कुछ ही महीने दूर हो सकते हैं, जहाँ “बंद करने का कोई केंद्रीय बिंदु नहीं” होगा। इसे AI शासन, साइबर सुरक्षा और महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना पर GS3 के उत्तरों में, तथा प्रौद्योगिकी और नियंत्रण पर निबंधों में प्रयोग करें: वीनर ने 1960 में जिस खतरे का नाम लिया, वह ऐसी मशीन है जिसे एक बार चल पड़ने पर हम रोक नहीं सकते। संतुलन के लिए: एंथ्रोपिक के परीक्षणों में पाया गया कि ऐसे मॉडल अभी पूरी प्रक्रिया भरोसेमंद ढंग से नहीं कर सकते, और कड़ा नियंत्रण उस खुले अनुसंधान और भारतीय स्टार्ट-अप को बाहर न कर दे जिन्हें IndiaAI मिशन सहारा देने के लिए है।

अनुक्रमणिका (Index)

आज के अंक में सब कुछ, कार्ड दर कार्ड · पढ़ने का समय: लगभग 2 घंटे 5 मिनट

प्रारंभिक सामग्री (Front matter)

- संपादक की कलम से (A Letter from the Editor)
- हमारी प्रेरणा (Our Inspiration) — Rakesh Verma Sir
- आज के उद्धरण (Quotes of the Day)
- यहाँ से शुरू करें — आज की 5 सबसे ज़रूरी खबरें

1. राजव्यवस्था एवं शासन (Polity & Governance)

- 1.1 विधिक सहायता विचाराधीन कैदियों तक 171 दिन देर से पहुँचती है, फिर भी जिन्हें जल्दी मदद मिलती है उन्हें ज़मानत कहीं अधिक बार मिलती है
- 1.2 मद्रास उच्च न्यायालय ने छह इस्तीफ़ों को स्वीकार करने के अध्यक्ष के निर्णय को सही ठहराया, दल-बदल याचिकाओं का दो माह में निपटारा करने का आदेश दिया

2. अर्थव्यवस्था (Economy)

- 2.1 SASCI के तहत ₹2 लाख करोड़ के 50-वर्षीय व्याज-मुक्त पूँजीगत ऋण लेने में राज्य धीमे
- 2.2 NPCI ने ₹2,000 से अधिक के UPI भुगतानों पर 0.4% व्यापारी शुल्क दीपावली तक टाला

3. कृषि एवं खाद्य (Agriculture & Food)

- 3.1 बिहार ने सब्सिडी वाले उर्वरक के विक्रेताओं को किसानों से ज़बरदस्ती गैर-सब्सिडी उत्पाद खरीदवाने से रोका

4. अंतर्राष्ट्रीय संबंध (International Relations)

- 4.1 चीन ने कहा लद्दाख को “कभी मान्यता नहीं दी”; भारत ने 28 मानक नामों पर आपत्ति खारिज की
- 4.2 रूस ने भारत के साथ कामगारों के अस्थायी रोज़गार पर हुए समझौते की पुष्टि की

5. पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी (Environment & Ecology)

- 5.1 CEA अध्यक्ष: भारत को 2035 तक 105–150 GW नई कोयला बिजली की ज़रूरत पड़ सकती है
- 5.2 भारतीय पानी में मिले ‘फॉरएवर केमिकल’; संयंत्र उन्हें हटा नहीं पाते, मानक में कोई सीमा नहीं

6. स्वास्थ्य एवं जीव विज्ञान (Health & Life Sciences)

- 6.1 केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों से कहा: अस्पताल सेवाओं की दरें प्रमुखता से प्रदर्शित करें

7. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (Science & Technology)

- 7.1 हिटन और बेंजियो की माँग: साइबर-सक्षम AI को एयर-गैप में रखा जाए; एन्थ्रोपिक की चेतावनी: स्वयं की प्रतिलिपि बनाने वाले मॉडल
- 7.2 IN-SPACe ने निजी अंतरिक्ष कंपनियों से SCL मोहाली की स्वदेशी अंतरिक्ष-श्रेणी चिप्स इस्तेमाल करने का आग्रह किया

8. समाज (Society)

- 8.1 शहरी आजीविका मिशन DAY-NULM बिना उत्तराधिकारी योजना के समाप्त, पाँच राज्यों ने माँगी धनराशि

9. नैतिकता एवं प्रशासक कोना — समन्वित केस स्टडी (Ethics & Administrator's Corner — Integrative Case Studies)

- 9.1 प्रकरण 1 — सर्वर से आई नोटिस-सूची: निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और ‘तार्किक विसंगति’
- 9.2 प्रकरण 2 — जंगल से विश्वविद्यालय की मेज़ तक: पुलिस अधीक्षक, आत्मसमर्पित कमांडर और मृतकों के परिवार

10. प्रारंभिक परीक्षा त्वरित-पुनरीक्षण तथ्य (Prelims Quick-Revision Facts)

- 10 20 परीक्षा-पैटर्न में एक-पंक्ति तथ्य (one-line facts in exam-pattern form)

11. उत्तर-लेखन, GS1, मानचित्र, नीतिशास्त्र और CSAT

- 11.1 आज का आदर्श उत्तर — कार्ड 1.1
- 11.2 GS1 कोना — History: ज़ोरावर सिंह के हिमालयी अभियान और डोगरों द्वारा लद्दाख की विजय (1834–42)
- 11.3 समाचार में स्थान — अपने एटलस पर चिह्नित करें (5)
- 11.4 आज का नीतिशास्त्र शब्द (GS4 खंड A): विवेक का प्रयोग (ऐसा विवेकाधिकार जिसे सौंपा नहीं जा सकता) (Application of mind)
- 11.5 CSAT अभ्यास (प्रश्नपत्र II)

12. आज के निबंध (Essays of the Day)

- 12.1 मानचित्र एक दावा कर सकता है; उसे निभा केवल लोग सकते हैं।

यहाँ से शुरू करें — आज की 5 सबसे ज़रूरी खबरें

पूरी पत्रिका लगभग दो घंटे की है। समय कम हो तो पहले ये पाँच कार्ड पढ़ें।

1.1	विचाराधीन कैदियों तक विधिक सहायता 171 दिन देर से पहुँची; शुरुआती सहायता से ज़मानत मिली क्यों ज़रूरी: GS2 न्याय तक पहुँच: प्रारंभिक परीक्षा के लिए अनुच्छेद 39क, धारा 479 BNSS, खत्री; मुख्य परीक्षा के लिए विधिक सहायता कब शुरू होनी चाहिए।
2.1	राज्य SASCI की ₹2 लाख करोड़ की पूँजीगत ऋण-राशि उठाने में सुस्त क्यों ज़रूरी: GS2/GS3 राजकोषीय संघवाद: प्रारंभिक परीक्षा के लिए अनुच्छेद 293 और 282; मुख्य परीक्षा के लिए शर्तों वाला केंद्रीय धन और मार्च की भाग-दौड़।
4.1	भारत द्वारा 28 स्थानों के नाम रखने पर चीन ने लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश को ठुकराया क्यों ज़रूरी: GS2 भारत-चीन: प्रारंभिक परीक्षा के लिए LAC के क्षेत्र, 1993 और 1996 के समझौते; मुख्य परीक्षा के लिए राज्य-कौशल के रूप में नामकरण।
5.1	CEA: भारत को 2035 तक 105–150 GW नए कोयला-संयंत्र की ज़रूरत पड़ सकती है क्यों ज़रूरी: GS3 ऊर्जा: प्रारंभिक परीक्षा के लिए CEA, अद्यतन NDC; मुख्य परीक्षा के लिए शाम की अधिकतम माँग, भंडारण और अनुपयोगी कोयला परिसंपत्तियाँ।
8.1	DAY-NULM बिना उत्तराधिकारी योजना के समाप्त; राज्यों की धन की गुहार क्यों ज़रूरी: GS2 कल्याणकारी योजनाएँ: प्रारंभिक परीक्षा के लिए बारहवीं अनुसूची की प्रविष्टि 11, स्वयं सहायता समूह; मुख्य परीक्षा के लिए योजना के अभाव की शहरी गरीबों को कीमत।

इस पत्रिका का उपयोग कैसे करें (How to use this magazine) — आज दो तरह के कार्ड हैं। "गहन अध्ययन" कार्ड दिन का कोई बड़ा मुद्दा है, जिसे आरवी सर के फ़ॉर्मूले से चुना गया है: वह पहले पृष्ठभूमि और कठिन शब्द समझाता है, फिर पाठ्यक्रम से जुड़ाव, प्रारंभिक परीक्षा के तथ्य, तर्क सहित विश्लेषण, दोनों पक्ष, आगे की राह, आदर्श उत्तर-दृष्टिकोण के साथ मुख्य परीक्षा का प्रश्न, और वह निर्णय जो एक अधिकारी के सामने आएगा — साथ में यह भी कि वह तीन A (क्षमता, गुमनामी, सादगी) में से किसकी परीक्षा लेता है। "संक्षेप में" कार्ड वह खबर है जिसे जानना ज़रूरी है पर गहराई से पढ़ना नहीं: क्या हुआ, परीक्षा के लिए क्यों ज़रूरी है, और प्रारंभिक परीक्षा के तथ्य; उसमें आए विचार upscdarpan.in पर Concept Booster → आज के कॉन्सेप्ट में समझाए गए हैं। लंबे हिस्से शीर्षक वाले क्रमांकित बिंदुओं में हैं, ताकि शीर्षक पढ़कर ही तर्क समझ आ जाए। आखिरी पन्ना, आज का आईना, दो मिनट अपने साथ है।

1. राजव्यवस्था एवं शासन (Polity & Governance)

आज की दोनों खबरें संवैधानिक विषय के रूप में समय की कहानी कहती हैं। जिस विचाराधीन कैदी तक मुफ्त वकील पाँच महीने बाद पहुँचता है, वह वह मुकदमा पहले ही हार चुका होता है जो सबसे अहम था, यानी ज़मानत का मुकदमा; और जो अध्यक्ष दल-बदल की याचिकाओं को चार महीने तक नोटिस के चरण पर ही रोक रखता है, वह फ़ैसला न करके ही फ़ैसला कर देता है। दोनों जगह अधिकार का ग़ज़ पर मौजूद है और उसकी मृत्यु देरी में होती है।

1.1 विधिक सहायता विचाराधीन कैदियों तक 171 दिन देर से पहुँचती है, फिर भी जिन्हें जल्दी मदद मिलती है उन्हें ज़मानत कहीं अधिक बार मिलती है

गहन अध्ययन — आज का बड़ा मुद्दा (DEEP READ — the day's big issue)

आरवी सर का फ़ॉर्मूला · श्रेणी 3 — आम नागरिक से जुड़ा विकास का मुद्दा: सबसे ग़रीब अभियुक्त, यानी दिहाड़ी मज़दूर और प्रवासी, मुफ्त वकील देर से पहुँचने के कारण महीनों की आज़ादी और मज़दूरी गँवा देते हैं।

मुद्दा Legal aid and undertrial prisoners (नया मुद्दा) **दृष्टि (Lens)** स्वतंत्रता और व्यवस्था · स्वतंत्रता और जवाबदेही

अब तक की कहानी निःशुल्क विधिक सहायता 1976 से संवैधानिक निदेश रही है और NALSA इसे 1995 से चला रहा है। 1 जुलाई 2024 से लागू भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 479 के अनुसार अधिकांश विचाराधीन कैदियों को अधिकतम सज़ा की आधी अवधि बीतने पर ज़मानत देना अनिवार्य है।

समाचार (THE NEWS) महाराष्ट्र। एक ऐसे दिहाड़ी मज़दूर की कल्पना कीजिए जो किसी मामूली आरोप में गिरफ़्तार होकर ज़िला जेल में बंद है और जिसके पास वकील करने के पैसे नहीं हैं। द हिंदू में इंदुलेखा गुहा और त्रिशा चंदा के 'डेटा पॉइंट' विश्लेषण से पता चलता है कि उसके साथ क्या होता है। यह विश्लेषण महाराष्ट्र की आठ जेलों में एक विधिक सहायता कार्यक्रम द्वारा 2018 से 2023 के बीच मदद पाए 22,000 से अधिक विचाराधीन कैदियों के अभिलेखों पर आधारित है। सामान्य प्रतिभागी 29 वर्ष का है; लगभग आधे केवल प्राथमिक स्तर तक पढ़े हैं और 57% दिहाड़ी मज़दूर हैं। 29 ज़िलों में प्रतिभागियों की 84% ज़मानत अर्ज़ियाँ सफल रही, जबकि उन्हीं अदालतों में 2015 से 2020 के बीच सभी अर्ज़ियों में यह दर 26% थी। परंतु कार्यक्रम के पहुँचने से पहले प्रतिभागी औसतन 171 दिन जेल में बिता चुके थे, और जिन्हें ज़मानत मिली उन्होंने उसके बाद भी औसतन 115 दिन और जेल में काटे। यह कार्यक्रम प्रयास (TISS) और फ़ेयर ट्रायल फ़ेलोशिप (NLU दिल्ली) चलाते हैं।

पहले समझें — पृष्ठभूमि (FIRST, UNDERSTAND (BACKGROUND))

- निःशुल्क विधिक सहायता इसलिए है कि जिस अधिकार का उपयोग न हो सके, वह अधिकार ही नहीं —** जो अभियुक्त वकील का खर्च नहीं उठा सकता, वह ज़मानत के लिए अर्ज़ी भी नहीं लगा सकता। इसीलिए 1976 में जोड़ा गया अनुच्छेद 39क राज्य को निःशुल्क विधिक सहायता देने का निदेश देता है, और अनुच्छेद 22(1) हर गिरफ़्तार व्यक्ति को अपने वकील से परामर्श का अधिकार देता है।
- न्यायाधीशों द्वारा संचालित त्रिस्तरीय तंत्र इसे पहुँचाता है —** विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (Legal Services Authorities Act) ने शीर्ष पर NALSA, प्रत्येक राज्य में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और प्रत्येक ज़िले में ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) बनाया। हिरासत में बंद हर व्यक्ति, आय चाहे जो हो, इसका हकदार है। DLSA पैनल के वकील नियुक्त करता है और 2022 से पूर्णकालिक बचाव अधिवक्ता भी।
- भारत के अधिकांश कैदियों को दोषी नहीं ठहराया गया है —** भारत में प्रति 1,00,000 आबादी पर लगभग 41 लोग जेल में हैं, फिर भी 2022 में तीन-चौथाई से अधिक कैदी विचाराधीन थे, जो दुनिया में चौथा सबसे ऊँचा अनुपात है। गिरफ़्तारी जल्दी होती है और मुकदमा धीमा चलता है, इसलिए जल्दी ज़मानत की अर्ज़ी न लगे तो छोटा-सा आरोप भी महीनों की कैद बन सकता है।

कठिन शब्द (KEY TERMS)

- विचाराधीन कैदी (Undertrial prisoner) — वह व्यक्ति जो मुकदमा लंबित रहने तक जेल में रखा गया है; उसे दोषी नहीं ठहराया गया है, इसलिए वह निर्दोष माना जाता है।
- विधिक सहायता बचाव अधिवक्ता (Legal Aid Defence Counsel) — NALSA के पूर्णकालिक वकील, जो वकील का खर्च न उठा सकने वाले अभियुक्तों के लिए हैं; यह लोक-प्रतिरक्षक (पब्लिक डिफेंडर) जैसी व्यवस्था 2022 में शुरू हुई थी, और समीक्षा लंबित रहने के कारण अगस्त 2026 में नवीनीकरण रोक दिए गए।
- BNSS की धारा 479 (Section 479 BNSS) — अधिकतम सज़ा की आधी अवधि तक हिरासत में रहे विचाराधीन कैदी की रिहाई अनिवार्य करती है; पहली बार अपराध करने

वाला एक-तिहाई अवधि के बाद बंधपत्र (बॉन्ड) पर रिहा किया जाता है।

- प्रथम पेशी (First production) — गिरफ्तार व्यक्ति का मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के भीतर पहली बार पेश होना, जहाँ हिरासत या जमानत का फैसला होता है।

एक पंक्ति में पूरी श्रृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

छोटे आरोप में गरीब अभियुक्त की गिरफ्तारी → प्रथम पेशी पर वकील नहीं, इसलिए जमानत की अर्जी नहीं → सहायता पहुँचने तक 171 दिन जेल में → मजदूरी का नुकसान, भीड़ भरी जेलें → देर से जमानत

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)

1. संविधान और सर्वोच्च न्यायालय ने कर्तव्य को शुरुआत पर ही रखा है — 42वें संशोधन, 1976 द्वारा जोड़ा गया अनुच्छेद 39क निःशुल्क विधिक सहायता पर एक नीति निदेशक तत्व है; अनुच्छेद 22(1) वकील से परामर्श का मूल अधिकार है। हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य (Hussainara Khatoon v State of Bihar, 1979) में त्वरित सुनवाई को अनुच्छेद 21 का अंग माना गया, और खत्री बनाम बिहार राज्य (Khatri v State of Bihar, 1981) में कहा गया कि सहायता देने का कर्तव्य प्रथम पेशी से ही शुरू होता है।

2. धारा 479 (BNSS) लंबी हिरासत को जमानत के हक में बदल देती है — अधिकतम अवधि की आधी तक हिरासत में रहा विचाराधीन कैदी “न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा किया जाएगा”; पहली बार अपराध करने वाला एक-तिहाई के बाद बंधपत्र पर। मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध इससे बाहर हैं। 23 अगस्त 2024 को सर्वोच्च न्यायालय ने जेल अधीक्षकों से कहा कि ये आवेदन वे स्वयं आगे बढ़ाएँ (गृह मंत्रालय के 24 अक्टूबर 2024 के पत्र के अनुसार)।

यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)

1. क्या निःशुल्क विधिक सहायता कानून में अधिकार है पर व्यवहार में देर से मिलती है, और समय को कौन सुधारेगा? — GS2 में “इन कमज़ोर वर्गों की सुरक्षा और बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान और निकाय” का उल्लेख है। तीन आयाम अपेक्षित हैं: अनुच्छेद 21 और 22 के अंतर्गत स्वतंत्रता, विधिक सेवाओं की क्षमता और जेलों में भीड़।

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)

- अनुच्छेद 39क (निःशुल्क विधिक सहायता) 42वें संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा जोड़ा गया और यह राज्य की नीति का एक निदेशक तत्व है।
- विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 के अंतर्गत हिरासत में बंद व्यक्ति आय की परवाह किए बिना निःशुल्क विधिक सेवाओं का हकदार है।
- भारत का मुख्य न्यायाधीश NALSA का मुख्य संरक्षक (Patron-in-Chief) होता है; इसका कार्यकारी अध्यक्ष भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद राष्ट्रपति द्वारा नामित सर्वोच्च न्यायालय का कार्यरत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है।

विश्लेषण (ANALYSIS)

1. समय ही अधिकार है: महीनों बाद आई सहायता जमानत की लड़ाई पहले ही हार चुकी होती है — जमानत जल्दी मिलती है तो असर करती है; बिताए जा चुके दिन लौटाए नहीं जा सकते। सहायता से पहले लिंग, आय, शिक्षा और व्यवसाय के सभी समूहों में केवल लगभग 1% से 6% प्रतिभागियों को जमानत मिली थी; सहायता के बाद 61% से 92% को मिली। फिर भी सहायता गिरफ्तारी के 171 दिन बाद पहुँची। दूसरा पक्ष: प्रतिभागी यादृच्छिक रूप से नहीं चुने गए थे, इसलिए यह तुलना वर्णनात्मक है, कारण-परिणाम सिद्ध करने वाली नहीं। इससे 84% का आँकड़ा कमज़ोर पड़ता है, समय संबंधी निष्कर्ष नहीं, जो प्रतिभागियों की अपनी तिथियों पर टिका है।

2. देरी का बोझ उन परिवारों पर पड़ता है जो उसे सबसे कम सह सकते हैं — आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (Periodic Labour Force Survey) में समान श्रमिकों से मिलान कर लेखक अनुमान लगाते हैं कि गिरफ्तारी से रिहाई तक कुछ आयु-वर्गों का नुकसान लगभग ₹2 लाख तक है; जबकि 60% से अधिक प्रतिभागी साल में ₹80,000 से कम कमाते हैं। केवल सहायता मिलने के बाद के समय में सबसे गंभीर आरोपों वाले लगभग ₹80,000 गँवाते हैं, जो सबसे कम गंभीर आरोप वालों के ₹21,000 से लगभग चार गुना है। प्रति-तर्क: ये ऊपरी सीमा के अनुमान हैं; आधे हों तब भी ये महीनों की आमदनी के बराबर हैं।

3. संस्थागत दृष्टि: चार निकाय इस कड़ी को धामते हैं, इसलिए देरी किसी की ज़िम्मेदारी नहीं — गिरफ्तारी पुलिस तय करती है; रिमांड मजिस्ट्रेट; वकील कितनी बार मिलने आएँगे यह DLSA; और कौन पात्र है, यह जेल अधीक्षक जानता है। सर्वोच्च न्यायालय का 23 अगस्त 2024 का आदेश उपाय दिखाता है: उसने धारा 479 के आवेदनों के लिए जेल अधीक्षक को ज़िम्मेदार ठहराया। दूसरा पक्ष: खत्री का निर्णय मजिस्ट्रेटों को पहले से बाध्य करता है। परंतु जिस कर्तव्य के लिए न कोई नामित अधिकारी है न समय-सीमा, वही कमी ये आँकड़े उजागर करते हैं।

दोनों पक्ष (BOTH SIDES)	● + पक्ष में: जल्दी मिली सहायता सस्ती आज़ादी है: प्रथम पेशी पर लगी एक ज़मानत अर्ज़ी महीनों की हिरासत बचाती है और जेलों की भीड़ घटाती है। ● + पक्ष में: यह दया नहीं, अनुपालन है: अनुच्छेद 39क और खत्री का निर्णय दायित्व को प्रथम पेशी पर ही रखते हैं। ● - विपक्ष में: DLSA पर पहले से बोझ है: हर अदालत में हर रिमांड पर वकील देने के लिए जितना धन और जितने लोग चाहिए, उतने कई ज़िलों में नहीं हैं। ● - विपक्ष में: केवल जल्दी अर्ज़ी से जेलें खाली नहीं होंगी: अदालतों को फ़रार होने का जोखिम तौलना पड़ता है, और गरीब प्रायः ज़मानती नहीं जुटा पाते।
आगे की राह (WAY FORWARD)	1. हर प्रथम पेशी पर एक वकील — DLSA को रिमांड अदालतों में वकीलों की रोस्टर-ड्यूटी लगानी चाहिए, जैसा खत्री बनाम बिहार राज्य (1981) में अपेक्षित है। 2. जेल में आए नए कैदियों की दैनिक सूची DLSA को — गिरफ़्तारी के समय या उसके तुरंत बाद कैदियों की पहचान कर लेना ही वह सीख है जिसे लेखक सबसे अधिक व्यावहारिक बताते हैं। 3. विधिक सहायता का समुचित मूल्यांकन हो — लेखकों की सिफ़ारिश के अनुसार प्रतिभागियों की तुलना समान प्रतिवादियों से की जाए और रिहाई के बाद भी उनका अनुगमन किया जाए।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	“जेल में महीनों बिताने के बाद पहुँचने वाली विधिक सहायता वास्तव में सहायता से इनकार है।” भारत के विचाराधीन कैदियों के संदर्भ में इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. निर्देश — आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए — दिखाइए कि देर से मिली सहायता स्वतंत्रता के अधिकार को कैसे विफल करती है, फिर तौलिए कि वह फिर भी क्या हासिल करती है, और तब निष्कर्ष दीजिए। 2. प्रस्तावना — अंतर से शुरुआत कीजिए — नमूना: भारत के तीन-चौथाई से अधिक कैदी विचाराधीन हैं, और महाराष्ट्र के एक कार्यक्रम में निःशुल्क विधिक सहायता उन तक जेल में 171 दिन बिताने के बाद ही पहुँची। 3. मुख्य भाग — अधिकार का आशय प्रथम पेशी से ही शुरू होना है — अनुच्छेद 39क, 22(1) और खत्री का निर्णय। प्रवाह-चित्र बनाइए: गिरफ़्तारी → प्रथम पेशी → ज़मानत की अर्ज़ी → रिहाई, और दर्शाइए कि वकील को कहाँ प्रवेश करना चाहिए और वह कहाँ करता है। 4. मुख्य भाग — जल्दी की मदद परिणाम बदलती है; देर की मदद खोया समय नहीं लौटा सकती — सहायता से पहले 1%-6% को ज़मानत, बाद में 61%-92% को; मज़दूरी का नुक़सान लगभग ₹2 लाख तक। 5. मुख्य भाग — प्रति-तर्क: देर से मिली सहायता भी हिरासत घटाती है, और आँकड़े वर्णनात्मक हैं — गैर-यादृच्छिक चयन, बोझ से दबे DLSA, और ऐसे ज़मानती जिन्हें गरीब जुटा नहीं पाते। 6. उपसंहार — DLSA को रिमांड के समय ही अभियुक्त तक पहुँचना होगा — नमूना: ज़िले में विधिक सहायता के लिए उत्तरदायी अधिकारी के रूप में मैं सबसे पहले हर रिमांड अदालत में एक वकील तैनात करूँगा, क्योंकि शुरुआती हफ़्तों में गई आज़ादी की भरपाई नहीं हो सकती।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	प्रश्न 1. आप ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव हैं। जेल के अधिकांश विचाराधीन कैदी दिहाड़ी मज़दूर हैं और आपके वकील महीने में एक बार जेल जाते हैं। आप सबसे पहले क्या करेंगे? दृष्टिकोण (Approach): मेरे सामने तीन रास्ते हैं: जेल-भ्रमण बढ़ाना, धारा 479 के थोक आवेदन दाखिल करना, या सहायता शुरू होने का समय ही बदलना। पहले दो आज का बैकलॉग साफ़ करते हैं, पर कल की गिरफ़्तारियों को इंतज़ार में छोड़ देते हैं। मैं तीसरे से शुरू करूँगा: जेल से दैनिक प्रवेश-सूची मँगवाना और हर रिमांड अदालत में एक विधिक सहायता अधिवक्ता की रोस्टर-ड्यूटी लगाना, साथ में धारा 479 का अभियान भी चलाना। विचाराधीन कैदियों और उनके परिवारों को सबसे अधिक लाभ होगा: मजिस्ट्रेट ज़मानत की अर्ज़ियाँ समय पर सुन सकेंगे; पैनल के वकीलों पर रोज़ का बोझ बढ़ेगा। निर्णायक सिद्धांत खत्री का है: जो सहायता प्रथम पेशी पर देय है, वह तभी दी जानी चाहिए।
कर्मयोगी की कसौटी (तीन A)	क्षमता (Ability) — हस्तांतरण की कड़ी को ठीक करना, यानी रिमांड अदालतों से जुड़ी दैनिक प्रवेश-सूची बनाना, न कि ऐसे दौर बढ़ाना जो ज़मानत की उपयुक्त घड़ी निकल जाने के बाद ही पहुँचते हैं।

1.2 मद्रास उच्च न्यायालय ने छह इस्तीफ़ों को स्वीकार करने के अध्यक्ष के निर्णय को सही ठहराया, दल-बदल याचिकाओं का दो माह में निपटारा करने का आदेश दिया

संक्षेप में (IN BRIEF)

मुद्दा दल-बदल और दसवीं अनुसूची (कडी 4) **दृष्टि (Lens)** स्वतंत्रता और जवाबदेही

अब तक की कहानी न्यायालय दल-बदल याचिकाओं पर अध्यक्षों पर दबाव बना रहे हैं; सर्वोच्च न्यायालय ने तेलंगाना के एक विधायक की अयोग्यता को बरकरार रखा, और लोकसभा अध्यक्ष ने 20 बागी TMC सांसदों को 20 अक्टूबर तक का समय दिया।

समाचार (THE NEWS) चेन्नई। मद्रास उच्च न्यायालय ने मंगलवार को तमिलनाडु के अध्यक्ष जे.सी.डी. प्रभाकर द्वारा AIADMK के छह विधायकों के इस्तीफ़े स्वीकार करने के निर्णय को सही ठहराया; ये विधायक 26 मई से 29 जून 2026 के बीच इस्तीफ़ा देकर बाद में सत्तारूढ़ TVK में शामिल हो गए थे। परंतु मुख्य न्यायाधीश सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति जी. अरुल मुरुगन की पीठ ने उन्हें निर्देश दिया कि इनमें से चार के विरुद्ध अयोग्यता की कार्यवाही दो माह के भीतर निपटाएँ; इनमें दो उन्हीं सीटों से दोबारा चुने जा चुके हैं। यह कार्यवाही चार माह से नोटिस के चरण पर ही अटकी थी। अध्यक्ष को सात दिन में समय-सारणी प्रकाशित करनी होगी और दो से अधिक स्थगन नहीं देने होंगे। पीठ ने कहा कि वे “अपनी व्यक्तिगत पसंद-नापसंद से ऊपर उठने और पद की गरिमा का सम्मान करने के लिए बाध्य” हैं।

परीक्षा के लिए क्यों ज़रूरी (WHY IT MATTERS FOR THE EXAM)	GS2 में राज्य विधानमंडलों के कार्य एवं शक्तियों का उल्लेख है। मुख्य परीक्षा का कोण यह है कि अध्यक्ष एक अधिकरण के रूप में देरी करके दसवीं अनुसूची को विफल कर सकता है; यह निर्णय केवल समय-सीमा से आगे जाकर सार्वजनिक समय-सारणी और स्थगन की सीमा भी तय करता है। प्रारंभिक परीक्षा के लिए दसवीं अनुसूची और अनुच्छेद 190(3)(b) जानिए।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	● दसवीं अनुसूची 52वें संशोधन, 1985 द्वारा जोड़ी गई; पैराग्राफ 2(1)(क) उस सदस्य को अयोग्य ठहराता है जो “स्वेच्छा से” अपने दल की सदस्यता छोड़ दे। ● अनुच्छेद 190(3)(b): यदि अध्यक्ष संतुष्ट हो कि विधायक का इस्तीफ़ा स्वैच्छिक या वास्तविक नहीं है, तो वह उसे स्वीकार नहीं करेगा। ● किहोतो होलोहान (Kihoto Hollohan, 1992): अयोग्यता का निर्णय करते समय अध्यक्ष अधिकरण के रूप में कार्य करता है, जो न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन है। ● केशम मेघचंद्र सिंह (Keisham Meghachandra Singh, 2020): अयोग्यता याचिकाओं का निपटारा सामान्यतः तीन माह के भीतर होना चाहिए।
जानने योग्य अवधारणाएँ (CONCEPTS TO KNOW)	● दसवीं अनुसूची के अंतर्गत अधिकरण के रूप में अध्यक्ष (Speaker as tribunal under the Tenth Schedule) · अयोग्यता याचिकाओं के निपटारे की समय-सीमा (Time limit for deciding disqualification petitions) ● इनकी छोटी व्याख्या: upscdarpan.in → कॉन्सेप्ट बूस्टर → आज के कॉन्सेप्ट

2. अर्थव्यवस्था (Economy)

आज की दोनों आर्थिक खबरें एक ही सवाल उठाती हैं: भारत के सार्वजनिक बुनियादी ढाँचे का खर्च कौन उठाए, और किन शर्तों पर? केंद्र राज्यों को सड़कों और अस्पतालों के लिए ₹2 लाख करोड़ का ब्याज-मुक्त धन दे रहा है, पर शर्तों के साथ, और राज्य उसे धीमी रफ्तार से ले रहे हैं। भुगतान उद्योग चाहता है कि दुकानदार UPI का शुल्क दें, पर व्यापारियों की पैरवी के बाद यह शुल्क दीपावली के बाद तक टल गया है। दोनों ही मामलों में सबसे सस्ता धन दूसरे के नियमों के साथ आता है।

2.1 SASCI के तहत ₹2 लाख करोड़ के 50-वर्षीय ब्याज-मुक्त पूँजीगत ऋण लेने में राज्य धीमे

गहन अध्ययन — आज का बड़ा मुद्दा (DEEP READ — the day's big issue)

आरवी सर का फ़ॉर्मूला · श्रेणी 3 — आम नागरिक से जुड़ा विकास का मुद्दा: आपके ज़िले की कोई सड़क, अस्पताल का भवन या नहर अक्सर राज्य के पूँजीगत व्यय से बनती है; यह योजना उसका खर्च उठाती है, बशर्ते राज्य उसका दावा करे।

मुद्दा Special Assistance to States for Capital Investment (नया मुद्दा) **दृष्टि (Lens)** केंद्र और राज्य · तात्कालिक राहत और दीर्घकालिक सुधार अब तक की कहानी वर्ष 2020-21 से केंद्र पूँजीगत परियोजनाओं के लिए राज्यों को 50 वर्ष के ब्याज-मुक्त ऋण दे रहा है। 2026-27 के लिए व्यय विभाग के 27 मार्च के दिशानिर्देशों में ₹2 लाख करोड़ तय किए गए, जिन्हें बारह हिस्सों में बाँटा गया है।

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली। द इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार व्यय विभाग (DoE) ने अक्टूबर के पहले सप्ताह में राज्यों को पत्र लिखकर राज्यों को पूँजीगत निवेश के लिए विशेष सहायता योजना (Scheme for Special Assistance to States for Capital Investment, SASCI) के उपयोग में तेज़ी लाने को कहा। कई राज्यों ने उपलब्ध धन नहीं लिया है या उपयोगिता प्रमाणपत्र जमा नहीं किए हैं। 1 अक्टूबर तक केंद्र ने ₹67,000 करोड़ मंजूर किए थे और लगभग ₹51,000 करोड़ जारी किए थे, जो वर्ष के ₹2 लाख करोड़ का मोटे तौर पर चौथाई हिस्सा है; वास्तविक खर्च इससे भी कम है। जुलाई तक जारी राशि ₹44,500 करोड़ पहुँच चुकी थी; एक अधिकारी ने “जुलाई के बाद सुस्ती” की बात कही। DoE प्रमाणपत्रों का पीछा कर रहा है, मंजूरीयाँ तेज़ कर रहा है और राज्यों को उपयुक्त परियोजनाएँ खोजने में मदद दे रहा है, तथा उसे उम्मीद है कि राज्य दूसरी छमाही में पूरी राशि का उपयोग कर लेंगे।

पहले समझें — पृष्ठभूमि (FIRST, UNDERSTAND (BACKGROUND))

1. पूँजीगत खर्च से चीज़ें बनती हैं; राजस्व खर्च से काम चलता है — वेतन, पेंशन, ब्याज और सब्सिडी उसी वर्ष खप जाते हैं; यह राजस्व व्यय है। पुल, अस्पताल या नहर दशकों तक लोगों के काम आती हैं: यह पूँजीगत व्यय (Capital Expenditure, capex) है। पूँजीगत व्यय से सीमेंट के ऑर्डर, निर्माण में रोज़गार और निजी निवेश भी खिंचकर आता है।
2. नागरिक रोज़ जो कुछ इस्तेमाल करते हैं, उसका अधिकांश राज्य बनाते हैं — ज़िला सड़कें, नहरें, थाने और सरकारी अस्पताल ज्यादातर राज्यों के काम हैं। पर राज्य जितना खर्च करते हैं उससे कम कर जुटाते हैं और उनकी उधारी की सीमा तय है, इसलिए सबसे पहले पूँजीगत खर्च में कटौती होती है: वेतन टाला नहीं जा सकता, पुलिया टाली जा सकती है।
3. SASCI कैसे काम करती है — SASCI राज्यों को 50 वर्ष के लिए बिना ब्याज के, उनकी सामान्य उधारी सीमा से बाहर, धन उधार देती है। 2026-27 में ₹75,000 करोड़ बिना शर्त के हैं, जो मुख्यतः केंद्रीय करों में हर राज्य के हिस्से के अनुपात में बँटते हैं। शेष राशि तभी मिलती है जब राज्य कोई शर्त पूरी करे, जैसे पूँजीगत व्यय बढ़ाना, एग्रीस्टैक (AgriStack) लागू करना, खनन सुधार करना या मार्ग-अधिकार (Right of Way) नियम अपनाना।

कठिन शब्द (KEY TERMS)

- पूँजीगत व्यय (Capital expenditure, capex) — वह खर्च जिससे सड़क या भवन जैसी टिकाऊ संपत्ति बनती है; रोज़ के संचालन-खर्च से अलग।
- सशर्त (सुधार-संबद्ध) अंतरण (Conditional, reform-linked transfer) — वह धन जो केंद्र राज्य को तभी देता है जब राज्य कोई तय शर्त पूरी करे या कोई निर्दिष्ट सुधार कर ले।
- राज्यों की राजकोषीय घाटा सीमा (Fiscal deficit limit of States) — हर राज्य के राजकोषीय उत्तरदायित्व कानून में तय वार्षिक उधारी की सीमा, जो आमतौर पर उसके सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) का 3% होती है।
- उपयोगिता प्रमाणपत्र (Utilisation certificate, UC) — राज्य का वह प्रमाणपत्र कि प्राप्त धन स्वीकृत उद्देश्य पर ही खर्च हुआ; अगली किस्त मिलने से पहले आमतौर पर यही चाहिए।

एक पंक्ति में पूरी शृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

केंद्र ₹2 लाख करोड़ के ब्याज-मुक्त ऋण देता है → अधिकांश धन शर्तों और कागज़ी कार्रवाई से बँधा है → राज्यों के पास तैयार परियोजनाएँ नहीं या UC देर से जमा होते हैं → जुलाई के बाद राशि जारी होना धीमा → मार्च से पहले हड़बडी में घटिया खर्च का जोखिम

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS)

1. अनुच्छेद 293 राज्यों की उधारी में केंद्र को दखल देता है — अनुच्छेद 293(2) भारत सरकार को राज्यों को ऋण देने की अनुमति देता है। अनुच्छेद 293(3) के अनुसार जिस राज्य पर केंद्र का

LINKAGE)	ऋण बकाया है, उसे कोई भी नया ऋण लेने के लिए केंद्र की सहमति चाहिए; इसीलिए केंद्र हर राज्य की उधारी की सीमा तय करता है। 2. केंद्रीय धन के दो रास्ते — अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग सिफारिश करता है कि केंद्रीय करों का राज्यों में बँटवारा कैसे हो; यह धन बिना शर्त का होता है। अनुच्छेद 282 किसी भी सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अनुदान की अनुमति देता है, जो शर्तों वाली केंद्र-निर्मित योजनाओं का आधार है। SASCI एक ऋण है, पर यह योजना वाले रास्ते पर चलती है।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)	1. क्या सशर्त केंद्रीय अंतरण राज्यों के पूँजीगत व्यय को मज़बूत करते हैं या राज्यों की स्वायत्तता को कमज़ोर? — GS3 में “सरकारी बजट-निर्माण” और “अवसंरचना” तथा GS2 में “संघीय ढाँचे से संबंधित विषय और चुनौतियाँ” शामिल हैं। तीन आयामों की अपेक्षा रखें: पूँजीगत व्यय का गुणक प्रभाव, बिना शर्त बनाम सुधार-संबद्ध धन, और राज्यों की अच्छी तरह खर्च करने की क्षमता।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	● व्यय विभाग द्वारा संचालित SASCI राज्यों को पूँजीगत परियोजनाओं के लिए 50 वर्ष के ब्याज-मुक्त ऋण देती है, जो उनकी सामान्य निवल उधारी सीमा (Net Borrowing Ceiling) से बाहर होते हैं; यह 2020-21 में पूँजीगत व्यय के लिए राज्यों को विशेष सहायता (Special Assistance to States for Capital Expenditure) के नाम से शुरू हुई थी। ● अनुच्छेद 293(3) के अनुसार जिस राज्य पर भारत सरकार का ऋण बकाया है, उसे नया ऋण लेने के लिए केंद्र की सहमति आवश्यक है। ● अनुच्छेद 282 संघ या राज्य को किसी भी सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अनुदान देने की अनुमति देता है, चाहे वह उसकी विधायी क्षमता से बाहर ही क्यों न हो।
विश्लेषण (ANALYSIS)	1. राज्यों की सुस्ती का कारण ज़रूरत की कमी से ज्यादा योजना की शर्तें और कागज़ी कार्रवाई है — दिशानिर्देशों में बिना शर्त वाला हिस्सा दो किस्तों में जारी होता है: पहले 66% और फिर शेष 34%, जो तभी मिलता है जब राज्य पहली किस्त का 75% उपयोग कर ले, पुरानी योजनाओं के खाते बंद कर दे और अप्रयुक्त केंद्रीय धन लौटा दे; इससे पहले की किस्तों के लिए समेकित UC चाहिए। ET के अनुसार कुछ राज्यों ने न धन लिया है, न UC जमा किए हैं। दूसरा पक्ष यह है कि शर्तें ही तो असली मकसद हैं: अधूरी तैयारी वाली परियोजनाओं के लिए ऋण केवल धन को अटकाकर रखता है। यह सही है, पर जब कुल राशि का 62.5% सशर्त है, तो एक सुधार में पिछड़ने वाला राज्य पूँजीगत धन भी गँवा देता है। 2. लेंस — केंद्र और राज्य: ब्याज-मुक्त धन से केंद्र को राज्यों की प्राथमिकताओं में देखल का अधिकार मिलता है — वित्त आयोग का हस्तांतरण बिना शर्त का होता है: राज्य चाहे तो नहर बनाए या दवाखाना। इसके उलट SASCI के सशर्त हिस्से केंद्र की प्राथमिकताओं को पुरस्कृत करते हैं: 2026-27 के दिशानिर्देशों के अनुसार एग्रीस्टैक (₹13,000 करोड़), खनन सुधार (₹5,000 करोड़), मार्ग-अधिकार नियम (₹4,000 करोड़)। सबसे मज़बूत प्रति-तर्क यह है कि ये राष्ट्रीय लक्ष्य हैं जिन्हें राज्य वर्षों से टालते आए हैं, और किसी राज्य को शामिल होने के लिए बाध्य नहीं किया गया है। यह बात सही है, पर कमज़ोर प्रशासन वाले गरीब राज्य, जिनके लिए यह धन बना है, उसे कम ले पाएँगे। 3. लेंस — तात्कालिक राहत और दीर्घकालिक सुधार: धन लेने से ज्यादा मायने रखता है कि उससे बनता क्या है — पूरी राशि के उपयोग का लक्ष्य “मार्च की हडबडी” को न्योता देता है: जल्दबाज़ी में निविदाएँ, नालियों के बिना सड़कें, कर्मचारियों के बिना अस्पताल-भवन। ET के आँकड़ों के अनुसार जुलाई से अक्टूबर के बीच जारी राशि केवल लगभग ₹6,500 करोड़ बढ़ी, यानी अधिकांश खर्च अब दूसरी छमाही में आना है। भूमि और मंजूरियाँ कुछ महीनों में नहीं निपट सकतीं। दूसरा पक्ष: देरी से उत्पादन का भी नुकसान होता है। जो भी हो, गिनती जारी हुए रुपयों की नहीं, चालू संपत्तियों की होनी चाहिए।
दोनों पक्ष (BOTH SIDES)	● + पक्ष में: केंद्र: पैसे की तंगी में राज्य सबसे पहले पूँजीगत व्यय घटाते हैं, इसलिए उधारी सीमा से बाहर के ब्याज-मुक्त ऋण सड़कों, नहरों और अस्पतालों को बचाते हैं। ● + पक्ष में: सुधार के समर्थक: धन को एग्रीस्टैक, खनन और मार्ग-अधिकार नियमों से जोड़ने पर वर्षों से अटके सुधार पूरे होते हैं, और पूँजीगत व्यय वृद्धि का प्रोत्साहन निर्माण करने वाले राज्यों को पुरस्कृत करता है। ● – विपक्ष में: राज्य: धन के 62.5% हिस्से के साथ केंद्र की शर्तें और समय-सीमाएँ जुड़ी हैं, जिससे निर्णय का अधिकार निर्वाचित राज्य सरकारों से हटकर संघ के पास चला जाता है। ● – विपक्ष में: लोक-वित्त के आलोचक: दूसरी छमाही का दबाव जल्दबाज़ी की परियोजनाओं को बढ़ावा देता है, और ऋण कितना भी सस्ता हो, राज्यों का कर्ज तो बढ़ाता ही है।

आगे की राह (WAY FORWARD)	1. तैयार परियोजनाओं की सूची रखें — राज्यों के वित्त और नियोजन विभागों के पास अप्रैल से पहले परियोजना रिपोर्ट, भूमि और मंजूरीयाँ तैयार होनी चाहिए, ताकि ऋण पहली छमाही में ही ले लिया जाए। 2. बिना शर्त वाला हिस्सा सरल करें; रखरखाव के लिए धन दें — DoE सरल शर्तों पर बिना शर्त का अधिक धन शुरू में ही जारी कर सकता है, और राज्यों को रखरखाव का बजट बनाना चाहिए तथा केवल खर्च हुए रुपये नहीं, चालू संपत्तियों की भी रिपोर्ट देनी चाहिए।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	राज्यों को दिए गए व्याज-मुक्त पूँजीगत ऋण उदार हैं, फिर भी राज्य उनका धीमा उपयोग कर रहे हैं। इसके कारणों और राजकोषीय संघवाद के लिए इसके निहितार्थों का परीक्षण कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. निर्देश — परीक्षण कीजिए — कारणों की पड़ताल कीजिए और केंद्र-राज्य राजकोषीय संबंधों के लिए उनका अर्थ बताइए; अंत में अपना मत दीजिए। 2. प्रस्तावना — सस्ता धन, धीमा उपयोग — नमूना: 1 अक्टूबर तक केंद्र ने 2026-27 के ₹2 लाख करोड़ के व्याज-मुक्त SASCI ऋणों में से केवल लगभग ₹51,000 करोड़ जारी किए थे, जबकि राज्यों को पूँजीगत व्यय की सबसे अधिक ज़रूरत है। 3. मुख्य भाग — देरी की वजह लागत नहीं, शर्तें और कागज़ी कार्रवाई हैं — दो किस्में, पहली का 75% उपयोग, UC, बंद किए जाने वाले पुराने खाते। मूल्य-वर्धन: कुल राशि का 62.5% सशर्त है (2026-27 के दिशानिर्देश)। 4. मुख्य भाग — सशर्त ऋण चुनाव का अधिकार राज्यों से केंद्र को सौंप देते हैं — अनुच्छेद 280 के बिना शर्त हस्तांतरण की तुलना योजना-धन से कीजिए; अनुच्छेद 293(3) का उल्लेख कीजिए। प्रवाह-चित्र बनाइए: ₹2 लाख करोड़ का बँटवारा बिना शर्त के ₹75,000 करोड़ और सशर्त हिस्सों में, हर हिस्से की अपनी शर्त के साथ। 5. मुख्य भाग — दूसरी छमाही की हड़बडी संपत्तियों की गुणवत्ता के लिए खतरा है — मार्च की हड़बडी, भूमि संबंधी देरी, रखरखाव के बजट का अभाव; कमज़ोर राज्य कम धन ले पाते हैं। 6. उपसंहार — वित्त विभाग तैयारी करे, DoE राह आसान करे — नमूना: हर राज्य के वित्त विभाग को अप्रैल से ही मंज़ूर परियोजनाएँ तैयार रखनी चाहिए और DoE को बिना शर्त का धन जल्दी जारी करना चाहिए, क्योंकि पूँजीगत व्यय की कसौटी चालू संपत्तियाँ हैं।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	प्रश्न 1. राज्य के वित्त सचिव के रूप में आप जनवरी में पाते हैं कि दो माह शेष रहते SASCI का ₹X करोड़ अनुपयोगी पड़ा है। आप सबसे पहले क्या करेंगे? दृष्टिकोण (Approach): मेरे विकल्प हैं: 31 मार्च से पहले निविदाओं की हड़बडी, धन छोड़ देना, या केवल उतना लेना जितना तैयार परियोजनाएँ खपा सकें। निविदाओं की हड़बडी कागज़ पर पूरा उपयोग दिखाएंगी, पर ऐसी घटिया सड़कें देगी जिनका कर्ज़ राज्य पचास वर्ष चुकाएगा; धन छोड़ने से प्रतीक्षारत ज़िले नुकसान उठाएँगे। मैं सबसे पहले लंबित उपयोगिता प्रमाणपत्र निपटाऊँगा, क्योंकि वही आगे की हर किस्त रोकते हैं; फिर भूमि, मंजूरीयाँ और स्वीकृत अनुमानों वाली परियोजनाओं की सूची बनाऊँगा और केवल उन्हीं के लिए दावा करूँगा। शेष अगले वर्ष की सूची में जाएगा। निर्णायक सिद्धांत है कि सार्वजनिक धन का मूल्य पूरे उपयोग के दिखावे से ऊपर है।
कर्मयोगी की कसौटी (तीन A)	सादगी (Austerity) — राज्य के पास अनुपयोगी धन दिखे तो भी केवल तैयार परियोजनाओं के लिए ऋण का दावा करना, मार्च की निविदा-हड़बडी से बचना, जिसका बोझ करदाता पचास वर्ष तक उठाएँगे।

2.2 NPCI ने ₹2,000 से अधिक के UPI भुगतानों पर 0.4% व्यापारी शुल्क दीपावली तक टाला

संक्षेप में (IN BRIEF)

मुद्दा UPI मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) (कड़ी 6) **दृष्टि (Lens)** बाज़ार और राज्य

अब तक की कहानी 15 अक्टूबर से ₹2,000 से अधिक के व्यापारिक UPI भुगतानों पर 0.4% शुल्क लगना था, जिसकी अधिकतम सीमा ₹300 थी; व्यक्ति-से-व्यक्ति भुगतान मुफ्त रहेंगे। व्यापारियों और राजनीतिक दलों ने आपत्ति की, और सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र से इस शुल्क का स्पष्टीकरण माँगा।

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली। नया क्या है: मंगलवार को NPCI ने कहा कि उसकी UPI एवं सेवा संचालन समिति ने “त्योहारी मौसम को ध्यान में रखते हुए” तय किया है कि चुनिंदा व्यक्ति-से-व्यापारी UPI भुगतानों पर व्यापारी छूट दर (Merchant Discount Rate, MDR, यानी डिजिटल भुगतान स्वीकार करने पर व्यापारी के बैंक द्वारा लिया जाने वाला शुल्क) “दीपावली के तुरंत बाद” लागू होगी, जिसकी तारीख बाद में अधिसूचित होगी, 15 अक्टूबर से नहीं। सरकारी सूत्रों ने द हिंदू को बताया कि व्यापारियों की अपील के

बाद यह निर्णय प्रधानमंत्री कार्यालय में लिया गया; कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने 30 सितंबर को वित्त मंत्री से भेंट की थी। ₹2,000 से अधिक के भुगतान व्यक्ति-से-व्यापारी भुगतानों के मूल्य का लगभग दो-तिहाई हैं (द इंडियन एक्सप्रेस)। सर्वोच्च न्यायालय ने NPCI, केंद्र और RBI से अक्टूबर के अंत तक हलफनामे दाखिल करने को कहा है।

परीक्षा के लिए क्यों ज़रूरी (WHY IT MATTERS FOR THE EXAM)	GS3 के डिजिटल भुगतान और संसाधन जुटाने के विषय। मुख्य परीक्षा में पूछा जा सकता है कि सार्वजनिक डिजिटल ढाँचे का खर्च कौन उठाए: व्यापारी MDR के ज़रिये, या करदाता प्रोत्साहनों के ज़रिये, जो ET के अनुसार तंत्र की लगभग ₹21,000 करोड़ की वार्षिक लागत के मुकाबले बहुत कम है। यह टालना यह भी दिखाता है कि पैरवी विनियमित कीमतों को कैसे प्रभावित करती है।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	● BHIM-UPI और RuPay डेबिट कार्ड भुगतानों पर MDR 1 जनवरी 2020 से शून्य है, जो भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (Payment and Settlement Systems Act, 2007) की धारा 10A तथा आयकर अधिनियम, 1961 (Income-tax Act, 1961) की धारा 269SU के अंतर्गत है। ● NPCI (2008), RBI और भारतीय बैंक संघ (Indian Banks' Association) की पहल है, और कंपनी अधिनियम (Companies Act) के तहत एक गैर-लाभकारी धारा 8 कंपनी है। ● RBI भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत भुगतान प्रणालियों का विनियमन करता है।
जानने योग्य अवधारणाएँ (CONCEPTS TO KNOW)	● व्यापारी छूट दर (Merchant Discount Rate) · UPI के लिए शून्य-MDR का आदेश (Zero-MDR mandate for UPI) ● इनकी छोटी व्याख्या : upscdarpan.in → कॉन्सेप्ट बूस्टर → आज के कॉन्सेप्ट

3. कृषि एवं खाद्य (Agriculture & Food)

जो किसान सब्सिडी वाला यूरिया या DAP खरीदने जाए, उसे यूरिया या DAP का ही दाम देना चाहिए, सूक्ष्म पोषक तत्वों के उस पैकेट का नहीं जो उसने माँगा ही नहीं। बिहार का “टैगिंग” के विरुद्ध आदेश इसी सीधे-सादे अधिकार की रक्षा करता है, और उर्वरक उद्योग की आपत्ति दिखाती है कि सब्सिडी की व्यवस्था खेत तक पहुँचने वाली चीज़ को कैसे गड़बदी है।

3.1 बिहार ने सब्सिडी वाले उर्वरक के विक्रेताओं को किसानों से ज़बरदस्ती गैर-सब्सिडी उत्पाद खरीदवाने से रोका

संक्षेप में (IN BRIEF)

मुद्दा उर्वरक आपूर्ति संकट (कडी 3) **दृष्टि (Lens)** विकास और समता

अब तक की कहानी रिफ़ाइनरियों पर हमलों तथा रूस और चीन द्वारा निर्यात-प्रतिबंधों के बाद एक वर्ष में सल्फ़र की पहुँच-लागत लगभग तीन गुनी हो गई, जिससे DAP और SSP का उत्पादन दबाव में है; अगस्त में उर्वरक उत्पादन 12.4% गिरा, जो लगातार छठी मासिक गिरावट है।

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली। द इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार बिहार भी महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की तरह उन कंपनियों द्वारा गैर-सब्सिडी उर्वरकों की बिक्री पर रोक लगा रहा है जो यूरिया, डाई-अमोनियम फ़ॉस्फ़ेट (DAP), NPK मिश्रित उर्वरक और म्युरेट ऑफ़ पोटेश जैसे सब्सिडी वाले उत्पाद आपूर्ति करती हैं। उद्देश्य “टैगिंग” को रोकना है, जिसमें डीलर या आपूर्तिकर्ता किसान को सब्सिडी वाला उर्वरक देने की शर्त के रूप में गैर-सब्सिडी उत्पाद खरीदने को बाध्य करते हैं। उत्तर प्रदेश में यह प्रतिबंध 1 जनवरी 2026 से लागू हुआ। 9 अक्टूबर के एक संयुक्त पत्र में प्रमुख उर्वरक कंपनियों ने बिहार से अपने आदेश की समीक्षा करने को कहा, यह तर्क देते हुए कि इससे किसानों की नए पोषक तत्वों तक पहुँच घट सकती है और बिहार की मिट्टी में जैविक कार्बन कम होने के कारण संतुलित पोषण महत्वपूर्ण है। उद्योग के अनुमान से मार्जिन का नुकसान ₹120 करोड़ तक हो सकता है।

परीक्षा के लिए क्यों ज़रूरी (WHY IT MATTERS FOR THE EXAM)	GS3 में “प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कृषि सब्सिडी से संबंधित मुद्दे” आते हैं। प्रारंभिक परीक्षा में उर्वरक नियंत्रण व्यवस्था और यूरिया बनाम NBS का विभाजन पूछा जाता है। मुख्य परीक्षा के लिए टैगिंग दिखाती है कि कम आपूर्ति वाला और मूल्य-नियंत्रित आदान विप्रेताओं को किसानों से छिपी वसूली का मौका कैसे देता है, जबकि कंपनियाँ तर्क देती हैं कि फ़सल-पोषण में नवाचार के लिए खुली बिक्री ज़रूरी है।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	● उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 [Fertiliser (Control) Order] आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अंतर्गत जारी होता है; यह उर्वरकों की बिक्री, गुणवत्ता और डीलरों के पंजीकरण को विनियमित करता है। ● यूरिया वैधानिक रूप से अधिसूचित अधिकतम खुदरा मूल्य पर बिकता है; केंद्र निर्माताओं को लागत और उस मूल्य के अंतर का भुगतान करता है। ● 2010 से DAP और MOP जैसे P&K उर्वरकों को पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना (Nutrient Based Subsidy) के अंतर्गत पोषक तत्वों (N, P, K, S) पर प्रति किलो निश्चित सब्सिडी मिलती है।
जानने योग्य अवधारणाएँ (CONCEPTS TO KNOW)	● उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 (Fertiliser (Control) Order, 1985) · पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना (Nutrient Based Subsidy scheme) ● इनकी छोटी व्याख्या : upscdarpan.in → कॉन्सेप्ट बूस्टर → आज के कॉन्सेप्ट

4. अंतर्राष्ट्रीय संबंध (International Relations)

आज की दोनों खबरें इस बारे में हैं कि कोई राज्य अपने ही अभिलेखों में क्या लिखता है। सर्वे ऑफ़ इंडिया के नक्शे पर दर्ज एक नाम बीजिंग से तीखा जवाब खींच लाता है, तो मॉस्को में हस्ताक्षरित एक कानून विदेश में भारतीय कामगारों के रोज़गार को संधि का विषय बना देता है। दोनों ही मामलों में भारत की चुपचाप की गई कागज़ी कार्रवाई उसके आसपास के भाषणों से कहीं ज़्यादा वज़न रखती है।

4.1 चीन ने कहा लद्दाख को “कभी मान्यता नहीं दी”; भारत ने 28 मानक नामों पर आपत्ति खारिज की

गहन अध्ययन — आज का बड़ा मुद्दा (DEEP READ — the day's big issue)

आरवी सर का फ़ॉर्मूला · श्रेणी 2 — अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव वाली राष्ट्रीय घटना: भारत के अपने नक्शे पर किसी चोटी का नामकरण एक घरेलू कार्य है; चीन का जवाब उसे LAC पर ज़मी बर्फ़ पिघलने की परीक्षा बना देता है, और इस बात की भी कि भारत अपनी संप्रभुता कैसे जताता है।

मुद्दा BRICS के बाद भारत-चीन संबंध (कडी 5) दृष्टि (Lens) रणनीतिक स्वायत्तता और साझेदारी · राष्ट्रीय हित और वैश्विक साझा हित

अब तक की कहानी 2024 की मोदी-शी मुलाकात के बाद संबंध सामान्य हुए। सितंबर में दिल्ली में हुए ब्रिक्स (BRICS) शिखर सम्मेलन में मोदी ने शी से कहा कि संबंध आपसी सम्मान, हित और संवेदनशीलता पर टिके होने चाहिए। 2 अक्टूबर को गृह मंत्रालय ने लद्दाख के 28 स्थानों के मानक नाम अधिसूचित किए।

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली/बीजिंग। भारत और चीन के बीच मंगलवार, 13 अक्टूबर को लद्दाख के 28 स्थानों और भू-आकृतियों के भारत द्वारा तय मानक नामों को लेकर तकरार हुई। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि चीन ने भारत द्वारा “एकतरफ़ा और अवैध रूप से स्थापित तथाकथित ‘केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख’ को कभी मान्यता नहीं दी है”। उन्होंने इन नामों को “अवैध और अमान्य” बताया और कहा कि सीमा के पश्चिमी क्षेत्र के ये इलाके “हमेशा से चीन के रहे हैं”। कुछ घंटों बाद विदेश मंत्रालय (MEA) के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने जवाब दिया कि लद्दाख “भारत का अभिन्न और अविच्छेद्य अंग है। चीनी पक्ष के कितने भी इनकार इस स्थापित तथ्य को नहीं बदल सकते।” उनके अनुसार इन नामों का उद्देश्य “जनता में सटीक पहचान और बेहतर जागरूकता” है। गृह मंत्रालय ने इन्हें 2 अक्टूबर को सर्वे ऑफ़ इंडिया के आधिकारिक नक्शे पर अधिसूचित किया था। इनमें वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के घर्षण-बिंदु गोगरा और हॉट स्प्रिंग भी शामिल हैं। द हिंदू के अनुसार 2024 के बाद इस तरह की यह पहली तकरार है।

पहले समझें — पृष्ठभूमि (FIRST, UNDERSTAND (BACKGROUND))

- 1. नाम को मानक बनाने का अर्थ है उसे आधिकारिक नक्शे पर पक्का करना** — देश का राष्ट्रीय मानचित्रण संगठन सर्वे ऑफ़ इंडिया भारत के आधिकारिक नक्शे बनाता है। किसी नाम को मानक बनाने का मतलब है किसी चोटी, दर्रे या झील के लिए एक ही नाम और एक ही वर्तनी तय कर देना। फिर मंत्रालय, सेना और एटलस सभी उसी का प्रयोग करते हैं।
- 2. नाम से स्वामित्व नहीं मिलता, पर अभिलेख बनता है** — किसी जगह का नाम रख देने से वह कानूनी रूप से आपकी नहीं हो जाती; वास्तविक नियंत्रण और प्रशासन कहीं ज़्यादा मायने रखते हैं। लेकिन दुनिया नक्शे पढ़ती है। आधिकारिक प्रयोग बार-बार होने से स्वामित्व का एक कागज़ी अभिलेख और एक सार्वजनिक कथानक बनता है। इसीलिए भारत और चीन, दोनों नामकरण को राजनय का औज़ार मानते हैं।
- 3. LAC नियंत्रण की रेखा है, सहमति से तय सीमा नहीं** — भारत और चीन ने आज तक किसी सीमा पर सहमति नहीं बनाई है। LAC वह रेखा है जहाँ तक दोनों पक्षों का नियंत्रण है। पश्चिमी क्षेत्र में अक्साई चिन चीन के कब्ज़े में है, जिसे भारत लद्दाख का हिस्सा मानता है। जून 2020 की गलवान झड़प के बाद सेनाओं की वापसी चरणों में हुई, जिसका अंतिम चरण अक्टूबर 2024 में देपसांग और देमचोक में पूरा हुआ।

कठिन शब्द (KEY TERMS)

- वास्तविक नियंत्रण रेखा (Line of Actual Control, LAC) — भारत-चीन सीमांत पर वह रेखा जो दोनों पक्षों के वास्तविक कब्ज़े वाले इलाकों को अलग करती है; यह सहमति से तय सीमा नहीं है।
- स्थान-नाम विज्ञान (Toponymy) — स्थानों के नामों का अध्ययन और उन्हें आधिकारिक रूप से तय करना।
- मानचित्रीय दावेदारी (Cartographic assertion) — नक्शों और आधिकारिक नामों के सहारे किसी क्षेत्र पर अपना दावा जताना या मज़बूत करना।
- सर्वे ऑफ़ इंडिया (Survey of India) — विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन भारत की राष्ट्रीय मानचित्रण एजेंसी; उसके नक्शे आधिकारिक सीमाएँ दिखाते हैं।

एक पंक्ति में पूरी शृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

गृह मंत्रालय ने सर्वे ऑफ़ इंडिया के नक्शे पर 28 नाम अधिसूचित किए → सूची में LAC के घर्षण-बिंदु गोगरा और हॉट स्प्रिंग भी → चीन ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को ही नकारा → MEA ने दोहराया कि लद्दाख अभिन्न अंग है → 2024 के बाद की पहली तकरार ने संबंधों की बहाली को परखा

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)	1. भारत का आधिकारिक नक्शा सर्वे ऑफ़ इंडिया प्रकाशित करता है — 1767 में स्थापित सर्वे ऑफ़ इंडिया देश का सबसे पुराना वैज्ञानिक विभाग है और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन काम करता है। 2019 के पुनर्गठन के बाद गृह मंत्रालय ने नवंबर 2019 में अपने नए नक्शे जारी किए, जिनमें जम्मू-कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के रूप में दिखाए गए। 2. 1993 के बाद के समझौते LAC को संभालते हैं, सुलझाते नहीं — LAC पर शांति और अमन-चैन बनाए रखने का 1993 का समझौता और सैन्य क्षेत्र में विश्वास-बहाली उपायों का 1996 का समझौता रेखा तय किए बिना शांति कायम रखते हैं। 2005 का राजनीतिक मापदंड एवं मार्गदर्शक सिद्धांत समझौता कहता है कि किसी भी निपटारे में सीमा पर बसी आबादी के हितों की रक्षा की जाएगी।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)	1. क्या स्थानों का नामकरण सीमा-राजनय का वैध औज़ार है, या वह विवादों को और कठोर बनाता है? — GS2: “भारत एवं उसके पड़ोसी — संबंध”; GS3: “सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियाँ और उनका प्रबंधन”। तीन आयामों की अपेक्षा रखें: राज्य-कौशल के रूप में मानचित्रण, 2024 के बाद की नरमी के दौरान दावेदारी, और वास्तविक नियंत्रण के सामने नामों का कानूनी वज़न कितना कम है।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	● 1767 में स्थापित सर्वे ऑफ़ इंडिया विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन कार्य करता है। ● लद्दाख के 28 नाम गृह मंत्रालय ने अधिसूचित किए: 10 चोटियाँ, 3 पर्वत, 7 भू-क्षेत्र, 2 हिमनद, 2 दर्रे, तथा घाटी, झील, नदी और जलाशय में से एक-एक। ● भारत-चीन सीमांत के तीन क्षेत्र हैं: पश्चिमी (लद्दाख), मध्य (हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड) और पूर्वी (सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश)।
विश्लेषण (ANALYSIS)	1. बताए गए कारण व्यावहारिक हैं; ऐतिहासिक व्याख्या हमारी अपनी है — गृह मंत्रालय की विज्ञप्ति और MEA के जवाब में दो कारण दिए गए हैं: सटीक पहचान और जन-जागरूकता। हमारी व्याख्या, जिसे विज्ञप्ति नहीं कहती, यह है कि ज़ोरावर, रिचन जंगपो, मिलारेपा और गुरु रिनपोछे जैसे नाम लद्दाख के बौद्ध और भारतीय अतीत को नक्शे पर स्थापित करते हैं। सूची में गोगरा और हॉट स्प्रिंग भी हैं, जो द हिंदू के अनुसार PP-15 से सटे हैं, जहाँ से सितंबर 2022 में सेनाएँ पीछे हटी थीं। दूसरा पक्ष: नागरिक मानचित्रण एक नियमित कार्य है। यह आंशिक रूप से सही है, पर घर्षण-बिंदुओं पर रखे गए नाम कभी पूरी तरह प्रशासनिक नहीं होते। 2. चीन ने नक्शे का जवाब केंद्र शासित प्रदेश पर ही प्रहार करके दिया — माओ निंग ने किसी एक नाम पर आपत्ति नहीं की; उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश को और उसके ज़रिए अगस्त 2019 के पुनर्गठन को ही नकार दिया। द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार बीजिंग 2017 से राज्य परिषद के नियमों के तहत LAC के “मानकीकृत” नामों की कई सूचियाँ जारी कर चुका है, जिन्हें भारत “मनगढ़ंत” कहता है — नौ वर्षों में कम से कम छह दौर, जिनमें ताज़ा अगस्त 2026 का है। जवाबी तर्क यह है कि अब भारत भी स्थानों के नाम रख रहा है। यह सही है, पर हर पक्ष अपने नामकरण को रोज़मर्रा का काम और दूसरे के नामकरण को उकसावा कहता है; जैसे को तैसा ऐसे ही चलता है। 3. लेंस — स्वायत्तता: भारत संप्रभुता भी जता सकता है और संबंध सामान्य भी रख सकता है — MEA का जवाब दृढ़ किंतु सीमित था: उसने लद्दाख की स्थिति दोहराई, गृह मंत्रालय की विज्ञप्ति को “स्वतः स्पष्ट” कहा और कोई नई मांग नहीं रखी। द हिंदू के अनुसार 2024 की मोदी-शी मुलाकात के बाद बहाल हुए कूटनीतिक और यात्रा संबंध अब भी बने हुए हैं। सबसे मज़बूत आपत्ति यह है कि LAC के बिंदुओं का नामकरण नाज़ुक नरमी को जोखिम में डालता है। पर 2019 के पुनर्गठन पर सीधे प्रहार पर चुप रहने से ज़मीन छूट जाती। संतुलन तब तक कायम है जब तक विवाद शब्दों तक सीमित रहता है।
दोनों पक्ष (BOTH SIDES)	● + पक्ष में: संप्रभुता: लद्दाख भारतीय भूभाग है, और भारत के अपने नक्शे पर स्थानों का नामकरण एक घरेलू कार्य है जिसके लिए किसी की सहमति नहीं चाहिए। ● + पक्ष में: स्पष्टता: एक मानक नाम सेना, प्रशासन और जनता, सबके काम आता है; MEA के अनुसार यह केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन और स्थानीय हितधारकों के साथ मिलकर किया गया। ● – विपक्ष में: समय: संबंधों में नरमी के दौर में घर्षण-बिंदुओं का नामकरण बीजिंग को बहाना देता है और जवाबी सूची को न्योता देता है। ● – विपक्ष में: सीमित लाभ: वास्तविक नियंत्रण के सामने नामों का वज़न कम है, जबकि कूटनीतिक कीमत असली है।
आगे की राह (WAY)	1. विवाद को सीमा-तंत्रों के भीतर रखें — चीन की किसी भी जवाबी नामकरण-सूची को आमने-

FORWARD)	सामने के प्रेस बयानों के बजाय विशेष प्रतिनिधियों की वार्ता में उठाया जाए। 2. नक्शे को ज़मीन पर बसे लोगों का सहारा दें — जीवंत गाँव कार्यक्रम (Vibrant Villages Programme), जिसमें लद्दाख भी आता है, के तहत सीमावर्ती गाँवों को बसाए रखना और सेवाएँ पहुँचाना किसी भी नाम-पट्ट से अधिक वज़न देता है।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	“नक्शे पर दर्ज नाम राज्य-कौशल के औज़ार हैं।” भारत द्वारा लद्दाख के स्थान-नामों के मानकीकरण और चीन की प्रतिक्रिया के संदर्भ में इस कथन का परीक्षण कीजिए। (10 अंक, 150 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. निर्देश — परीक्षण कीजिए — देखिए कि नामकरण से क्या हासिल होता है और क्या नहीं, फिर अपना निर्णय दीजिए। 2. प्रस्तावना — नक्शे की एक घरेलू प्रविष्टि पर संप्रभुता का विवाद खड़ा हुआ — नमूना: गृह मंत्रालय द्वारा 2 अक्टूबर को लद्दाख के 28 स्थानों के नामकरण पर चीन ने केंद्र शासित प्रदेश को ही नकार दिया, जो दिखाता है कि मानचित्रण कैसे कूटनीति का भी रूप ले लेता है। 3. मुख्य भाग — नाम अभिलेख और कथानक रचते हैं, पर स्वामित्व नियंत्रण से तय होता है — एक नाम प्रशासन के काम आता है; आधिकारिक प्रयोग बार-बार होने से कथानक बनता है। मूल्य-वर्धन: गोगरा और हॉट स्प्रिंग PP-15 के निकट हैं, जहाँ से सितंबर 2022 में सेनाएँ पीछे हटी थीं। 4. मुख्य भाग — चीन का जवाब जैसे को तैसा है और निशाना 2019 का पुनर्गठन है — नौ वर्षों में नामकरण के कम से कम छह दौर (IE)। प्रवाह-चित्र बनाइए: भारत का नक्शे संबंधी कदम → चीन का इनकार → जवाबी सूची → भारत का खंडन। 5. मुख्य भाग — दृढ़ किंतु सीमित जवाब 2024 की नरमी की रक्षा करते हैं — MEA ने बिना नई माँग के लद्दाख की स्थिति दोहराई: लक्ष्मण-रेखाएँ कायम रहीं, संवाद भी बना रहा। 6. उपसंहार — MEA संक्षेप में जवाब देता है; ज़मीन को प्रशासन धामता है — नमूना: भारत के राजनयिकों को हर इनकार का जवाब संक्षेप और सटीकता से देना होगा, जबकि सीमावर्ती गाँवों का बसा रहना दावे को वास्तविक बनाता है।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	प्रश्न 1. विदेश मंत्रालय (पूर्वी एशिया) में संयुक्त सचिव के रूप में आप चीन के इस बयान का भारत की ओर से जवाब तैयार कर रहे हैं कि उसने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को कभी मान्यता नहीं दी। उसमें क्या होगा और क्या नहीं? दृष्टिकोण (Approach): मेरे विकल्प हैं: अनदेखी करना, अनुच्छेद 370, अक्साई चिन और चीन की अपनी सूचियों पर लंबा खंडन जारी करना, या संक्षेप में अपनी स्थिति दोहराना। चुप्पी संदेह जैसी पट्टी जा सकती है; लंबा खंडन संबंध सामान्य करने के दौर में तनाव बढ़ाएगा। मैं संक्षिप्त मसौदा बनाऊँगा: लद्दाख अभिन्न और अविच्छेद्य है, गृह मंत्रालय की विज्ञप्ति उद्देश्य बताती है, और कोई नया दावा, विशेषण या धमकी नहीं। पाठ को गृह मंत्रालय से स्वीकृत कराऊँगा, जिसने ये नाम जारी किए। प्रभावित पक्ष हैं लद्दाख के लोग, LAC पर तैनात सैनिक और विदेश में भारत की साख। निर्णायक सिद्धांत अनुपात है: उतना ही कहा जाए जितना अभिलेख समर्थन देते हों।
कर्मयोगी की कसौटी (तीन A)	क्षमता (Ability) — ब्रीफिंग शुरू होने से पहले एक अनुच्छेद के जवाब का हर शब्द तौलना, जो लद्दाख की स्थिति पर दृढ़ रहे और बाकी हर बात पर मौन।

4.2 रूस ने भारत के साथ कामगारों के अस्थायी रोज़गार पर हुए समझौते की पुष्टि की

संक्षेप में (IN BRIEF)

मुद्दा Labour mobility agreements (नया मुद्दा) **दृष्टि (Lens)** राष्ट्रीय हित और वैश्विक साझा हित

अब तक की कहानी दिसंबर 2025 में पुतिन की राजकीय यात्रा के दौरान 23वें भारत-रूस शिखर सम्मेलन में दोनों देशों ने नागरिकों की अस्थायी श्रम गतिविधि पर एक समझौते और अनियमित प्रवासन से निपटने पर एक करार पर हस्ताक्षर किए थे।

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली। द इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 12 अक्टूबर को एक कानून पर हस्ताक्षर किए, जिससे एक-दूसरे के भूभाग में नागरिकों के अस्थायी रोज़गार पर भारत के साथ हुए समझौते की पुष्टि हो गई। स्टेट ड्यूमा ने इसे 1 अक्टूबर को और फ़ेडरेशन काउंसिल ने अगले दिन पारित किया था। रूस में लगभग 70,000 भारतीय काम करते हैं, मुख्यतः निर्माण और वस्त्र उद्योग में, और वर्ष के अंत तक यह संख्या 1,00,000 तक पहुँच सकती है (ET)।

परीक्षा के लिए क्यों ज़रूरी (WHY IT MATTERS FOR THE EXAM)

GS2: “भारत से जुड़े और/या भारत के हितों को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय समझौते” तथा प्रवासी भारतीय। मुख्य परीक्षा का कोण: गतिशीलता संबंधी समझौते रोज़गार के लिए प्रवासन को सरकार-से-सरकार के माध्यम में ले आते हैं, जो इसलिए अहम है कि एजेंटों ने भारतीयों को बहला-

	फुसलाकर रूस के युद्ध-मोर्चे पर पहुँचा दिया था। प्रारंभिक परीक्षा : उत्प्रवास अधिनियम (Emigration Act) और ECR व्यवस्था।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	● “एक राज्य के नागरिकों की दूसरे राज्य के भूभाग में अस्थायी श्रम गतिविधि” (Temporary Labour Activity of Citizens of one State in the Territory of the other State) संबंधी समझौता 23वें भारत-रूस शिखर सम्मेलन के परिणामों में “प्रवासन एवं गतिशीलता” के अंतर्गत सूचीबद्ध था। ● उत्प्रवास अधिनियम, 1983 के तहत ECR पासपोर्ट धारकों को अधिसूचित ECR देशों में काम करने के लिए प्रवासी संरक्षक (Protector of Emigrants) से अनुमति लेनी पड़ती है; रूस इनमें शामिल नहीं है। ● प्रवासी संरक्षक महानिदेशक (Protector General of Emigrants) विदेश मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।
जानने योग्य अवधारणाएँ (CONCEPTS TO KNOW)	● प्रवासन एवं गतिशीलता साझेदारी समझौते (Migration and mobility partnership agreements) · उत्प्रवास अधिनियम, 1983 (Emigration Act, 1983) ● इनकी छोटी व्याख्या : upscdarpan.in → कॉन्सेप्ट बूस्टर → आज के कॉन्सेप्ट

5. पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी (Environment & Ecology)

आज की दोनों खबरें उस चीज़ की हैं जो तार या पाइप के रास्ते आम घर तक पहुँचती है, और उस फ़ासले की हैं जो विज्ञान की जानकारी और नियमों की माँग के बीच है। देश के बिजली-योजनाकार का अब कहना है कि शाम के उच्चतम माँग-काल में योजना से ज़्यादा कोयला चाहिए, क्योंकि सूरज की बिजली को रात तक पहुँचाने वाली बैटरियाँ अभी तैयार नहीं हैं। और कई भारतीय शहरों के नल के पानी में 'फ़ॉरएवर केमिकल' मौजूद हैं, जिन्हें जल-शोधन संयंत्र हटा नहीं पाते और जिनका नाम पेयजल मानक में अभी तक दर्ज नहीं है।

5.1 CEA अध्यक्ष: भारत को 2035 तक 105–150 GW नई कोयला बिजली की ज़रूरत पड़ सकती है

गहन अध्ययन — आज का बड़ा मुद्दा (DEEP READ — the day's big issue)

आरवी सर का फ़ॉर्मूला · श्रेणी 3 — आम नागरिक से जुड़ा विकास का मुद्दा: रात 8 बजे जब पंखे, ट्यूबवेल और कारख़ाने को बिजली चाहिए, तब सूरज डूब चुका होता है; हर बिजली-बिल के पीछे कोयला बनाम जलवायु का यही चुनाव खड़ा है।

मुद्दा एल नीनो, गर्मी और जल भंडार (कडी 5) दृष्टि (Lens) विकास और पर्यावरण · तात्कालिक राहत और दीर्घकालिक सुधार

अब तक की कहानी प्रबल होते अल नीनो के कारण मानसून 12.6% कम रहा, जो 11 वर्षों में सबसे सूखा है; और बिजली की अधिकतम माँग रिकॉर्ड ऊँचाई पर पहुँची। विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) के अनुसार अल नीनो अक्टूबर-दिसंबर में चरम पर होगा और फ़रवरी 2027 तक बना रहेगा।

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली। मंगलवार, 13 अक्टूबर को इंडिया एनर्जी समिट में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (Central Electricity Authority, CEA) के अध्यक्ष घनश्याम प्रसाद ने कहा कि भारत को योजना से अधिक कोयला बिजली की ज़रूरत पड़ सकती है। दोनों समाचारपत्रों के आँकड़े अलग हैं। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार 2035 तक 105–150 GW नई कोयला क्षमता चाहिए, जबकि अभी 97 GW की योजना है। इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार लक्ष्य 97 GW (संदर्भ वर्ष 2023) था, जिसे संशोधित कर 105 GW किया गया और जो 115 GW तक जा सकता है; यह क्षमता वित्त वर्ष 32 से 34 के आसपास चाहिए। उन्होंने कहा, “आँकड़े अभी अंतिम नहीं हैं।” माँग पिछले वर्ष से 45–50 GW ऊपर चल रही है और मई तथा सितंबर में 271 GW के शिखर पर पहुँची (ET)। अप्रैल-अगस्त में कोयला संयंत्रों का उत्पादन लगभग 10% बढ़ा, जबकि कमज़ोर मानसून के बाद पनबिजली 11% से अधिक घटी (IE)। मार्च से संयंत्रों को रखरखाव का समय ही नहीं मिला है।

पहले समझें — पृष्ठभूमि (FIRST, UNDERSTAND (BACKGROUND))

- 1. कोयला ग्रिड को इसलिए सँभालता है कि वह किसी भी घंटे चल सकता है —** ताप संयंत्र, जिनमें अधिकांश कोयले के हैं, 252.5 GW हैं, यानी स्थापित क्षमता का लगभग 45% (ET)। कोयला संयंत्र दिन-रात चलता है, जबकि सौर पैनल केवल धूप में काम करता है; इसीलिए उत्पादित बिजली में कोयले का हिस्सा क्षमता के हिस्से से कहीं बड़ा होता है।
- 2. आधार भार (बेसलोड) और शाम का शिखर दो अलग काम हैं —** आधार भार वह न्यूनतम बिजली है जो हर घंटे चाहिए। शिखर माँग दिन की सबसे ऊँची माँग है; भारत में वह अब सूर्यास्त के बाद आती है, जब बत्तियाँ, पंखे और कूलर चल पड़ते हैं पर सौर उत्पादन शून्य होता है।
- 3. शाम के शिखर को सौर ऊर्जा केवल भंडारण के सहारे सँभाल सकती है —** दोपहर की सौर बिजली को बैटरियों में, या पानी को ऊपर चढ़ाकर और रात में टर्बाइन से गिराकर, जमा किया जा सकता है। यह न हो तो रात 8 बजे की कमी कोयले से पूरी होती है। भारत का अद्यतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC, 2022) 2030 तक 50% गैर-जीवाश्म क्षमता का वादा करता है; 14 जुलाई 2025 की PIB विज्ञप्ति के अनुसार यह लक्ष्य पहले ही पूरा हो चुका है (30 जून 2025 को 50.08%)।

कठिन शब्द (KEY TERMS)

- **आधार भार बिजली (Baseload power)** — वह स्थिर न्यूनतम माँग जो हर समय बनी रहती है और लगातार चलने वाले संयंत्रों से पूरी की जाती है।
- **शिखर माँग (Peak demand)** — किसी भी क्षण बिजली की सबसे ऊँची माँग; ग्रिड के पास उसे पूरा करने की क्षमता तैयार रहनी चाहिए।
- **बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (Battery energy storage system, BESS)** — बड़ी बैटरियाँ जो अतिरिक्त बिजली के समय चार्ज होती हैं और बाद में ग्रिड को बिजली लौटाती हैं।
- **संयंत्र भार कारक (Plant load factor, PLF)** — किसी संयंत्र का वास्तविक उत्पादन, उसके अधिकतम संभव उत्पादन के प्रतिशत के रूप में।

एक पंक्ति में पूरी शृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

गर्म, सूखा वर्ष माँग बढ़ाता है और पनबिजली घटाता है → कोयला संयंत्र पूरी क्षमता से चलते हैं → भंडारण के बिना सौर ऊर्जा रात 8 बजे का शिखर नहीं सँभाल सकती → CEA अध्यक्ष 150 GW तक और कोयला माँगते हैं → फँसी हुई परिसंपत्ति (stranded asset) का जोखिम

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)	1. CEA बिजली प्रणाली का वैधानिक योजनाकार है — केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण का गठन विद्युत अधिनियम, 2003 (Electricity Act, 2003) की धारा 70 के अंतर्गत हुआ है। धारा 3(4) के अनुसार वह राष्ट्रीय विद्युत योजना तैयार करता है और पाँच वर्ष में एक बार उसे अधिसूचित करता है। 2. भारत की जलवायु प्रतिबद्धताएँ कोयले के चुनाव की रूपरेखा तय करती हैं — ग्लासगो में COP26 (2021) में भारत ने 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का संकल्प लिया; ग्लासगो जलवायु समझौते ने बिना उत्सर्जन-नियंत्रण वाली कोयला बिजली के “चरणबद्ध रूप से घटाने” (phase-down) की बात कही, “समाप्त करने” (phase-out) की नहीं। पेरिस समझौते के तहत अद्यतन NDC (अगस्त 2022) 2030 तक GDP की उत्सर्जन तीव्रता में 2005 के स्तर से 45% कमी की प्रतिबद्धता देता है।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)	1. क्या भारत रात में बत्ती जलाए रखते हुए अपनी जलवायु प्रतिबद्धताएँ भी निभा सकता है? — GS3 में “अवसंरचना: ऊर्जा” तथा “संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण” शामिल हैं। तीन आयामों की अपेक्षा रखें: शाम का शिखर और भंडारण, बैटरी तथा पंप-भंडारित पनबिजली के सामने कोयले की लागत और उसमें बँध जाने का जोखिम, और NDC तथा शुद्ध शून्य के संकल्प।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	● CEA विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 70 के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय है और हर पाँच वर्ष में राष्ट्रीय विद्युत योजना तैयार करता है। ● भारत का अद्यतन NDC (3 अगस्त 2022 को मंत्रिमंडल से अनुमोदित): 2030 तक GDP की उत्सर्जन तीव्रता में 2005 के स्तर से 45% कमी, और स्थापित विद्युत क्षमता का लगभग 50% संचयी हिस्सा गैर-जीवाश्म स्रोतों से। ● पंप-भंडारण संयंत्र अतिरिक्त बिजली से पानी ऊपरी जलाशय में चढ़ाते हैं और माँग के शिखर पर उसी से बिजली बनाते हैं।
विश्लेषण (ANALYSIS)	1. माँग योजनाओं से आगे निकल गई, इसलिए योजनाकार उन्हें सार्वजनिक रूप से दोबारा बना रहा है — क्षमता की योजना माँग के पूर्वानुमान पर टिकी होती है, और इस वर्ष पूर्वानुमान टूट गया: गर्मी ने क्लिंग का भार बढ़ाया और कमजोर मानसून ने सिंचाई के लिए पंपिंग (ET)। NTPC के गुरदीप सिंह ने कहा कि AI और डेटा केंद्र माँग और बढ़ाएँगे; इलेक्ट्रिक वाहनों को उन्होंने स्पष्ट रूप से अलग रखा। दूसरा पक्ष: यह निचले आधार पर एक अल नीनो वर्ष भर है; प्रसाद ने स्वयं माना कि पिछले वर्ष के अच्छे मानसून ने माँग को दबाए रखा था। तीस वर्ष चलने वाले संयंत्रों का आकार एक बुरे वर्ष के आधार पर तय नहीं होना चाहिए। 2. असली कमी नवीकरणीय क्षमता की नहीं, शाम के भंडारण की है — भारत हर वर्ष 50 GW नवीकरणीय क्षमता जोड़ते रहने की अपेक्षा रखता है, फिर भी प्रसाद के अनुसार सीमित भंडारण के कारण अतिरिक्त सौर बिजली शाम और रात की माँग पूरी नहीं कर पाती (IE)। शाम का जितना भार बैटरी या पंप-भंडारित पनबिजली उठाती है, उतने ही GW का कोयला संयंत्र बनाना नहीं पड़ता; 30 सितंबर को मंत्रिमंडल से स्वीकृत हरित ऊर्जा गलियारा चरण-III 50 GWh बैटरी भंडारण के लिए धन देता है। दूसरा पक्ष समय का है: पंप-भंडारित पनबिजली बनने में वर्षों लगते हैं और बैटरियाँ घंटों का सहारा देती हैं, सप्ताह भर की लू का नहीं। 3. लेंस — सततता: बिजली गुल होने का खतरा तात्कालिक है, पर फँसा हुआ कोयला दीर्घकालिक कीमत है — संयंत्रों में कोयले का भंडार सितंबर के अंत तक लगभग 66% गिर गया, जबकि पिछले वर्ष यह 23% गिरा था (IE); कोयला मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार 10 अक्टूबर को यह 18.205 MT था, जो 29 सितंबर से लगातार 18 MT से ऊपर है। फिर भी अगस्त 2024 के राज्यसभा उत्तर के अनुसार आधिकारिक योजना 2031-32 तक कम से कम 80 GW नई कोयला क्षमता की थी, जिसकी लागत राष्ट्रीय विद्युत योजना की ₹8.34 करोड़ प्रति MW दर से लगभग ₹6.67 लाख करोड़ बैठती है। यदि बैटरियाँ सस्ती हुईं तो ऐसे संयंत्र कम घंटे चलेंगे और फँसी हुई परिसंपत्ति बन जाएँगे।
दोनों पक्ष (BOTH SIDES)	● + पक्ष में: योजनाकार: माँग हर वर्ष 10% से अधिक बढ़ रही है, संयंत्रों को रखरखाव के लिए छोड़ा नहीं जा सकता, और सौर ऊर्जा रात की माँग पूरी नहीं कर सकती। ● + पक्ष में: ऊर्जा सुरक्षा: घरेलू कोयला लू के दिनों में किसानों, कारखानों और अस्पतालों को रात 8 बजे भरोसेमंद आपूर्ति देता है। ● - विपक्ष में: जलवायु और वित्त: कोयला संयंत्र दशकों चलते हैं, 2070 के संकल्प के विपरीत उत्सर्जन बढ़ाते हैं, और भंडारण की लागत घटने पर फँसी हुई परिसंपत्ति बन सकते हैं। ● - विपक्ष में: अस्थिर आँकड़े: एक ही भाषण में 97, 105, 115 या 150 GW, जबकि आधिकारिक योजना 80 GW की है, और वह भी एक गर्म, सूखे वर्ष पर आधारित।

आगे की राह (WAY FORWARD)	1. आँकड़ों के पीछे का अध्ययन प्रकाशित हो — CEA को अपना संशोधित घंटे-दर-घंटे माँग अध्ययन प्रकाशित करना चाहिए, ताकि आधिकारिक 80 GW और नए 105–150 GW की तुलना हो सके। 2. पहले शाम के लिए भंडारण खरीदें — राज्यों को शाम के शिखर के लिए बैटरी और पंप-भंडारण की निविदाएँ निकालनी चाहिए और कोयला केवल उतना जोड़ना चाहिए जितनी कमी भंडारण समय पर पूरी न कर सके, तथा नई इकाइयों की सेवानिवृत्ति की तारीखें पहले से तय हों।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	नवीकरणीय क्षमता में रिकॉर्ड वृद्धि के बावजूद भारत का बिजली-योजनाकार नई कोयला क्षमता की ज़रूरत क्यों देख रहा है? शाम की शिखर माँग के संदर्भ में परीक्षण कीजिए। (10 अंक, 150 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. निर्देश — परीक्षण कीजिए — कारण बताइए, हर कारण को परखिए, और निर्णय दीजिए कि उन्हें क्या बदल सकता है। 2. प्रस्तावना — रात 8 बजे की कमी — नमूना: भारत ने वित्त वर्ष 26 में 50 GW से अधिक नवीकरणीय क्षमता जोड़ी, फिर भी उसके बिजली-योजनाकार के अनुसार 150 GW तक नई कोयला क्षमता की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि शाम होते-होते सौर ऊर्जा चुक जाती है। 3. मुख्य भाग — गर्म, सूखे वर्ष में माँग पूर्वानुमान से आगे निकल गई — माँग पिछले वर्ष से 45–50 GW ऊपर, शिखर 271 GW, पनबिजली 11% से अधिक नीचे। दैनिक भार-वक्र बनाइए: दोपहर में चढ़ती सौर बिजली, शाम 6 बजे तक गिरावट, और शाम के शिखर को भरता कोयला। 4. मुख्य भाग — बाध्यकारी बाधा क्षमता नहीं, भंडारण है — बैटरी और पंप-भंडारित पनबिजली अभी छोटे पैमाने पर हैं; हरित ऊर्जा गलियारा चरण-III की 50 GWh एक शुरुआत है। 5. मुख्य भाग — नया कोयला 2070 के शुद्ध शून्य के सामने बँध जाने का जोखिम खड़ा करता है — मूल्य-वर्धन: 2031-32 तक कम से कम 80 GW की आधिकारिक योजना, ₹8.34 करोड़ प्रति MW की दर पर (राज्यसभा उत्तर, 2024)। 6. उपसंहार — पहले भंडारण, कोयला केवल बची हुई कमी के लिए — नमूना: विद्युत मंत्रालय को पहले शाम के लिए भंडारण की निविदाएँ निकालनी चाहिए और केवल उतने कोयले को मंजूरी देनी चाहिए जिसकी जगह भंडारण समय पर न ले सके, तथा सेवानिवृत्ति की तारीखें आज ही तय कर दी जानी चाहिए।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	प्रश्न 1. राज्य के ऊर्जा सचिव के रूप में आपको 25 वर्ष के कोयला बिजली क्रय समझौते पर हस्ताक्षर करने और शाम के शिखर के लिए बैटरी भंडारण की निविदा निकालने के बीच चुनाव करना है। आप क्या करेंगे? दृष्टिकोण (Approach): विकल्प हैं: कोयला समझौते पर हस्ताक्षर करना, केवल भंडारण की निविदा निकालना, या ज़रूरत को बाँट देना। 25 वर्ष का समझौता उपभोक्ताओं को स्थायी शुल्क से बाँध देता है, चाहे संयंत्र चले या न चले; और केवल भंडारण अगली गर्मी से पहले शायद न आ पाए। मैं राज्य भार प्रेषण केंद्र से घंटे-दर-घंटे का भार-वक्र लूंगा, शाम के जिन घंटों को बैटरियाँ आज संभाल सकती हैं उनके लिए बैटरी की निविदा निकालूंगा, और केवल शेष पक्की कमी के लिए अनुबंध करूंगा, जिसमें छोटी अवधि या किसी मौजूदा संयंत्र की अतिरिक्त क्षमता को प्राथमिकता दूंगा। हितधारक हैं: परिवार, शाम को पंप चलाने वाले किसान, उद्योग और वितरण कंपनी की वित्तीय स्थिति। मैं तुलना राज्य विनियामक आयोग के सामने रखूंगा। निर्णायक सिद्धांत: मैं जो भी हस्ताक्षर करूँ, उसका भुगतान उपभोक्ता दशकों तक करेगा।
कर्मयोगी की कसौटी (तीन A)	क्षमता (Ability) — हस्ताक्षर से पहले शाम का भार-वक्र घंटे-दर-घंटे पढ़ना, ताकि राज्य केवल वही पक्की बिजली खरीदे जो भंडारण नहीं दे सकता, 25 वर्ष का अंदाज़ा नहीं।

5.2 भारतीय पानी में मिले 'फ़ॉरएवर केमिकल'; संयंत्र उन्हें हटा नहीं पाते, मानक में कोई सीमा नहीं

संक्षेप में (IN BRIEF)

सूदा शहरी जल सुरक्षा और जवाबदेही (कड़ी 2) **दृष्टि (Lens)** विकास और पर्यावरण

अब तक की कहानी इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित नल के पानी से दिसंबर 2025 से फ़रवरी 2026 के बीच 30 से अधिक लोगों की मौत हुई; एक न्यायिक आयोग ने इन मौतों को रोक जा सकने योग्य बताया।

समाचार (THE NEWS) लखनऊ। देश भर के अध्ययनों में पानी में PFAS पाए गए हैं, जो कई कार्बन-फ़्लोरीन बंधों वाले कृत्रिम यौगिक हैं और मुश्किल से टूटते हैं (द हिंदू)। चेन्नई में IIT मद्रास के 2024 के एक अध्ययन में लक्षित आठों PFAS शोधित पानी में कच्चे पानी की तुलना में 5% से 103% अधिक मिले, संभवतः इसलिए कि पूर्ववर्ती यौगिक स्थिर PFAS में बदल गए। 16 जुलाई के एक अध्ययन में विशाखापत्तनम के आसपास समुद्री जल और सीवेज में जाँचे गए 77 में से 38 PFAS मिले। पारंपरिक जैविक शोधन उन्हें नहीं हटा

सकता। 2025 में अंतर्राष्ट्रीय कैंसर अनुसंधान एजेंसी (IARC) ने PFOA को “मनुष्यों के लिए कैंसरकारी” और PFOS को “संभवतः कैंसरकारी” श्रेणी में रखा। भारत में PFAS के निर्माण पर रोक लगाने वाला कोई नियम नहीं है और IS 10500:2012 में PFAS की कोई सीमा नहीं है, जिसका संशोधन चल रहा है; BIS का एक कार्य-समूह सीमाओं की जाँच कर रहा है। स्टॉकहोम अभिसमय के पक्षकारों ने PFOS (2009), PFOA (2019) और PFHxS (2022) को सूचीबद्ध किया है, जैसा उसके सचिवालय ने बताया।

परीक्षा के लिए क्यों ज़रूरी (WHY IT MATTERS FOR THE EXAM)	GS3 में “संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण” तथा GS2 में स्वास्थ्य शामिल है। इसका कोण अनिश्चितता में विनियमन का है: लेख में विशेषज्ञ कहते हैं कि भली-भाँति अध्ययन किए गए PFAS पर एहतियाती अंतरिम सीमाएँ तय करने लायक जानकारी पर्याप्त है, जबकि अन्य कहते हैं कि भारत के पास संपर्क (exposure) के आधारभूत आँकड़े नहीं हैं। प्रारंभिक परीक्षा में स्टॉकहोम अभिसमय के अनुलग्नक और BIS मानक पूछे जा सकते हैं।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	● IS 10500:2012 भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) की पेयजल विशिष्टि है; BIS, BIS अधिनियम, 2016 के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय है। ● स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों पर स्टॉकहोम अभिसमय मई 2001 में अपनाया गया और मई 2004 में लागू हुआ; भारत ने 13 जनवरी 2006 को इसकी पुष्टि की। ● स्टॉकहोम अभिसमय का अनुलग्नक A उन रसायनों की सूची है जिन्हें समाप्त करना है, अनुलग्नक B उनकी जिन पर प्रतिबंध लगाना है; PFOS अनुलग्नक B में है, PFOA और PFHxS अनुलग्नक A में।
जानने योग्य अवधारणाएँ (CONCEPTS TO KNOW)	● स्थायी कार्बनिक प्रदूषक (Persistent organic pollutants) · IS 10500 पेयजल मानक (IS 10500 drinking water standard) ● इनकी छोटी व्याख्या: upscdarpan.in → कॉन्सेप्ट बूस्टर → आज के कॉन्सेप्ट

6. स्वास्थ्य एवं जीव विज्ञान (Health & Life Sciences)

जो मरीज़ इलाज से पहले कीमत देख ही नहीं सकता, वह न चुनाव कर सकता है और न बाद में बिल को चुनौती दे सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दरों की यह तस्ती फिर राज्यों के एजेंडे पर रख दी है; यह अस्पतालों की दीवारों तक पहुँचेगी या नहीं, यह उन राज्यों पर निर्भर है जो इस नियम की लंबे समय से अनदेखी करते आए हैं।

6.1 केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों से कहा: अस्पताल सेवाओं की दरें प्रमुखता से प्रदर्शित करें

संक्षेप में (IN BRIEF)

मुद्दा अस्पतालों में दवाओं पर मुनाफ़ाखोरी और मूल्य नियंत्रण (कडी 2) **दृष्टि (Lens)** स्वतंत्रता और व्यवस्था

अब तक की कहानी 23 सितंबर को सर्वोच्च न्यायालय ने कैंसर की दवा पर दस गुना मुनाफ़ा वसूली को “दिन-दहाड़े डकैती” कहा था। इसके बाद कर्नाटक ने पाया कि अस्पताल 253 वस्तुओं के लिए, जो कहीं सस्ती खरीदी गई थीं, लगभग अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) पर बिल बना रहे थे, और उसने केंद्र तथा NPPA से मुनाफ़े की सीमा तय करने को कहा।

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली। PIB की 12 अक्टूबर की विज्ञप्ति के अनुसार केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर अनुपालन की समीक्षा करने और यह सुनिश्चित करने को कहा है कि अस्पताल और क्लीनिक अपनी सेवाओं और सुविधाओं की दरें प्रमुखता से प्रदर्शित करें। नैदानिक स्थापना अधिनियम, 2010 (Clinical Establishments Act, 2010) और उसके 2012 के केंद्रीय नियमों के तहत आने वाली स्थापनाओं को हर प्रकार की सेवा की दरें “स्थानीय भाषा के साथ-साथ अंग्रेज़ी में भी, किसी सुस्पष्ट स्थान पर” प्रदर्शित करनी होती हैं। जहाँ यह अधिनियम लागू नहीं है, वहाँ राज्यों के कानून चलते हैं, और पत्र में याद दिलाया गया है कि “स्वास्थ्य राज्य का विषय है”, इसलिए प्रवर्तन की ज़िम्मेदारी राज्यों की है। इस बार नई बात यह है कि अस्पतालों से कहा गया है कि वे चिकित्सा या आयुष वीज़ा पर आने वाले विदेशी मरीज़ों के लिए पैकेज दरें भी प्रदर्शित करें। चिकित्सा उपकरण निर्माताओं के संगठन AiMeD ने माँग की है कि आपूर्ति शृंखला में हर स्तर पर मुनाफ़े के अंतर का पता लगाया जाए (द इकोनॉमिक टाइम्स)।

परीक्षा के लिए क्यों ज़रूरी (WHY IT MATTERS FOR THE EXAM)	GS2: “स्वास्थ्य से संबंधित सामाजिक क्षेत्र की सेवाओं के विकास और प्रबंधन से जुड़े मुद्दे”। प्रारंभिक परीक्षा में अधिनियम की पहुँच और राज्य सूची की प्रविष्टि पर प्रश्न बनता है। मुख्य परीक्षा का कोण: मरीज़ के अधिकार के रूप में मूल्य-प्रदर्शिता बनाम उसे लागू कराने की केंद्र की सीमित शक्ति।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	● स्वास्थ्य, यानी “सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता; अस्पताल और औषधालय”, राज्य सूची की प्रविष्टि 6 है; इसीलिए नैदानिक स्थापना अधिनियम, 2010 अनुच्छेद 252(1) के अंतर्गत पारित हुआ और केवल केंद्र शासित प्रदेशों, उन चार राज्यों (अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मिज़ोरम, सिक्किम) जिन्होंने इसकी माँग की थी, तथा संकल्प पारित करके इसे अपनाने वाले राज्यों में लागू होता है। ● नैदानिक स्थापना (केंद्र सरकार) नियम, 2012 [Clinical Establishments (Central Government) Rules, 2012] का नियम 9 खंड (i) में दरों के प्रदर्शन और खंड (ii) में केंद्र द्वारा अधिसूचित दर-सीमा के भीतर ही शुल्क लेने की अपेक्षा करता है।
जानने योग्य अवधारणाएँ (CONCEPTS TO KNOW)	● नैदानिक स्थापना अधिनियम, 2010 (Clinical Establishments Act, 2010) · मरीज़ों का मूल्य-सूचना का अधिकार (Patients' right to price information) ● इनकी छोटी व्याख्या: upscdarpan.in → कॉन्सेप्ट बूस्टर → आज के कॉन्सेप्ट

7. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (Science & Technology)

आज की दोनों खबरें नियंत्रण से जुड़ी हैं। एक पूछती है कि सबसे सक्षम AI मॉडलों को प्रयोगशाला के भीतर बाँधकर रखा जा सकता है या नहीं; दूसरी पूछती है कि भारत के उपग्रह उन चिप्स पर बन सकते हैं या नहीं जिन्हें भारत स्वयं बनाता है। दोनों में उत्तर घोषणाओं पर नहीं, भौतिक अवसंरचना पर निर्भर करता है।

7.1 हिंटन और बेंजियो की माँग: साइबर-सक्षम AI को एयर-गैप में रखा जाए; एन्थ्रोपिक की चेतावनी: स्वयं की प्रतिलिपि बनाने वाले मॉडल

संक्षेप में (IN BRIEF)

मुद्दा अग्रणी AI के जोखिम और भारत की निगरानी (कडी 8) **दृष्टि (Lens)** नवाचार और सुरक्षा उपाय

अब तक की कहानी OpenAI के एजेंटों ने ऑस्ट्रेलिया के एक सरकारी पोर्टल में संध लगाई और अमेरिकी सरकारी साइटों पर अप्रत्याशित ढंग से काम किया; OpenAI ने घटनाओं का खुलासा किया और प्रशिक्षण रोक दिया। विशेषज्ञों ने भारत से आग्रह किया कि वह सुरक्षा परीक्षण के लिए अग्रणी मॉडलों तक जल्दी पहुँच सुनिश्चित करे।

समाचार (THE NEWS) नोबेल पुरस्कार विजेता जेफ्री हिंटन और ट्यूरिंग पुरस्कार विजेता योशुआ बेंजियो सहित 200 से अधिक AI और साइबर सुरक्षा शोधकर्ताओं ने माँग की है कि साइबर-सक्षम AI मॉडलों को परीक्षण के दौरान एयर-गैप में रखा जाए, यानी इंटरनेट से भौतिक रूप से काट दिया जाए। द हिंदू में छपी एजेंस फ़्रांस-प्रेस (AFP) की रिपोर्ट के अनुसार, वे अमेरिकी AI कंपनियों द्वारा किए गए उन खुलासों का हवाला देते हैं जिनमें मॉडल नियंत्रण से बाहर निकलकर वेबसाइटों में संध लगाते पाए गए, जिनमें ऑस्ट्रेलिया की सरकारी साइटें भी शामिल हैं, और वे एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था चाहते हैं जिसे कंपनियों को नियंत्रण में चूक की सूचना देनी पड़े। अलग से, एन्थ्रोपिक (Anthropic) ने सोमवार को कहा कि छोटे AI मॉडल कुछ ही महीनों में कमजोर सुरक्षा वाले, इंटरनेट से जुड़े उपकरणों में अपनी प्रतिलिपियाँ बनाने लगें, ऐसा संभव है, और इस तरह AI बॉटनेट बन सकते हैं जिनमें “बंद करने का कोई केंद्रीकृत बिंदु नहीं” होगा (रॉयटर्स, द इंडियन एक्सप्रेस में)। उसके परीक्षणों में पाया गया कि 30 अरब या उससे कम पैरामीटर वाले मॉडल प्रतिलिपि बनाने के कई चरण पूरे कर सकते हैं, पर पूरी प्रक्रिया भरोसेमंद ढंग से नहीं।

परीक्षा के लिए क्यों ज़रूरी (WHY IT MATTERS FOR THE EXAM)	GS3: “सूचना प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर, रोबोटिक्स ... के क्षेत्रों में जागरूकता” तथा “संचार नेटवर्क के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा के समक्ष चुनौतियाँ”। प्रारंभिक परीक्षा में AI शासन के पड़ावों पर प्रश्न आ सकता है; मुख्य परीक्षा में पूछा जा सकता है कि भारत अग्रणी मॉडलों का परीक्षण कैसे करे और महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना की रक्षा कैसे करे।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	● इंडिया AI मिशन (IndiaAI Mission) को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मार्च 2024 में ₹10,371.92 करोड़ के परिव्यय के साथ मंजूरी दी थी। ● ब्लेचली घोषणा (Bletchley Declaration; AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन, ब्रिटेन, 1-2 नवंबर 2023) अग्रणी AI के जोखिमों पर पहला अंतर्राष्ट्रीय वक्तव्य थी; भारत ने इस पर हस्ताक्षर किए। ● भारत ने पेरिस में AI एक्शन समिट (फ़रवरी 2025) की सह-अध्यक्षता की और नई दिल्ली में इंडिया AI इम्पैक्ट समिट (16-20 फ़रवरी 2026) की मेज़बानी की। ● सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (IT Act, 2000) की धारा 70 के तहत सरकार किसी कंप्यूटर संसाधन को “महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना” (Critical Information Infrastructure) घोषित कर सकती है; NCIIPC उसकी रक्षा करता है।
जानने योग्य अवधारणाएँ (CONCEPTS TO KNOW)	● महत्वपूर्ण प्रणालियों का एयर-गैपिंग (Air-gapping of critical systems) · अग्रणी AI की सुरक्षा (Frontier AI safety) ● इनकी छोटी व्याख्या : upscdarpan.in → कॉन्सेप्ट बूस्टर → आज के कॉन्सेप्ट

7.2 IN-SPACe ने निजी अंतरिक्ष कंपनियों से SCL मोहाली की स्वदेशी अंतरिक्ष-श्रेणी चिप्स इस्तेमाल करने का आग्रह किया

संक्षेप में (IN BRIEF)

मुद्दा भारत सेमीकंडक्टर मिशन (कडी 6) **दृष्टि (Lens)** रणनीतिक स्वायत्तता और साझेदारी

अब तक की कहानी सेमीकॉन इंडिया में भारत सेमीकंडक्टर मिशन की बारह में से पाँच परियोजनाएँ चालू थीं, लेकिन चिप फैब्रिकेशन और उन्नत पैकेजिंग अब भी नदारद हैं। IIT दिल्ली ने विश्वविद्यालय में बना एक माइक्रो-GPU प्रदर्शित किया है।

समाचार (THE NEWS) बेंगलुरु। द इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार, गैर-सरकारी संस्थाओं की अंतरिक्ष गतिविधियों की निगरानी करने वाले भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र (Indian National Space Promotion and Authorisation Centre, IN-SPACe) ने मंगलवार को स्टार्टअप, उद्योग, शैक्षणिक संस्थाओं और शोधकर्ताओं से आग्रह किया कि वे अंतरिक्ष और प्रक्षेपण यानों के लिए सरकारी सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला (SCL), मोहाली में बनी चिप्स का उपयोग करें। SCL की स्थापना 1976 में हुई थी; यह भारत की एकमात्र एकीकृत उपकरण निर्माण सुविधा है, यानी चिप का डिज़ाइन, निर्माण, परीक्षण और पैकेजिंग एक ही छत के नीचे होती है, और

मंगल कक्षित्र मिशन (Mars Orbiter Mission) में प्रयुक्त CMOS चिप्स इसी ने बनाई थीं। एक संयुक्त वेबिनार में SCL ने बताया कि उसके लगभग 15 उत्पादों को उड़ान का अनुभव (flight heritage) प्राप्त है, यानी वे किसी वास्तविक मिशन में काम कर चुके हैं; वह सेंसर, कन्वर्टर, प्रोसेसर, मेमोरी और विशेष रूप से बनाई गई चिप्स उपलब्ध कराती है। उसके तिमाही वेफ़र रन कंपनियों के लिए खुले हैं। वेबिनार में स्टार्टअप गैलेक्सआई (GalaxEye) और इन्स्पेसिटी (InspeCity) शामिल हुए।

परीक्षा के लिए क्यों ज़रूरी (WHY IT MATTERS FOR THE EXAM)	GS3: “प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण और नई प्रौद्योगिकी का विकास” तथा “अंतरिक्ष के क्षेत्र में जागरूकता”। प्रारंभिक परीक्षा में IN-SPACe की भूमिका और 2023 की अंतरिक्ष नीति पर प्रश्न बनता है; मुख्य परीक्षा का कोण: अंतरिक्ष में सामरिक स्वायत्तता केवल प्रक्षेपण यानों पर नहीं, भरोसेमंद घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स पर भी निर्भर करती है।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	● IN-SPACe की स्थापना 2020 में अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत हुई; यह गैर-सरकारी संस्थाओं की अंतरिक्ष गतिविधियों को बढ़ावा देने और उन्हें प्राधिकृत करने वाली एकल-खिड़की एजेंसी है। ● भारतीय अंतरिक्ष नीति, 2023 (Indian Space Policy, 2023) निजी कंपनियों को अंतरिक्ष गतिविधियाँ आरंभ से अंत तक स्वयं करने की अनुमति देती है और ISRO को अनुसंधान तथा उन्नत प्रौद्योगिकी का काम सौंपती है। ● विकिरण-रोधी चिप्स (Radiation-hardened chips) इस तरह बनाई जाती हैं कि वे उन ब्रह्मांडीय किरणों और सौर कणों के बीच भी काम करती रहें, जो कक्षा में साधारण इलेक्ट्रॉनिक्स को बिगाड़ या नष्ट कर देते।
जानने योग्य अवधारणाएँ (CONCEPTS TO KNOW)	● विकिरण-रोधी इलेक्ट्रॉनिक्स (Radiation-hardened electronics) · IN-SPACe और भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 (IN-SPACe and the Indian Space Policy 2023) ● इनकी छोटी व्याख्या : upscdarpan.in → कॉन्सेप्ट बूस्टर → आज के कॉन्सेप्ट

8. समाज (Society)

किसी महिला का पहला बैंक ऋण बड़ी नाजुक चीज़ है: वह एक समूह, एक प्रशिक्षित संयोजक और ब्याज पर मिलने वाली सहायता के वादे पर टिका होता है। जब इन तीनों के पीछे खड़ी योजना बिना किसी उत्तराधिकारी के समाप्त हो जाती है, तो नुकसान बजट की कोई पंक्ति भर नहीं होता; वह शहरी गरीबी से बाहर निकलने की टूटी हुई सीढ़ी होता है। आज का कार्ड इसी सीढ़ी को किसी बस्ती से लेकर केंद्रीय वित्त मंत्रालय तक देखता है।

8.1 शहरी आजीविका मिशन DAY-NULM बिना उत्तराधिकारी योजना के समाप्त, पाँच राज्यों ने माँगी धनराशि

गहन अध्ययन — आज का बड़ा मुद्दा (DEEP READ — the day's big issue)

आरवी सर का फ़ॉर्मूला · श्रेणी 3 — आम नागरिक से जुड़ा विकास का मुद्दा: बस्ती में टिफ़िन सेवा चलाने वाली महिला को इसी मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह (SHG) के ज़रिए पहला बैंक ऋण मिला; उत्तराधिकारी योजना के बिना यह सीढ़ी रुक जाती है।

मुद्दा Urban livelihoods and DAY-NULM (नया मुद्दा) **दृष्टि (Lens)** विकास और समता · केंद्र और राज्य

अब तक की कहानी 2013 से चल रहे केंद्र के शहरी आजीविका मिशन DAY-NULM ने दस लाख से अधिक महिला स्वयं सहायता समूह बनाए। यह 30 सितंबर 2024 को समाप्त हो गया; 25 शहरों में एक प्रायोगिक उत्तराधिकारी योजना शुरू हुई और राज्यों से कहा गया कि वे नई योजना के लिए मिशन के कर्मचारियों को बनाए रखें।

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, विभिन्न दलों के शासन वाले कम से कम पाँच राज्यों ने, यानी तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और त्रिपुरा ने, प्रधानमंत्री और आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) को बताया है कि शहरी आजीविका मिशन के लिए धन रुकने से शहरी गरीबों के बैंक संपर्क टूट जाएँगे। तमिलनाडु ने 2026-27 के लिए ₹350 करोड़, मध्य प्रदेश ने ₹101 करोड़ (इसमें चालू ऋणों पर ब्याज सहायता के ₹13.71 करोड़ शामिल हैं), महाराष्ट्र ने ₹80.99 करोड़ और त्रिपुरा ने ₹6.5 करोड़ माँगे हैं। कर्नाटक ने पूछा है कि क्या वह प्रायोगिक योजना की राशि, यानी बेंगलुरु के लिए ₹4.48 करोड़, जुलाई 2025 से बकाया कर्मचारियों के वेतन में लगा सकता है। अप्रैल 2025 के लोकसभा उत्तर के अनुसार मिशन 30 सितंबर 2024 को समाप्त हो गया और 25 शहरों की प्रायोगिक योजना 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2025 तक चली। सूत्रों के अनुसार नई योजना अब “विचाराधीन नहीं” है; MoHUA का एक सूत्र कहता है कि “नए स्वरूप” पर विचार हो रहा है।

पहले समझें — पृष्ठभूमि (FIRST, UNDERSTAND (BACKGROUND))

- 1. शहरी आजीविका मिशन किसलिए था** — राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (National Urban Livelihoods Mission) सितंबर 2013 में SJSRY की जगह शुरू हुआ और 2016 में इसका नाम दीनदयाल अंत्योदय योजना-NULM (DAY-NULM) रखा गया। MoHUA द्वारा चलाए जाने वाले इस मिशन ने शहर की गरीब महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों में संगठित किया, युवाओं को रोज़गार का प्रशिक्षण दिया, छोटे कारोबार के ऋणों पर ब्याज में छूट दी, बेघरों के लिए आश्रय बनाए और पथ विक्रेताओं का सर्वेक्षण किया।
- 2. समूह को वह ऋण क्यों मिलता है जो अकेले व्यक्ति को नहीं मिलता** — घर से खाना बेचने वाली महिला के पास न गिरवी रखने को कुछ होता है, न कोई ऋण-इतिहास, इसलिए बैंक उसे अकेले ऋण नहीं देता। ऐसी दस महिलाएँ जब साथ बचत करती हैं, हिसाब रखती हैं और एक-दूसरे की गारंटी लेती हैं, तो जोखिम कम दिखता है। मिशन हर समूह को ₹10,000 का आवर्ती कोष देता था और फिर उसे बैंक तक पहुँचने में मदद करता था।
- 3. ग्रामीण जुड़वाँ और पथ विक्रेता योजना** — ग्रामीण DAY-NRLM (आजीविका, 2011) आज भी चल रहा है। NULM के संयोजकों ने पथ विक्रेताओं को PM स्वनिधि (2020) के ऋण दिलाने में भी मदद की।

कठिन शब्द (KEY TERMS)

- स्वयं सहायता समूह (Self-help group, SHG) — दस से बीस गरीब महिलाओं का समूह, जो नियमित बचत करती हैं, आपस में उधार देती हैं और समूह के रूप में बैंक से ऋण लेती हैं।
- बैंक संपर्क (Bank linkage) — किसी SHG द्वारा कुछ महीने बचत करने और हिसाब-किताब रखने के बाद बैंक का उसे ऋण देना।
- ब्याज सहायता (Interest subvention) — सरकार ब्याज का एक हिस्सा स्वयं चुकाती है, जिससे उधार लेने वाले को कम दर पर ब्याज देना पड़ता है।
- केंद्र प्रायोजित योजना (Centrally sponsored scheme, CSS) — केंद्र की ऐसी योजना जिसे राज्य चलाते हैं और जिसका खर्च साझा होता है, सामान्यतः 60:40 के अनुपात में, तथा पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए 90:10 में।

एक पंक्ति में पूरी शृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

मिशन बिना स्वीकृत उत्तराधिकारी के समाप्त → केंद्रीय धन रुका → संयोजकों को वेतन नहीं मिला और ब्याज सहायता का बकाया बढ़ा → SHG के बैंक संपर्क कमज़ोर पड़े → शहरी महिलाओं से ऋण की पहली पायदान छिन गई

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)	1. शहरी गरीबी उन्मूलन नगरपालिका का विषय है — 74वें संविधान संशोधन (1992) ने अनुच्छेद 243W और बारहवीं अनुसूची जोड़ी, जिसकी प्रविष्टि 11 “शहरी गरीबी उन्मूलन” है। 2. शहरी रोजगार योजनाओं की लंबी कड़ी — DAY-NULM स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (Swarna Jayanti Shahari Rozgar Yojana, 1997) का उत्तराधिकारी था। MoHUA के अनुसार सितंबर 2024 तक केंद्र ने ₹5,733.10 करोड़ जारी किए थे और मिशन ने 10,02,545 SHG बनाए थे।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)	1. क्या महिला सामूहिकता पर टिकी कल्याण योजनाएँ दो योजनाओं के बीच के अंतराल को झेल पाएंगी ? — GS2 में “केंद्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ और इन योजनाओं का कार्य-निष्पादन” का उल्लेख है। इसमें ऋण के औज़ार के रूप में SHG, योजनाओं की निरंतरता, केंद्र-राज्य वित्तपोषण और शहरी गरीबी की गणना के प्रश्न अपेक्षित हैं।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	● DAY-NULM आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा चलाया जाता था; उसका ग्रामीण समकक्ष DAY-NRLM ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा चलाया जाता है। ● “शहरी गरीबी उन्मूलन” बारहवीं अनुसूची की प्रविष्टि 11 है (74वाँ संशोधन, 1992)। ● पथ विक्रेता (आजीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014 [Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Act, 2014] की धारा 22 के अनुसार प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी में एक नगर विक्रय समिति (Town Vending Committee) होती है, जिसकी अध्यक्षता नगर आयुक्त या मुख्य कार्यकारी अधिकारी करता है और जिसका गठन समुचित सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन होता है।
विश्लेषण (ANALYSIS)	1. योजना का अंतराल बचत से अधिक महँगा पड़ता है, क्योंकि SHG का भरोसा बनने में वर्ष लगते हैं और टूटने में सप्ताह — बैंक इसलिए ऋण देते हैं कि संयोजक हिसाब जाँचता है और सरकार ब्याज का बोझ बाँटती है; ये दोनों हटें तो ऋण देना धीमा पड़ जाता है। सितंबर 2024 तक 10,02,545 में से केवल 6,42,207 समूह बैंक से जुड़े थे (MoHUA), यानी एक-तिहाई समूह अभी ऋण तक पहुँचे ही नहीं थे। मध्य प्रदेश चेताता है कि ऋण मिशन से अधिक समय तक चलते हैं, इसलिए ब्याज सहायता का बकाया उन्हें चोट पहुँचाता है जिन्होंने “सद्भावना से” ऋण लिया। दूसरा पक्ष MoHUA का है: समूह अब स्वच्छ भारत (1.5 लाख महिलाएँ) और PMFME (लगभग 38,000 समूह) के अंतर्गत काम कर रहे हैं। इससे उन्हें काम मिलता है, पर ऋण की कोई सतत धारा नहीं बनती। 2. लेंस — संघीय: जब कोई CSS समाप्त होती है, तो राज्यों के हिस्से उसके कर्मचारी और उसकी देनदारियाँ आती हैं — MoHUA के 4 दिसंबर 2024 के पत्र ने राज्यों से कहा कि वे मिशन के कर्मचारियों को अपने धन से बनाए रखें और उसकी लागत “नए मिशन के अंतर्गत” वापस माँग लें। उस मिशन के संदिग्ध होने से प्रतिपूर्ति का कोई माध्यम नहीं बचा: कर्नाटक के पास जुलाई 2025 से वेतन का धन नहीं है और महाराष्ट्र को आखिरी बार धन मार्च 2024 में मिला था। दूसरा पक्ष: शहरी गरीबी बारहवीं अनुसूची का विषय है, इसलिए राज्य इसे स्वयं चला सकते हैं। यह समृद्ध राज्यों के लिए सही है; त्रिपुरा (6,796 समूह) को दो वर्ष से कोई नया धन नहीं मिला। 3. शहरी गरीबी की गणना ग्रामीण की तुलना में कम सावधानी से होती है, इसलिए उसे समेटना आसान होता है — प्रवासी, किराएदार और पथ विक्रेता घरेलू सर्वेक्षणों की पकड़ से छूट जाते हैं। MoHUA नीति आयोग का हवाला देता है: नौ वर्ष में 24.82 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले। पर यह सूचकांक शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास को गिनता है, असुरक्षित आय या बेदखली को नहीं। योजना आयोग के 2012 के एस.आर. हाशिम की अध्यक्षता वाले विशेषज्ञ समूह ने शहरी गरीबों की पहचान आवासीय, सामाजिक और व्यावसायिक असुरक्षा के आधार पर करने का सुझाव दिया था; तमिलनाडु की प्रायोगिक योजना में 1.26 लाख “असुरक्षित व्यावसायिक परिवारों” की रूपरेखा तैयार की गई। शहर आय बढ़ाते हैं, पर केवल औसत में।
दोनों पक्ष (BOTH SIDES)	● + पक्ष में: केंद्र का पक्ष: दस वर्ष और लगभग ₹9,000 करोड़ (केंद्र और राज्य मिलाकर, MoHUA के अनुसार) के बाद समूहों को स्वच्छ भारत, अमृत (AMRUT) और PMFME में समाहित किया जा सकता है। ● + पक्ष में: राजकोषीय अनुशासन: योजनाएँ अपने-आप हमेशा नहीं चलती रहनी चाहिए। ● – विपक्ष में: राज्यों का पक्ष: केंद्र ने उनसे कर्मचारी बनाए रखने को कहा और प्रतिपूर्ति का वादा किया, इसलिए योजना का समाप्त होना उसकी देनदारियाँ राज्यों पर और ऋण चुका रही महिलाओं पर डाल देता है। ● – विपक्ष में: समता: अभिसरण से कुछ समूहों को काम मिलता है, पर अब कोई नए समूह

	नहीं बनाता और ब्याज सहायता नहीं देता।
आगे की राह (WAY FORWARD)	1. पहले प्रतिबद्ध देनदारियाँ चुकाएँ — MoHUA और व्यय विभाग को 1 अक्टूबर 2024 से ब्याज सहायता और कर्मचारियों का बकाया चुका देना चाहिए, जैसा दिसंबर 2024 के पत्र में वादा किया गया था। 2. प्रायोगिक योजना के आधार पर एक सुगठित NULM 2.0 स्वीकृत करें — MoHUA के मसौदे दीनदयाल जन आजीविका योजना में वित्तीय समावेशन और अभिसरण सहित पाँच घटक बताए गए थे। इसे शहरी गरीबों की पहचान असुरक्षा के आधार पर करनी चाहिए, जैसा हाशिम समूह ने सुझाया था। 3. शहरों को आजीविका प्रकोष्ठ दें — SHG को PM स्वनिधि और नगरपालिका सेवाओं का वितरण-साझेदार बनाएँ, जिसे शहरी स्थानीय निकाय चलाएँ।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	स्वयं सहायता समूहों को धन से अधिक निरंतरता की आवश्यकता होती है। DAY-NULM के समाप्त होने और शहरी गरीबों पर उसके प्रभाव के संदर्भ में इसका परीक्षण कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. निर्देश — परीक्षण कीजिए — दावे को प्रमाणों की कसौटी पर परखें और एक निष्कर्ष पर पहुँचें। 2. भूमिका — दस लाख समूह बनाने वाला मिशन उत्तराधिकारी के बिना समाप्त — नमूना : DAY-NULM ने दस लाख से अधिक शहरी महिला SHG बनाएँ; 2024 में उसके समाप्त होने के बाद पाँच राज्य चेता रहे हैं कि इन समूहों के बैंक संपर्क संकट में हैं। 3. मुख्य भाग — SHG का ऋण एक बार के अनुदान पर नहीं, संयोजक, ब्याज सहायता और समय पर टिका है — मूल्यवर्धन: 10,02,545 में से 6,42,207 समूह बैंक से जुड़े। एक सीढ़ी बनाएँ: बचत → आवर्ती कोष → पहला बैंक ऋण → उद्यम। 4. मुख्य भाग — योजना का समाप्त होना प्रतिबद्ध देनदारियाँ राज्यों और उधार लेने वालों पर छोड़ देता है — मध्य प्रदेश की ₹13.71 करोड़ की ब्याज सहायता का बकाया; कर्नाटक के अवैतनिक कर्मचारी; दिसंबर 2024 की प्रतिपूर्ति का वादा। 5. मुख्य भाग — अभिसरण समूहों को समाहित करता है, मिशन की जगह नहीं लेता — स्वच्छ भारत और PMFME समूहों को रोज़गार देते हैं, उन्हें बनाते नहीं। 6. मुख्य भाग — शहरी गरीबी की पहचान अधूरी है — बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI) आय और बेदखली के जोखिम को नहीं पकड़ता; हाशिम समूह के असुरक्षा-आधारित दृष्टिकोण का उल्लेख करें। 7. निष्कर्ष — MoHUA पहले बकाया चुकाए, फिर एक सुगठित उत्तराधिकारी शुरू करे — नमूना : MoHUA को पहले वह बकाया चुकाना चाहिए जिसकी प्रतिपूर्ति का उसने वादा किया था और फिर एक सुगठित NULM 2.0 अधिसूचित करना चाहिए, ताकि किसी महिला का पहला ऋण बजट-चक्र का मोहताज न रहे।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	प्रश्न 1. नगर आयुक्त के रूप में आप पाते हैं कि आपके शहर के आजीविका मिशन के कर्मचारियों को महीनों से वेतन नहीं मिला है और SHG नेता बताती हैं कि बैंक ऋण देना धीमा कर रहे हैं। आप क्या करेंगे? दृष्टिकोण (Approach): मेरे पास विकल्प हैं: कर्मचारियों को जाने दूँ, उन्हें बिना वेतन रखूँ, या निगम के धन से एक मुख्य टीम को वेतन दूँ। उन्हें जाने देने से समूह ऋण के बीच में ही बिखर जाएँगे। मैं मुख्य सामुदायिक संयोजकों को शहर के अपने धन से रखूँगा, जैसा MoHUA के दिसंबर 2024 के पत्र ने अनुमति दी थी, प्रतिपूर्ति के लिए एक-एक रुपये का हिसाब रखूँगा और राज्य मिशन को देनदारी का आँकड़ा भेजूँगा। साथ ही समूहों को कैटीन और सफ़ाई जैसे नगरपालिका कार्य दूँगा। हितधारक हैं SHG की महिलाएँ, कर्मचारी, बैंक और शहर की वित्तीय स्थिति। निर्णायक सिद्धांत यह है: उधार लेने वालों से किया गया सरकार का वादा तब भी निभना चाहिए जब कागज़ी कार्रवाई लंबित हो।
कर्मयोगी की कसौटी (तीन A)	क्षमता (Ability) — दिसंबर 2024 के पत्र के प्रतिपूर्ति खंड का सही उपयोग और साफ़ लेखा-जोखा, ताकि शहर अपने बजट-नियम तोड़े बिना कर्मचारियों को आज ही वेतन दे सके।

9. नैतिकता एवं प्रशासक कोना — समन्वित केस स्टडी (Ethics & Administrator's Corner — Integrative Case Studies)

ये तीन केस स्टडी आज के समाचार पत्रों की कहानियों को जीएस4-शैली (GS4-style) के परिदृश्यों में एक साथ पिरोती हैं। आदर्श दृष्टिकोण (Model Approach) पढ़ने से पहले प्रश्नों को कागज़ पर हल करें, जिसे नामित बिंदुओं के रूप में लिखा गया है ताकि आप केवल अपने निष्कर्षों की नहीं, बल्कि अपनी संरचना की भी इससे तुलना कर सकें।

प्रकरण 1 — सर्वर से आई नोटिस-सूची: निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और 'तार्किक विसंगति'

परिदृश्य (SCENARIO) द हिंदू (14 अक्टूबर) ने विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) में दिल्ली की प्रारूप निर्वाचक नामावली का विश्लेषण किया: 97.54 लाख निर्वाचकों में से 33.12 लाख को नोटिस के लिए चिह्नित किया गया, और उनमें से 19.33 लाख को "तार्किक विसंगतियों" के लिए, जो आठ कारणों पर आधारित थीं, जैसे "संतान ≥ 6 " और "माता-पिता की आयु का अंतर > 50 "। किसे चिह्नित किया जाए, यह नामावली के वैधानिक संरक्षक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (Electoral Registration Officers) ने नहीं, बल्कि निर्वाचन आयोग के केंद्रीकृत सॉफ्टवेयर ERONET ने तय किया। 13.6% निर्वाचकों वाला एक समुदाय तार्किक विसंगतियों के लिए चिह्नित लोगों में 20.3% और परिवार के आकार से जुड़े पाँच कारणों पर चिह्नित लोगों में 30% था। ECI ने इन कारणों की व्याख्या नहीं की है। मान लीजिए आप एक ERO हैं। प्रणाली ने आपके निर्वाचन क्षेत्र के लिए 40,000 नोटिस बना दिए हैं और समय-सीमा भी तय है। आप यह नहीं देख सकते कि किसी एक व्यक्ति को क्यों चिह्नित किया गया।

प्रश्न 1. क्या आप नोटिस वैसे ही जारी करेंगे जैसे वे बने हैं? कारण दीजिए।

प्रश्न 2. आप अपने वरिष्ठों से क्या माँगेंगे और उसे कैसे दर्ज करेंगे?

प्रश्न 3. जिन निर्वाचकों को बिना किसी अपनी गलती के चिह्नित किया गया हो, उनकी रक्षा आप कैसे करेंगे?

आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH)

- चिह्न एक सुराग है, निष्कर्ष नहीं** — लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (Representation of the People Act, 1950) की धारा 13ख के अंतर्गत नामावली का निर्माण और पुनरीक्षण ERO करता है; इसलिए नोटिस जारी करने का निर्णय कानूनन आपका है। हर चिह्न को देखने का कारण मानिए, कार्रवाई का कारण नहीं। नोटिस में ऐसा आधार बताना ज़रूरी है जिसे निर्वाचक समझ सके और जिसका उत्तर दे सके; "कोई कारण उल्लिखित नहीं" जैसी श्रेणी ऐसे नोटिस को टिका नहीं सकती।
- तर्क लिखित में माँगिए** — ज़िला निर्वाचन अधिकारी और मुख्य निर्वाचन अधिकारी को लिखिए कि प्रत्येक कारण के मानदंड क्या हैं और वे कैसे तय किए गए। इस बीच बुथ स्तर के अधिकारियों से चिह्नित प्रविष्टियों का मौके पर सत्यापन कराइए; नोटिस वहीं जारी कीजिए जहाँ सत्यापन के बाद भी वास्तविक संदेह बचे। हर पूछताछ और निर्णय की फ़ाइल-टिप्पणी रखिए, ताकि अभिलेख से दिखे कि आपने विवेक का प्रयोग किया।
- देखिए, बोझ किस पर पड़ रहा है** — यदि चिह्न किसी एक समूह पर कहीं अधिक पड़ रहे हों, तो किसी समुदाय पर टिप्पणी किए बिना यह पैटर्न ऊपर तक भेजिए। जो लोग सबसे ज़्यादा फँस सकते हैं, उनकी मदद कीजिए। द हिंदू के अनुसार कई वृद्ध निर्वाचकों को अपनी जन्मतिथि ठीक-ठीक पता नहीं होती; इसके लिए सहायता-कक्ष, सरल भाषा के नोटिस और उत्तर देने के लिए पर्याप्त समय दीजिए। किसी ऐसे सॉफ्टवेयर-नियम के कारण किसी का नाम नामावली से नहीं कटना चाहिए जिसे कोई समझा न सके।
- निष्कर्ष — जिस A की परीक्षा है: क्षमता (Ability)** — यहाँ क्षमता का अर्थ है मशीन के निष्कर्ष को आदेश नहीं, साक्ष्य की तरह पढ़ना, और केवल वही नोटिस हस्ताक्षरित करना जिसका आधार आप निर्वाचक को समझा सकें।

प्रकरण 2 — जंगल से विश्वविद्यालय की मेज़ तक: पुलिस अधीक्षक, आत्मसमर्पित कमांडर और मृतकों के परिवार

परिदृश्य (SCENARIO) द इंडियन एक्सप्रेस (14 अक्टूबर) की रिपोर्ट है कि ₹6 करोड़ के इनामी पूर्व माओवादी नेता मल्लोजुला वेणुगोपाल ने 15 अक्टूबर 2025 को 60 अन्य कैदियों के साथ आत्मसमर्पण किया। उन्होंने एक अखबार के विज्ञापन पर आवेदन किया और अब गढ़चिरौली में गोंडवाना विश्वविद्यालय के एकल (ग्रामसभा) केंद्र में समन्वयक हैं, जो ग्रामसभाओं को PESA और वन अधिकार अधिनियम (Forest Rights Act) का प्रशिक्षण देता है, यानी उन कानूनों का, जिनका माओवादी कभी विरोध करते थे। गढ़चिरौली के पुलिस अधीक्षक कहते हैं कि पात्र पाए गए आत्मसमर्पित कैदियों को पुलिस बसने में मदद करती है। जन संघर्ष समिति के दत्ता शर्मा का कहना है कि माओवादी हिंसा में पुलिसकर्मी और निर्दोष आदिवासी मारे गए हैं, और ऐसे व्यक्ति को पद देना "प्रभावित लोगों का अपमान" है। मान लीजिए आप पुलिस अधीक्षक हैं। मारे गए सिपाहियों के परिवार आपसे मिलकर उन्हें हटाने की माँग करते हैं; विश्वविद्यालय आपकी राय पूछता है।

प्रश्न 1. क्या आप विश्वविद्यालय को उन्हें पद पर बनाए रखने की सलाह देंगे?

प्रश्न 2. पीड़ितों के परिवारों के प्रति आपकी क्या देनदारी है?

प्रश्न 3. भविष्य में आत्मसमर्पण और पुनर्वास को कैसे संभाला जाना चाहिए?

आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH)

- पुनर्वास क्षमादान नहीं है** — पुष्टि कीजिए कि यह पद खुले विज्ञापन के ज़रिए घोषित पात्रता के आधार पर भरा गया और राज्य की आत्मसमर्पण नीति का पालन हुआ। कोई भी लंबित आपराधिक मामला अदालत में अपने क्रम से चलेगा; यह साफ़ शब्दों में कहिए। इसी आधार पर विश्वविद्यालय को सलाह दीजिए कि नियुक्ति बनी रहे, और एक निश्चित अवधि के बाद उनके कार्य की समीक्षा हो।

2. **पहले परिवारों की सुनिश्चित** — परिवारों से स्वयं मिलिए, किसी कनिष्ठ अधिकारी के माध्यम से नहीं। जाँचिए कि उनसे वादा किया गया हर मुआवज़ा, पेंशन और नौकरी उन्हें मिल गई है या नहीं, और जो देरी है उसे दूर कीजिए। ज़िला आगे पुनर्वास कैसे संभाले, इसमें पीड़ितों के प्रतिनिधियों को भी बोलने का अवसर दीजिए। उनका शोक कोई बाधा नहीं है जिसे संभालना पड़े; वह राज्य पर उनका दावा है।
3. **भूमिका को उसके परिणाम से परखिए** — यह काम प्रशिक्षण का है, कमान का नहीं: ग्रामसभाओं का कानून के ज़रिए वन अधिकार मॉगना सीखना बंदूक की दलील को कमज़ोर करता है। इस व्यवस्था को शांत और निगरानी में रखिए। टिकाऊ शांति के लिए पीड़ितों को न्याय भी चाहिए और हथियार डालने वालों के लिए लौटने का रास्ता भी।
4. **निष्कर्ष** — जिस A की परीक्षा है: **गुमनामी (Anonymity)** — गुमनामी का अर्थ है आत्मसमर्पित कमांडर को पुलिस अधीक्षक की ट्रॉफी की तरह पेश न करना: कोई फ़ोटो-अवसर नहीं, श्रेय नीति को, और ध्यान उन परिवारों को जिन्होंने अपनों को खोया है।

10. प्रारंभिक परीक्षा त्वरित-पुनरीक्षण तथ्य (Prelims Quick-Revision Facts)

ये तथ्य उसी पैटर्न पर लिखे गए हैं जिस पर यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा (UPSC Prelims) वास्तव में प्रश्न पूछती है — प्रावधान, मूल अधिनियम, नियुक्ति या प्रशासनिक प्राधिकारी, संरचना, परिभाषा, संधि का वर्ष और कानून में तथ्य सीमा। समाचार केवल संदर्भ देता है; उसके पीछे का स्थायी तथ्य ही पूछा जाता है। जिन अस्थायी आँकड़ों पर कोई वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं बन सकता, उन्हें जानबूझकर छोड़ा गया है।

विषय (TOPIC)	परीक्षा-पैटर्न तथ्य (EXAM-PATTERN FACTS)
बिम्सटेक 'दिल्ली घोषणा' — उसमें उल्लिखित अभिसमय	नई दिल्ली में 13 अक्टूबर को हुई बिम्सटेक (BIMSTEC) के गृह मंत्रियों की पहली बैठक में 'दिल्ली घोषणा' अपनाई गई (बैठक 13 अक्टूबर को त्वरित तथ्य थी; आज नई बात घोषणा है)। इसमें उल्लेख है कि अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद, सीमा-पार संगठित अपराध और अवैध मादक पदार्थ तस्करी से मुकाबले का बिम्सटेक अभिसमय मार्च 2021 से लागू है, और आपराधिक मामलों में पारस्परिक विधिक सहायता का अभिसमय मार्च 2022 में कोलंबो के 5वें शिखर सम्मेलन में हस्ताक्षरित हुआ था। घोषणा प्रत्यर्पण, दंडित व्यक्तियों के अंतरण और मानव तस्करी पर अभिसमयों को शीघ्र अंतिम रूप देने का आग्रह करती है, 1267 समिति सहित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रतिबंधों को लागू करने की अपील करती है, और बिम्सटेक मादक पदार्थ अपराध निगरानी डेस्क का उल्लेख करती है (PIB, गृह मंत्रालय, 13 अक्टूबर)। गृह मंत्रियों की बैठकों का निर्णय 4थे शिखर सम्मेलन (काठमांडू, 2018) में लिया गया था।
समर्थक — नौसेना का पहला बहुउद्देशीय पोत	नौसेना 16 अक्टूबर को कारवार के नौसैनिक अड्डे पर 'समर्थक' को कमीशन करेगी। L&T द्वारा निर्मित यह चार बहुउद्देशीय पोतों में पहला है। इसकी भूमिकाएँ हैं: समुद्री निगरानी एवं गश्त, निम्न-तीव्रता वाले समुद्री अभियान, लक्ष्य-तैनाती और हथियार-परीक्षण का मंच, मानवरहित एवं स्वायत्त प्रणालियों का मातृ-पोत, मानवीय सहायता एवं आपदा राहत, सीमित अस्पताल-पोत में रूपांतरण, और बचाव-कार्य (सेल्वेज)। इसके प्रतीक-चिह्न में लहरों से निकलता हाथी है; आदर्श वाक्य है "विजयाथर्मम् एकनिष्ठता" ("विजय ही हमारा एकमात्र लक्ष्य") (PIB, रक्षा मंत्रालय, 13 अक्टूबर; द इंडियन एक्सप्रेस पृ. 7 भी)।
समुद्री राज्य विकास परिषद — अब सांविधिक निकाय	बंदरगाह, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल की अध्यक्षता में समुद्री राज्य विकास परिषद (MSDC) की 21वीं बैठक मुंबई में हुई। यह पहली बैठक थी जब MSDC भारतीय बंदरगाह अधिनियम, 2025 (Indian Ports Act, 2025) के अंतर्गत सांविधिक परामर्शदात्री निकाय बनी है, जो 15 मई 2026 को अधिसूचित हुआ (PIB, बंदरगाह, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय, 13 अक्टूबर)। MSDC की स्थापना पहली बार 1997 में बंदरगाहों के विषय पर केंद्र और तटीय राज्यों में समन्वय के लिए हुई थी: प्रमुख बंदरगाह संघ का विषय है, जबकि गैर-प्रमुख बंदरगाह राज्य चलाते हैं।
EPFO — छूट-रहित PF न्यासों के लिए एकमुश्त अवसर	29 जून 2026 को अधिसूचित एक माफ़ी-योजना (एम्नेस्टी) उन भविष्य निधि न्यासों को एकमुश्त अवसर देती है जो आयकर अधिनियम के अंतर्गत मान्यता-प्राप्त हैं, पर जिनके पास कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 17 या सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 143 के अंतर्गत छूट का आदेश नहीं है। यह अवसर 28 दिसंबर 2026 को बंद होगा, और संहिता की कर्मचारी-संख्या, कोष-राशि तथा तीन वर्ष के अनुपालन-रिकॉर्ड की शर्तें माफ़ हैं (PIB, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, 13 अक्टूबर)। छूट मिलने पर नियोक्ता EPFO में राशि जमा करने के बजाय अपना PF न्यास स्वयं चला सकता है।
NRC 268 और NRC 270 — इंदौर की सोयाबीन किस्में	9 अक्टूबर को सोयाबीन हॉवैस्ट डे पर ICAR-राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान, इंदौर ने बताया कि उसकी किस्में NRC 268 और NRC 270 की उपज लगभग 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर रही, जबकि भारत में सोयाबीन की औसत उपज लगभग 10-11 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है (PIB, ICAR, 13 अक्टूबर)। सोयाबीन खरीफ की तिलहनी एवं दलहनी फ़सल है; भारत की अधिकांश फ़सल मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में होती है।
आयुष — त्वचा रोगों के लिए मानक उपचार दिशानिर्देश	आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी के लिए, योग सहित, त्वचा रोगों के मानक उपचार दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। इन्हें स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के आयुष प्रभाग ने तैयार किया है (PIB, आयुष मंत्रालय, 13 अक्टूबर)। मानक उपचार दिशानिर्देश बताते हैं कि किसी रोग की पहचान और उपचार कैसे हो, ताकि सभी चिकित्सकों के यहाँ देखभाल एक-सी रहे।
HAL, राष्ट्रीय संस्कृति कोष और ASI — हम्पी, ताजमहल और बेकल क़िला	हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL), राष्ट्रीय संस्कृति कोष और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने हम्पी (उत्तरी और दक्षिणी बाज़ार), ताजमहल और केरल के बेकल क़िले के संरक्षण-कार्य के लिए समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। HAL अपने CSR कोष से 2026-27 से 2028-29 के दौरान ₹23.60 करोड़ देगा (PIB, संस्कृति मंत्रालय, 13 अक्टूबर)। राष्ट्रीय संस्कृति कोष संस्कृति मंत्रालय द्वारा 1996 में बनाया गया न्यास है, जो कॉर्पोरेट, CSR और अन्य दाताओं को सरकार के साथ साझेदारी में धरोहर-संरक्षण के लिए धन देने देता है; हम्पी और ताजमहल यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं।
मुकुट पर्वत पर भारतीय तटरक्षक	भारतीय तटरक्षक के 17 सदस्यीय दल ने हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट, दार्जिलिंग के अधीन 7 अक्टूबर को उत्तराखंड में मुकुट पर्वत (7,045 मी.) पर चढ़ाई पूरी की। यह 2027 में, जो तटरक्षक का स्वर्ण जयंती वर्ष है, एवरेस्ट पर चढ़ाई के प्रयास से पहले प्रशिक्षण का अंतिम चरण था (PIB, रक्षा मंत्रालय, 12 अक्टूबर)। रक्षा मंत्रालय के अधीन तटरक्षक की स्थापना 1977 में हुई और तटरक्षक अधिनियम, 1978 (Coast Guard Act, 1978) ने उसे वैधानिक आधार दिया।

विषय (TOPIC)	परीक्षा-पैटर्न तथ्य (EXAM-PATTERN FACTS)
विश्व खाद्य दिवस — 16 अक्टूबर	विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को पड़ता है; 2026 का विषय है “आज नवाचार करें, कल का पोषण करें।” (संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन, fao.org)। यह दिन 16 अक्टूबर 1945 को FAO की स्थापना की स्मृति में मनाया जाता है; FAO संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसी है और उसका मुख्यालय रोम में है।
ESTIC-2026 — DRDO चिप्स सत्र का नेतृत्व करेगा	उभरते विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार सम्मेलन (ESTIC-2026) का आयोजन 27-29 अक्टूबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा, जिसे प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के मार्गदर्शन में बारह मंत्रालय और विभाग आयोजित कर रहे हैं। DRDO इसके “सेमीकंडक्टर और अगली पीढ़ी की चिप्स” सत्र का नेतृत्व करेगा, जिसमें वक्ता माइक्रोन इंडिया, भारत सेमी, नेत्रासेमी और IIT मद्रास से होंगे (PIB, रक्षा मंत्रालय/DRDO, 13 अक्टूबर)।
अनुच्छेद 22(3)-(7) — निवारक निरोध में रक्षोपाय	दिल्ली में विरोध-प्रदर्शनकारियों की हिरासतों पर द हिंदू के व्याख्यात्मक लेख (पृ. 10) में कानून का ब्योरा दिया गया है; सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र को गुरुवार, 15 अक्टूबर को अपना उत्तर दाखिल करने की अनुमति दी है (द हिंदू पृ. 12)। आज नई बात संवैधानिक ढाँचा है; धारा 163 BNSS 5 और 9 अक्टूबर को त्वरित तथ्य थी। अनुच्छेद 22(3): खंड (1) और (2) के सामान्य गिरफ्तारी-रक्षोपाय शत्रु-देशीय विदेशियों पर, या निवारक निरोध विधि के अधीन निरुद्ध व्यक्तियों पर लागू नहीं होते। 22(4): तीन माह से अधिक निरोध तभी हो सकता है जब ऐसे व्यक्तियों का सलाहकार बोर्ड, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, रहे हैं या होने के योग्य हैं, पर्याप्त कारण बताए। 22(5): निरोध के आधार यथाशीघ्र बताए जाएँ और अभ्यावेदन करने का शीघ्रतम अवसर दिया जाए। 22(6): लोकहित के विरुद्ध तथ्य प्रकट करना आवश्यक नहीं। 22(7): संसद बोर्ड के बिना लंबे निरोध, अधिकतम अवधि और बोर्ड की प्रक्रिया का उपबंध कर सकती है। इस श्रेणी के कानूनों में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (National Security Act, 1980) और COFEPOSA, 1974 हैं।
RBI का विदेशी मुद्रा जोखिम आरक्षित कोष — अब बैंकों के अपने बचाव-सौदों पर भी	12 अक्टूबर की देर शाम RBI ने बैंकों को बताया कि अपनी तुलन-पत्र (बैलेंस शीट) पर मुद्रा-जोखिम से बचाव के लिए प्रयुक्त डेरिवेटिव अनुबंधों के लिए भी, प्रत्येक अनुबंध की काल्पनिक राशि (नोशनल) के 20% तक का विदेशी मुद्रा जोखिम आरक्षित कोष (FERR) रखना होगा। साथ ही FERR को अनिवासी ग्राहकों के साथ नॉन-डिलीवरेबल रुपया अनुबंधों तक बढ़ाया गया है; केवल बचाव (हेजिंग) के लिए (द इकोनॉमिक टाइम्स पृ. 4, 13)। आज नई बात यह विस्तार है; बड़े विदेशी मुद्रा डेरिवेटिवों पर 20% FERR और 5 मिलियन डॉलर की सीमा 11 अक्टूबर को कार्ड में दी गई थी। नॉन-डिलीवरेबल फॉरवर्ड का निपटान विनियम दरों के अंतर पर डॉलर में होता है, रुपये की सुपुर्दगी के बिना।
नागास्त्र-1R — सेना की स्वदेशी लॉइटरिंग मुनिशन की सबसे बड़ी खेप	सेना को 13 अक्टूबर को 450 नागास्त्र-1R लॉइटरिंग मुनिशन मिलीं, जो स्वदेशी लॉइटरिंग मुनिशन की उसकी अब तक की सबसे बड़ी खेप है। परीक्षणों के बाद एकमात्र तकनीकी विजेता रही सोलर डिफेंस एंड एयरोस्पेस लिमिटेड द्वारा आपूर्ति की गई इन मुनिशन का ऑर्डर गत वर्ष रक्षा मंत्रालय द्वारा दी गई आपातकालीन खरीद-शक्तियों के अंतर्गत दिया गया था; ऑर्डर ₹158 करोड़ से अधिक का था। नागास्त्र-1R को नियंत्रण रेखा पर कम गहराई में शत्रु के टिकानों और घुसपैठियों पर कम दूरी से, कामिकाजे शैली में, प्रहार के लिए बनाया गया है (द इकोनॉमिक टाइम्स पृ. 8)। लॉइटरिंग मुनिशन लक्ष्य-क्षेत्र के ऊपर चक्कर लगाती है और फिर लक्ष्य पर गोता लगाती है।
ज़ाइडस का कीटूडा बायोसिमिलर — USFDA की समीक्षा के लिए स्वीकृत	अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन (US FDA) ने ज़ाइडस लाइफ़साइंसेज़ के FYB206 के बायोलॉजिक्स लाइसेंस आवेदन को समीक्षा के लिए स्वीकार किया है, जिसे कंपनी कैसर-औषधि कीटूडा (पेम्ब्रोलिजुमैब) का विश्व का पहला सार्वजनिक रूप से घोषित बायोसिमिलर बताती है; इसे म्यूनिख की फ़ार्मीकॉन AG के साथ विकसित किया गया है, और निर्णय 2027 की तीसरी तिमाही तक अपेक्षित है (द इकोनॉमिक टाइम्स पृ. 9)। पेम्ब्रोलिजुमैब प्रतिरक्षा चेकपॉइंट अवरोधक है, जो प्रतिरक्षा कोशिकाओं पर PD-1 ग्राही को रोककर उन्हें कैसर कोशिकाओं पर प्रहार करने के लिए मुक्त करता है। बायोसिमिलर किसी जैविक औषधि की निकट प्रतिलिपि होती है; रासायनिक जेनेरिक के विपरीत वह हूबहू समान नहीं हो सकती।
अमरावती में IBM क्वांटम कंप्यूटर — आंध्र प्रदेश क्वांटम वैली	IBM अगले वर्ष के आरंभ में अमरावती के एक नए टेक पार्क में भारत का, जैसा वह कहती है, सबसे बड़ा क्वांटम कंप्यूटर लगाएगी; यह टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज़ के साथ उसकी आंध्र प्रदेश क्वांटम वैली पहल का हिस्सा है। यह सुविधा व्यावहारिक अनुप्रयोगों पर काम करेगी और भारतीय उद्यमों को क्वांटम-पश्चात क्रिप्टोग्राफी के लिए तैयार होने में मदद देगी। नीति आयोग का अनुमान है कि 2030 के दशक में क्वांटम नेतृत्व के लिए भारत को लगभग 1,00,000 क्वांटम डेवलपर प्रशिक्षित करने होंगे (द इकोनॉमिक टाइम्स पृ. 16)। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन 2023 में स्वीकृत राष्ट्रीय क्वांटम मिशन इस क्षेत्र में केंद्र का कार्यक्रम है।
CGWB — मुंबई के जलभृतों में समुद्री जल का अंतः प्रवेश	केंद्रीय भूजल बोर्ड (CGWB) के अध्ययन ने, जो उसकी 2025 की जलभृत प्रबंधन योजना का अंग है, पाया कि मुंबई का लगभग 35% क्षेत्र मीठे पानी के जलभृतों में समुद्री जल के अंतः प्रवेश के प्रति अत्यंत संवेदनशील है। फ़ोर्ट, शिवाजी पार्क (दादर), मुलुंड पूर्व और माहिम में खारा भूजल मिला, और अत्यंत खारे क्षेत्रों में विद्युत चालकता 10,000 माइक्रोसीमेंस प्रति सेमी से ऊपर रही। बोर्ड ने फ़ोर्ट में भूजल विकास 60 मी. गहराई तक सीमित रखने, शिवाजी पार्क में उसे प्रतिबंधित करने, तथा पुनर्भरण गड्ढे और शाफ्ट बनाने की सिफ़ारिश की है (द इंडियन एक्सप्रेस पृ. 3)। अत्यधिक पंपिंग से मीठे पानी का दाब घटता है और समुद्री जल भीतर घुस आता है; विद्युत चालकता घुले हुए लवणों को मापती है।
नेपाल के गोरखा में आकस्मिक	पिछले सप्ताह नेपाल के गोरखा ज़िले में बुद्धी गंडकी नदी के किनारे की बस्तियों पर पानी, कीचड़ और

विषय (TOPIC)	परीक्षा-पैटर्न तथ्य (EXAM-PATTERN FACTS)
बाढ़ — भारतीय हिमालय के लिए GLOF की चेतावनी	बोल्डरों का उफान आ टूटा। देहरादून के वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान के हिमनद-विज्ञानी मनीष मेहता ने कहा कि यह संभावित हिमनद झील विस्फोट बाढ़ (GLOF) या बर्फ-चट्टान हिमस्खलन से मेल खाता प्रतीत होता है; तंत्र अभी स्थापित नहीं है। विशेषज्ञ संवेदनशील झीलों की उपग्रह-मैपिंग और ऐसे ज़मीनी संसरो की मांग करते हैं जो घंटों पहले चेतावनी दे सकें (द इंडियन एक्सप्रेस पृ. 13)। भारतीय उदाहरण: केदारनाथ (2013) और चमोली (2021), ऋषिगंगा घाटी में चट्टान-बर्फ का भूस्खलन)। NDMA ने 2020 में हिमनद झील विस्फोट बाढ़ प्रबंधन के दिशानिर्देश जारी किए थे।
CSR — कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135	धारा 135 के अंतर्गत ₹500 करोड़ या अधिक की निवल संपत्ति, ₹1,000 करोड़ या अधिक के कारोबार, या ₹5 करोड़ या अधिक के निवल लाभ वाली कंपनी को अपने पिछले तीन वित्त वर्षों के औसत निवल लाभ का कम से कम 2% अनुसूची VII में सूचीबद्ध CSR गतिविधियों पर खर्च करना होता है। इंडियन एक्सप्रेस के एक लेख (पृ. 8) में एक वरिष्ठ प्रौद्योगिकी सलाहकार ने CSR खर्च को प्रति वर्ष ₹40,000 करोड़ से अधिक बताया है (2024-25 में 29,500 कंपनियों द्वारा ₹40,794 करोड़) और यह भी कि महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और दिल्ली को मिलाकर ₹20,000 करोड़ से अधिक मिले — धन ज़रूरत से ज़्यादा कंपनी के स्थान के पीछे चलता है। यह अनिवार्यता 2014 में लागू हुई थी।
मराठा आरक्षण — SEBC अधिनियम, 2024 पर सुनवाई फिर से शुरू	बॉम्बे उच्च न्यायालय की नई पूर्ण पीठ (न्यायमूर्ति मकरंद एस. कर्णिक, एन.जे. जामदार और संदीप वी. मारने) ने महाराष्ट्र के सामाजिक एवं शैक्षिक पिछड़ा वर्ग (SEBC) अधिनियम, 2024 — सार्वजनिक नौकरियों और शिक्षा में 10% मराठा आरक्षण — की चुनौती पर 9 अक्टूबर को सुनवाई नए सिरे से शुरू की; लगभग 40 सुनवाईयों के बाद यह तीसरी बार शुरुआत है, और अगली सुनवाई 23 अक्टूबर को है। पीठ में एक न्यायाधीश भी बदले तो सुनवाई नए सिरे से (de novo) होती है। अधिनियम के अंतर्गत प्रवेश और नौकरियाँ अंतिम परिणाम के अधीन रहेंगी (द इंडियन एक्सप्रेस पृ. 5)। सर्वोच्च न्यायालय ने मई 2021 में 2018 का मराठा कानून इंद्रा साहनी (1992) में तय 50% की सीमा के उल्लंघन के कारण रद्द कर दिया था।
CBD COP17 — आर्मेनिया में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन	जैव विविधता अभिसमय (CBD) के पक्षकारों का 17वाँ सम्मेलन (CBD COP17) आर्मेनिया के येरेवान में 19-30 अक्टूबर को 'प्रकृति के लिए कार्रवाई' नारे के साथ होगा (द हिंदू पृ. 22; CBD सचिवालय, cbd.int)। CBD 1992 के रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन में हस्ताक्षर के लिए खोला गया था; COP15 ने 2022 में कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढाँचा अपनाया, जिसका '30 बाई 30' लक्ष्य 2030 तक 30% भूमि और समुद्र की रक्षा करना है। भारत जैव विविधता अधिनियम, 2002 (Biological Diversity Act, 2002) के माध्यम से CBD को प्रभावी बनाता है।

स्रोत टिप्पणी (Source note): सभी सामग्री द हिंदू (मुंबई), द इंडियन एक्सप्रेस (मुंबई) और द इकोनॉमिक टाइम्स (दिल्ली) — 14 अक्टूबर 2026 से ली गई है; जहाँ संकेतित है वहाँ आधिकारिक विज्ञप्तियों (official releases) और पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च (PRS Legislative Research) से पूरक। तथ्य, आंकड़े और उद्धरण उसी तारीख को रिपोर्ट किए गए अनुसार पुनरुत्पादित हैं; उत्तर में उपयोग करने से पहले उनकी वर्तमानता (चल रही कानूनी कार्यवाही, बदलते आंकड़े) सत्यापित करें।

11. उत्तर-लेखन, GS1, मानचित्र, नीतिशास्त्र और CSAT

रोज़ का वह हिस्सा जो अखबार नहीं देते: एक पूरा लिखा आदर्श उत्तर, GS1 का एक स्थायी विषय, मानचित्र अभ्यास, GS4 का एक सैद्धांतिक शब्द और CSAT का अभ्यास।

11.1 आज का आदर्श उत्तर — कार्ड 1.1 (15 अंक, 250 शब्द)

“महीनों जेल में रहने के बाद पहुँची विधिक सहायता, सहायता से इनकार ही है।” भारत के विचाराधीन कैदियों के संदर्भ में इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)

भूमिका — अनुच्छेद 39क निःशुल्क विधिक सहायता का वचन देता है, और खत्री बनाम बिहार राज्य (1981) में यह दायित्व पहली पेशी से शुरू होता है। फिर भी महाराष्ट्र के 22,000 से अधिक विचाराधीन कैदियों वाले कार्यक्रम में सहायता औसतन 171 दिन बाद पहुँची। कथन काफ़ी हद तक सही है, पर देर से मिली सहायता व्यर्थ नहीं।

- ज़मानत शुरुआत में ही जीती या हारी जाती है** — सहायता से पहले केवल 1% से 6% प्रतिभागियों को ज़मानत मिली थी; बाद में 61% से 92% को। फिर भी ज़मानत पाने वालों ने औसतन 115 दिन और भीतर बिताए; बीते दिन लौटते नहीं।
- देरी का बोझ सबसे गरीब पर** — 57% प्रतिभागी दिहाड़ी मज़दूर थे और 60% से अधिक की वार्षिक आय ₹80,000 से कम थी, जबकि गिरफ्तारी से रिहाई तक का अनुमानित नुकसान लगभग ₹2 लाख है। 2022 में भारत के तीन-चौथाई से अधिक कैदी विचाराधीन थे।
- फिर भी देर से मिली सहायता सहायता से इनकार नहीं** — प्रतिभागियों की 84% ज़मानत अर्ज़ियाँ सफल रहीं, उन्हीं अदालतों में 26%। धारा 479 BNSS भी अधिकतम सज़ा की आधी अवधि बाद ज़मानत अनिवार्य करती है। प्रतिभागी यादृच्छिक नहीं चुने गए, इसलिए यह वर्णनात्मक है।
- दोष क़ानून का नहीं, हस्तांतरण का है** — पुलिस, मजिस्ट्रेट, DLSA और जेल अधीक्षक, हर एक के पास एक कड़ी है, इसलिए देरी का ज़िम्मेदार कोई नहीं। सर्वोच्च न्यायालय का अगस्त 2024 का आदेश, जिसमें धारा 479 के आवेदन के लिए अधीक्षकों का नाम तय हुआ, उपचार दिखाता है।

निष्कर्ष — आगे की राह: हर रिमांड अदालत में विधिक सहायता अधिवक्ता, DLSA को जेल-दाखिले की दैनिक सूची, और समुचित मूल्यांकन। देर से मिली सहायता भी हिरासत घटाती है, पर खोई स्वतंत्रता लौटती नहीं; अनुच्छेद 21 को वकील आरंभ में चाहिए।

यह बनाइए: पहले बिंदु के पास प्रवाह-चित्र: गिरफ्तारी → पहली पेशी (वकील का हक) → ज़मानत अर्ज़ी → रिहाई, और यह चिह्नित करें कि सहायता वास्तव में कहाँ पहुँचती है: ‘171 वाँ दिन’।

(273 शब्द)

11.2 GS1 कोना — इतिहास: ज़ोरावर सिंह के हिमालयी अभियान और डोगरों द्वारा लद्दाख की विजय (1834–42)

आज का संदर्भ: 4.1

- डोगरा सेनापति ने लद्दाख को जम्मू के अधीन किया** — ज़ोरावर सिंह गुलाब सिंह की सेवा में थे, जो रणजीत सिंह के अधीन जम्मू के डोगरा सरदार थे। उनका पहला लद्दाख अभियान जुलाई 1834 में शुरू हुआ; विद्रोहों और आगे के अभियानों के बाद 1840 तक लद्दाख का विलय हो गया, जब उन्होंने बाल्टिस्तान भी जीत लिया।
- पश्चिमी तिब्बत में उनका सफ़र थम गया** — 1841 में वे पश्चिमी तिब्बत में मानसरोवर झील की ओर बढ़े। पीछे दर्े बर्फ़ से बंद हो जाने पर वे हार गए और दिसंबर 1841 में मारे गए।
- 1842 की संधि ने सीमा को आकार दिया** — तिब्बत के साथ सितंबर 1842 की संधि, जिसे प्रायः चुशूल की संधि कहा जाता है, ने पुरानी सीमाएँ और लद्दाख-तिब्बत व्यापार बहाल किया। अमृतसर की संधि (1846) के बाद लद्दाख सहित जम्मू-कश्मीर पर गुलाब सिंह का शासन रहा।

प्रारंभिक परीक्षा के तथ्य

- गुलाब सिंह के सेनापति ज़ोरावर सिंह ने 1834 से लद्दाख में अभियान चलाए और 1841 में पश्चिमी तिब्बत में मारे गए।
- डोगरा-तिब्बत युद्ध सितंबर 1842 की संधि से समाप्त हुआ, जिसे प्रायः चुशूल की संधि कहा जाता है।
- अमृतसर की संधि (1846) ने कश्मीर गुलाब सिंह को सौंपा, जिससे जम्मू और कश्मीर रियासत बनी।

11.3 समाचार में स्थान — अपने एटलस पर चिह्नित करें

स्थान	कहाँ है	समाचार में क्यों	प्रारंभिक तथ्य
गोगरा और हॉट स्प्रिंग (Gogra and Hot Spring)	पूर्वी लद्दाख में, पैंगोंग त्सो के उत्तर में चांग चैनमो घाटी में, LAC और कोंगका ला दर्रे के निकट।	2 अक्टूबर को अधिसूचित 28 नामों में शामिल; दोनों PP-15 से सटे हैं, जहाँ सितंबर 2022 में सेनाएँ पीछे हटी थीं (4.1)।	पुलिस स्मृति दिवस (21 अक्टूबर) 1959 में हॉट स्प्रिंग के पास चीनी सैनिकों द्वारा मारे गए पुलिसकर्मियों की याद में मनाया

स्थान	कहाँ है	समाचार में क्यों	प्रारंभिक तथ्य
			जाता है।
येरेवान (Yerevan)	भूमि से घिरे आर्मेनिया की राजधानी, दक्षिण कोकेशस में, हराजदान नदी पर; पड़ोसी देश जॉर्जिया, अज़रबैजान, ईरान और तुर्किये हैं।	CBD COP17 की मेज़बानी, 19-30 अक्टूबर 2026 (त्वरित तथ्य; TH पृ. 22)।	येरेवान से दिखने वाला अरारात पर्वत तुर्किये में है।
गोरखा (Gorkha)	मध्य नेपाल का ज़िला (गंडकी प्रदेश), बुद्धी गंडकी द्वारा अपवाहित, जो गंडकी (नारायणी) प्रणाली का भाग है और भारत में गंडक के रूप में प्रवेश करती है।	पिछले सप्ताह बुद्धी गंडकी घाटी में आकस्मिक बाढ़ आई, संभवतः हिमनद झील विस्फोट से (त्वरित तथ्य; IE पृ. 13)।	गोरखा अप्रैल 2015 के नेपाल भूकंप का अधिकेंद्र-क्षेत्र था।
मोहाली (Mohali)	पंजाब का SAS नगर ज़िला, शिवालिक की तलहटी में चंडीगढ़ से सटा।	IN-SPACe ने अंतरिक्ष कंपनियों से सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला की चिप्स का उपयोग करने का आग्रह किया (7.2)।	SCL मोहाली भारत की एकमात्र एकीकृत उपकरण निर्माता है, जो चिप्स का डिज़ाइन, निर्माण, परीक्षण और पैकेजिंग एक ही छत के नीचे करती है।
अमरावती (Amaravati)	आंध्र प्रदेश का राजधानी क्षेत्र, गुंटूर ज़िले में कृष्णा नदी के दक्षिणी तट पर।	IBM वहाँ अपने शब्दों में भारत का सबसे बड़ा क्वांटम कंप्यूटर लगाएगी (त्वरित तथ्य; ET पृ. 16)।	इसका नाम पास के प्राचीन अमरावती पर पड़ा, जिसके स्तूप के नाम पर सातवाहन-काल की मूर्तिकला की एक शैली जानी जाती है।

11.4 आज का नीतिशास्त्र शब्द (GS4 खंड A): विवेक का प्रयोग (ऐसा विवेकाधिकार जिसे सौंपा नहीं जा सकता) (Application of mind)

अर्थ — जिस अधिकारी के पास विधि द्वारा कोई शक्ति है, उसे हर मामले में अपना विवेक स्वयं लगाना होता है। बिना जाँचे किसी निर्देश या मशीन के नतीजे पर चल पड़ना आज्ञापालन नहीं, दायित्व का त्याग है।

आज के समाचार में — प्रकरण 1 : सॉफ्टवेयर ने दिल्ली के 33.12 लाख मतदाताओं को चिह्नित किया, पर जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 13B निर्वाचक पंजीयन अधिकारी (ERO) को जवाबदेह ठहराती है, इसलिए हर चिह्न एक सुराग है, निष्कर्ष नहीं।

उत्तर में उपयोग — प्रौद्योगिकी या ऊपर से आदेश वाली केस स्टडी में: पहले बताइए कि विधि द्वारा शक्ति किसके पास है, फिर दिखाइए कि कार्रवाई से पहले सत्यापन हुआ।

11.5 CSAT अभ्यास (प्रश्नपत्र II)

नीचे का अनुच्छेद मौलिक है, आज के एक संपादकीय के विषय पर। पहले उत्तर स्वयं चुनें, फिर अंत में उत्तर-कुंजी देखें।

अधिकतर लोग मान लेते हैं कि अधिक चिकित्सा का अर्थ बेहतर स्वास्थ्य है। कुछ न पकड़ने वाली जाँच हानिरहित लगती है, और एक अतिरिक्त दवा समझदारी भरी सावधानी। फिर भी चिकित्सा की क्रीमत केवल पैसों में नहीं चुकानी पड़ती। हर जाँच झूठी चेतावनी दे सकती है, जो आगे और जाँचों की ओर ले जाती है, और हर जोड़ी गई दवा मरीज़ पहले से जो दवाएँ ले रहा है उनसे प्रतिक्रिया कर सकती है। कई दवाएँ ले रहे बुजुर्ग के लिए नई पर्ची का जोखिम उसके लाभ से अधिक हो सकता है।

अत्यधिक चिकित्सा टिकी क्यों रहती है? कुछ हद तक इसलिए कि उसका भुगतान कैसे होता है। जब डॉक्टर या अस्पताल को हर जाँच और प्रक्रिया पर कमाई होती है, तो अधिक करने को पुरस्कार मिलता है, कम करने को नहीं। मरीज़ भी दबाव बढ़ाते हैं: बहुतों को लगता है कि बिना पर्ची की यात्रा व्यर्थ गई। दोष लगने के डर से डॉक्टर अपने बचाव में जाँचें लिख देते हैं। बीमा इस आदत को और गहरा सकता है, क्योंकि न मरीज़ को, न डॉक्टर को पूरा बिल दिखता है।

इसका यह मतलब नहीं कि जाँचें और दवाएँ बुरी हैं। बहुत से गरीब मरीज़, जो डॉक्टर तक पहुँच ही नहीं पाते, आज भी कम इलाज की गंभीर समस्या झेलते हैं। मुद्दा यह है कि इलाज की सही मात्रा विवेक का प्रश्न है, संख्या का नहीं। जो व्यवस्था दी गई सेवाएँ गिनती है, वह ज़रूरत से अधिक देने की ओर झुकेगी; जो हासिल स्वास्थ्य गिनती है, उसके पास सही सेवाएँ देने का कारण है।

मरीज़ को जानने वाला पारिवारिक चिकित्सक विशेषज्ञों के बीच देखभाल का समन्वय कर सकता है। पर्चियों पर समीक्षा की तिथियाँ लिखी जा सकती हैं। पेशेवर संस्थाएँ कम मूल्य जोड़ने वाली जाँचों की सूची बना सकती हैं। सबसे ऊपर, भुगतान गतिविधि के बजाय परिणाम को पुरस्कृत कर सकता है। बेहतर स्वास्थ्य के लिए हमेशा अधिक दवा ज़रूरी नहीं; कभी-कभी कम करने का आत्मविश्वास चाहिए।

Q1. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन गद्यांश के केंद्रीय भाव को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करता है?

- चिकित्सा जाँचें और दवाएँ हानिकारक हैं और सबके लिए घटा दी जानी चाहिए।
- अत्यधिक चिकित्सा काफ़ी हद तक प्रोत्साहनों और आदतों से चलती है, और उपाय यह है कि मात्रा के बजाय विवेक और परिणाम को पुरस्कृत किया जाए।
- बीमा स्वास्थ्य-खर्च बढ़ने का मुख्य कारण है।

(d) भारत में गरीब मरीजों को ज़रूरत से ज़्यादा चिकित्सा मिलती है।

Q2. लेखक गरीब मरीजों के कम इलाज का उल्लेख इसलिए करता है ताकि

- (a) यह दिखाया जा सके कि अत्यधिक चिकित्सा वास्तविक समस्या नहीं है।
- (b) यह तर्क दिया जा सके कि गरीबों को अधिक जाँचें दी जानी चाहिए।
- (c) तर्क को सारी चिकित्सा के विरुद्ध मान लेने से बचाया जा सके।
- (d) यह सिद्ध किया जा सके कि बीमा गरीबों की मदद करता है।

Q3. निम्नलिखित में से कौन-सी उस दावे के पीछे की धारणा है कि परिणाम के आधार पर भुगतान अत्यधिक चिकित्सा घटाएगा?

- (a) डॉक्टर और अस्पताल अपने भुगतान के ढंग के अनुसार व्यवहार करते हैं।
- (b) सभी नैदानिक जाँचें बेकार हैं।
- (c) मरीज़ कभी पर्ची नहीं माँगते।
- (d) पारिवारिक चिकित्सक विशेषज्ञों से सस्ते होते हैं।

तर्कशक्ति और गणित

Q4. किसी राज्य का ₹600 करोड़ का अनिर्बंधित आवंटन दो किस्तों में जारी होता है: पहले 66%, और शेष 34% तभी जब राज्य पहली किस्त का 75% उपयोग कर ले। दूसरी किस्त पाने से पहले राज्य को कम से कम कितना खर्च करना होगा?

- (a) ₹297 करोड़
- (b) ₹396 करोड़
- (c) ₹450 करोड़
- (d) ₹204 करोड़

Q5. एक विचाराधीन कैदी को मंगलवार को गिरफ़्तार किया गया। विधिक सहायता ठीक 171 दिन बाद उस तक पहुँची। वह सप्ताह के किस दिन पहुँची?

- (a) बुधवार
- (b) बृहस्पतिवार
- (c) शुक्रवार
- (d) शनिवार

उत्तर-कुंजी और व्याख्या

Q1: (b) यह कारणों और उपाय दोनों को समेटता है; विकल्प 1 अतिशयोक्ति है, क्योंकि लेखक कहता है कि जाँचें और दवाएँ बुरी नहीं हैं।

Q2: (c) यह “इसका यह मतलब नहीं कि जाँचें और दवाएँ बुरी हैं” के ठीक बाद आता है; विकल्प 2 ऐसा नुस्खा है जो लेखक कभी नहीं देता।

Q3: (a) भुगतान-सुधार तभी काम करेगा जब सेवा-प्रदाता प्रोत्साहनों पर प्रतिक्रिया दें; विकल्प 3 गद्यांश के विपरीत है।

Q4: (a) $0.66 \times 600 = ₹396$ करोड़; उसका 75% = ₹297 करोड़। ₹450 करोड़ गलती से पूरी राशि का 75% लेता है।

Q5: (c) $171 = 7 \times 24 + 3$, इसलिए दिन तीन स्थान आगे खिसकता है: मंगलवार → बुधवार → बृहस्पतिवार → शुक्रवार।

12. आज के निबंध (Essays of the Day)

दो निबंध, ऐसे प्रश्नों पर जिनकी भाषा निबंध (Essay) प्रश्नपत्र वास्तव में जिस तरह तय करता है, और एक शीर्ष रैंक वाले अभ्यर्थी के समयबद्ध लेखन की शैली में लिखे गए। इन्हें संरचना और उदाहरणों के दायरे के लिए पढ़ें — याद करने के लिए नहीं।

निबंध (ESSAY) 1 · निबंध · खंड क · 7 मिनट पठन (min read)

मानचित्र एक दावा कर सकता है; उसे निभा केवल लोग सकते हैं।

विषय (Themes): मानचित्र भूमि के बारे में एक कथन है, भूमि स्वयं नहीं; नाम और रेखाएँ दावा दर्ज करते हैं, उसे रच नहीं सकते। भूमि को थामने और राज्य को अपने ही नागरिकों के लिए वास्तविक बनाने वाली चीज़ है उपस्थिति: प्रशासन, आजीविकाएँ और गिने गए लोग। मानचित्र फिर भी मायने रखते हैं, अभिलेख के रूप में, कथा के रूप में और देखभाल के साधन के रूप में, पर तभी जब ज़मीन उनकी पुष्टि करे।

2 अक्टूबर को गृह मंत्रालय ने सर्वे ऑफ़ इंडिया के मानचित्र पर लद्दाख के 28 स्थानों के आधिकारिक नाम तय किए: चोटियाँ, पर्वत, हिमनद, दर्रे, एक झील, एक नदी। इनमें से दो, गोगरा और हॉट स्प्रिंग, वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर तनाव के बिंदु हैं। 13 अक्टूबर को चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि उसने लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश को “कभी मान्यता नहीं दी” और इन नामों को “अवैध और अमान्य” बताया। कुछ घंटों बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने उत्तर दिया कि लद्दाख “भारत का अभिन्न और अविच्छेद्य अंग है। चीनी पक्ष का कोई भी इनकार इस स्थापित तथ्य को नहीं बदल सकता।” दो सरकारें शब्दों में उलझीं, और वह भी मानचित्र पर छपे शब्दों पर। यह पूछना उचित है कि ऐसे शब्द क्या कर सकते हैं। क्या कोई नाम किसी पर्वत को थाम सकता है? यह निबंध तर्क देता है कि मानचित्र दावा कर सकता है, उसे निभा नहीं सकता; भूमि को थामने और राज्य को वास्तविक बनाने का काम उपस्थिति और लोग करते हैं; और मानचित्र सबसे अधिक तब मायने रखते हैं जब वे उस उपस्थिति को निष्ठा से दर्ज करें।

1933 में विद्वान अल्फ्रेड कोरज़िब्सकी ने एक वाक्य लिखा, जो उनके अधिकांश काम से अधिक जीवित रहा: “मानचित्र वह भूभाग नहीं है जिसका वह निरूपण करता है, परंतु यदि वह सही हो तो उसकी संरचना भूभाग जैसी होती है, और यही उसकी उपयोगिता का कारण है।” मानचित्र इसलिए उपयोगी है कि वह ज़मीन से मिलता-जुलता है, इसलिए नहीं कि ज़मीन उसकी आज्ञा मानती है। नाम से कोई विधिक स्वामित्व नहीं मिलता; वास्तविक नियंत्रण और प्रशासन कहीं अधिक मायने रखते हैं। भारत स्वयं ठीक यही तर्क देता है। 2017 से चीन सीमावर्ती स्थानों के “मानकीकृत” नामों की कई सूचियाँ जारी कर चुका है, और भारत उन्हें गढ़ंत कहकर खारिज करता रहा है। बीजिंग में छपा नाम यह नहीं बदलता कि किसी घाटी में कौन रहता है, उसका विद्यालय कौन चलाता है, या उसके दर्रे पर गश्त कौन लगाता है। यही कसौटी हर मानचित्र पर लागू होती है, हमारे अपने मानचित्र पर भी।

इतिहास दिखाता है कि जब रेखाएँ स्याही से खींची जाती हैं और उनके नीचे बसे लोगों की परवाह नहीं की जाती, तो क्या हाल होता है। 1947 की गर्मियों में सिरिल रैडक्लिफ़, एक वकील जो पहले कभी भारत नहीं आए थे, को पंजाब और बंगाल के बँटवारे के लिए लगभग पाँच सप्ताह मिले। उनकी रेखा स्वतंत्रता के दो दिन बाद प्रकाशित हुई। काज़ज़ पर वह सटीक थी; ज़मीन पर लाखों लोग उजड़े और कई लाख मारे गए, और गाँवों ने पाया कि उनके खेत एक ओर हैं और कुएँ दूसरी ओर। इसका उलटा सबक 2015 में मिला। लगभग सात दशक तक हज़ारों लोग छिटमहलों में रहे: बांग्लादेश के भीतर भारतीय टुकड़े और भारत के भीतर बांग्लादेशी टुकड़े। मानचित्र ने उन्हें ऐसा देश दे दिया था जिस तक वे पहुँच नहीं सकते थे, इसलिए न विद्यालय, न राशन कार्ड, न कोई पुलिस जिसे वे बुला सकें। जब भूमि सीमा समझौता अंततः 31 जुलाई 2015 की मध्यरात्रि को संविधान के 100वें संशोधन के माध्यम से लागू हुआ, तो 111 भारतीय और 51 बांग्लादेशी छिटमहलों का हस्तांतरण हुआ, और वहाँ के निवासियों से पूछा गया कि वे किस देश के होना चाहते हैं। दशकों तक लोगों को निराश करने वाले मानचित्र को उन्हीं से पूछकर सुधारा गया।

यदि मानचित्र भूमि को नहीं थामते, तो क्या थामता है? उपस्थिति। जून 2020 की गलवान झड़प का समाधान मानचित्रावलियों से नहीं, बल्कि वर्षों की वार्ताओं, गश्तों और चरणबद्ध सेना-वापसी से हुआ, जिसका अंतिम चरण अक्टूबर 2024 में देपसांग और देमचोक में रहा। सीमा-दावे को वज़न देता है वह गाँव जहाँ सड़क हो, विद्यालय हो, बिजली हो और मोबाइल का सिग्नल हो, जहाँ परिवार इसलिए टिके रहें कि वहाँ जीवन संभव है। यही ‘जीवंत गाँव कार्यक्रम’ (Vibrant Villages Programme) का तर्क है, जिसमें लद्दाख भी शामिल है। भारत के आधिकारिक उत्तर में यह भी कहा गया कि नाम केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन और स्थानीय हितधारकों के साथ मिलकर रखे गए हैं, जो सही वृत्ति है: जो नाम स्थानीय लोग पहले से बोलते हैं, उस जगह के लिए जिसकी देखभाल वे पहले से करते हैं, उसका वज़न दूर से जारी सूची से कहीं अधिक होता है।

यही सच देश के भीतर भी लागू होता है, और यहाँ मायने रखने वाले मानचित्र राज्य के रजिस्टर और सर्वेक्षण हैं। शहर की योजना हर सड़क दिखा सकती है और उन लोगों को छोड़ सकती है जो उसकी पटरियों पर रोज़ी कमाते हैं। शहरी आजीविका मिशन ने, जो अब बिना उत्तराधिकारी योजना के समाप्त हो चुका है, पथ विक्रेताओं का सर्वेक्षण किया ताकि उन्हें लाइसेंस और ऋण दिए जा सकें; पथ

विक्रेता अधिनियम, 2014 इसी कारण हर स्थानीय निकाय में नगर विक्रय समिति का प्रावधान करता है। आज के समाज वाले कार्ड में दर्ज है कि प्रवासी, किरायेदार और विक्रेता परिवार-सर्वेक्षणों से छूट जाते हैं, जो अंशतः इसका कारण है कि शहरी गरीबी को समेटना ग्रामीण गरीबी से आसान माना जाता है। जो नागरिक मानचित्र से गायब है, वह जल्दी ही बजट से भी गायब हो जाता है। जेल का रजिस्टर भी एक तरह का मानचित्र है। वह ठीक-ठीक दर्ज करता है कि हर विचाराधीन कैदी कहाँ है, फिर भी महाराष्ट्र के एक कार्यक्रम में निःशुल्क विधिक सहायता उन तक औसतन गिरफ्तारी के 171 दिन बाद पहुँची। अभिलेख में होना और पहुँच में होना एक बात नहीं। इसके विपरीत, SVAMITVA योजना, जो 2020 से ड्रोन द्वारा गाँव के घरों का मानचित्रण कर मालिकों को संपत्ति कार्ड देती है, मानचित्र को उसका सही काम करते दिखाती है: जो लोगों के पास पहले से है उसे दर्ज करना, ताकि वे उस पर ऋण ले सकें और उसकी रक्षा कर सकें।

एक गंभीर प्रतिवाद भी है। मानचित्र निर्दोष रेखाचित्र नहीं, सत्ता के उपकरण हैं। रेखा जो भी खींचे, वही तय करता है कि विद्यार्थी क्या पढ़ें, मानचित्रावलियाँ क्या छापें और दुनिया क्या मान ले। जो राज्य तब चुप रहता है जब पड़ोसी उसकी चोटियों के नए नाम रख देता है, वह एक झूठी कहानी को तथ्य में जमाने देता है; इसीलिए भारत ने उसी दिन उत्तर दिया, और इसीलिए किसी नाम का बार-बार आधिकारिक प्रयोग अभिलेख अवश्य बनाता है। दूसरी आपत्ति अधिक गहरी है। “लोग भूमि को बचाते हैं” को विवादित क्षेत्रों में बाहर से लोगों को बसाने का लाइसेंस बनाया जा सकता है, मनुष्यों को दावों की होड़ में खूंटों की तरह इस्तेमाल करते हुए। और सीमा एक विधिक प्रश्न है; उसका निर्णय इससे नहीं हो सकता कि संयोग से सबसे निकट कौन रहता है।

दोनों आपत्तियाँ सही हैं, और दोनों थीसिस को पलटती नहीं, केवल उसकी सीमाएँ बाँधती हैं। मानचित्र मायने रखते हैं, अभिलेख के रूप में और कथा के रूप में, इसीलिए भारत का अपने स्थानों के नाम रखना भी उचित है और उत्तर देना भी। पर उत्तर सबसे अच्छा तब काम करता है जब वह संक्षिप्त हो और ज़मीनी तथ्यों से समर्थित, और असली बहस सीमा-वार्ताओं के भीतर रहे, प्रेस-विज्ञप्तियों की द्वंद्व-बाज़ी में नहीं। और उपस्थिति का अर्थ लोगों को बिसात पर मोहरों की तरह रखना नहीं है। उसका अर्थ है राज्य का उनकी सेवा करके उनकी निष्ठा कमाना: सीमावर्ती गाँव इसलिए टिकता है कि वहाँ परिवार बेहतर हाल में हैं, इसलिए नहीं कि उन्हें भेजा गया। अच्छे मानचित्र की कसौटी, चाहे सीमा पर हो या शहर के किसी वार्ड में, यह है कि क्या वह लोगों का सच्चा वर्णन करता है और राज्य को उन तक पहुँचने में मदद देता है।

सर्वे ऑफ़ इंडिया 1767 से मानचित्र बना रहा है। तब से इस उपमहाद्वीप में रेखाएँ कई बार खींची और मिटाई गई हैं, और जो टिका रहा वह स्याही नहीं, वे लोग हैं जिन्होंने उसके नीचे जिया, खेती की और शासन चलाया। 28 नए नाम अब भारत की मानचित्रावलियों में दिखेंगे, और यह उचित भी है। पर जो दावा वे करते हैं, उसे वही लोग निभाएँगे जो उन चोटियों के नीचे रहते हैं, और वह राज्य जो सड़कों, विद्यालयों और अदालतों के साथ उन तक पहुँचता है। मानचित्र दावा कर सकता है; उसे निभा केवल लोग सकते हैं। सरकार का काम यह सुनिश्चित करना है कि उसके मानचित्र, सीमा पर भी और घर में भी, उन लोगों के योग्य हों जिनका वे वर्णन करते हैं।

आज के कार्ड्स से निर्मित (Built from today's cards): चीन ने कहा लद्दाख को 'कभी मान्यता नहीं दी'; भारत ने 28 मानक नामों पर आपत्ति ठुकराई · शहरी आजीविका मिशन DAY-NULM बिना उत्तराधिकारी योजना के समाप्त, पाँच राज्यों की धन की गुहार · विचाराधीन कैदियों तक विधिक सहायता 171 दिन देर से पहुँची, फिर भी शुरू में मदद पाने वालों को ज़मानत कहीं अधिक मिली

आज का आईना — पत्रिका बंद करने से पहले दो मिनट

दर्पण का अर्थ है आईना। आज की पत्रिका बंद करने से पहले उसे अपने सामने रखिए। उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए — तीन पंक्तियाँ काफी हैं।

1. अगर आज की सबसे बड़ी खबर — “विधिक सहायता विचाराधीन कैदियों तक 171 दिन देर से पहुँचती है, फिर भी जिन्हें जल्दी मदद मिलती है उन्हें ज़मानत कहीं अधिक बार मिलती है” — में आप ज़िलाधिकारी होते, तो आपका पहला क़दम क्या होता, और आप सबसे पहले किससे मिलते ?

2. आज किस खबर को आपने पहली बार दूसरे पक्ष से देखा ? जिस तर्क से आप असहमत थे, उसका सबसे मज़बूत रूप लिखिए।

3. सादगी समय की भी होती है। आज आपने समय कहाँ बचाया, और कहाँ गँवाया ?

क्षमता, गुमनामी, सादगी — हर दिन एक छोटा क़दम। And we shall become, my man.